विश्व व्यापार संगठन (समझौता)

W.T.O.

गुलामी और लूट का दस्तावेज

भाई राजीव दीक्षित जी

- स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता

भाई राजीव दीक्षित - पुस्तक संग्रह 10

विश्व व्यापार संगठन (समझौता)
W.T.O.

गुलामी और लूट का दस्तावेज

राजीव दीक्षित

स्वदेशी प्रकाशन
सेवाग्राम, वर्धा

विश्व व्यापार संगठन (समझौता)
W.T.O.
गुलामी और लूट का दस्तावेज

लेखक : राजीव दीक्षित

प्रकाशक : स्वदेशी प्रकाशन, सेवाग्राम, वर्धा

प्रथम संस्करण : जनवरी 2013

राजीव भाई के अधूरे सपनों और कार्यों को पूरा करने के लिए

राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था
ग्राम वरुड़, पोस्ट-सेवाग्राम, वर्धा - 442102
फोन नं० : 07152-284014
मोबाइल : 09422140731

मुद्रणः
NBC PRESS
X-43, Okhla Phase-II, New Delhi

सहयोग राशि 50 रुपये

समर्पण

पूज्य माँ - पिता जी को
जिन्होंने राजीव भाई को
देश के लिए गढ़ा और समर्पित किया।

उन सभी साथियों को जिन्होंने
राजीव भाई के साथ कन्धे से कन्धा
मिलाकर लड़ाई लड़ी।

उन सभी नये साथियों को जो
राजीव भाई के बाद उनके इस
"स्वदेशी आन्दोलन" को अपने कन्धों
पर आगे ले जाना चाहते हैं।

विषय सूची

-1-

प्रकाशकीय

भारत सरकार ने WTO पर 2005 में हस्ताक्षर कर दिये थे। 2005 से लेकर आज 2013 तक बीते 8 सालों में WTO के प्रावधानों का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी तेजी से पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था का उदारवाद लगातार बढ रहा है यह WTO प्रभावों का ही लक्षण है। हालांकि मनमोहन की सरकार और लगभग पूरा का पूरा मीडिया WTO के हो रहे दुष्प्रभावों पर मौन है और सरकार एवं मीडिया द्वारा ऐसे दुष्प्रभावों को ढकने की कोशिश भी होती रहती है। राजीव भाई ने 1904 में महाराष्ट्र के अमरावती शहर में WTO के होने वाले दुष्प्रभावों के ऊपर व्याख्यान दिया था जो आज भी पूरे देश में जन जागृति फैला रहा है। आज राजीव भाई नहीं है लेकिन उनका यह व्याख्यान देश के लिए प्रहरी का काम कर रहा है।

मूल रुप से राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि वास्तव में WTO फिर से गुलामी लेकर आने वाला है। यह बात सही है और हम धीरे - धीरे ऐसा होते देख रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण हम देख रहे है कि सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश में पूरी तरह से दरवाजे खोल दिये है जिसके आधार पर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में घुसना बहुत आसान हो गया है। हम सब को यह जान लेना चाहिए कि पिछले 4-5 दशकों में दुनिया भर में हथियारों का व्यापार करने के बाद अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिद्ध दृष्टि दुनिया भर के भूख और खेती पर केन्द्रित हो रही है। इसलिए एक तरफ खेती से संबन्धित सभी प्रक्रियाओं पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की तैयारी शुरु हो गयी है, जैसे - बीज पर पेटेंटीकरण, खाद और कीटनाशकों पर पेटेंटीकरण

के कानून WTO में दिये गये प्रावधानों के आधार पर प्राप्त किये जा रहे हैं। कारगिल, हिन्दुस्तान लीवर, आई. टी. सी., सीवागाइगी और रोनपोलेंक जैसी विदेशी कंपनियां पूरी दुनिया की खेती पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। इसी कब्जे को मजबूत करने के लिए यह WTO का संविधान हमारे ऊपर लादा गया है।

भारत जैसे देश में जहां आज भी अधिकांश लोगों की आजीविका खेती से जुड़ी है वहां सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि जिनके कारण लोग खेती से विस्थापित होते हों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लगातार खेती के उत्पादन को मंहगा करते जाना निश्चित रुप से भारतीय कृषि को छोटी जोत से हटाकर बड़ी जोत की तरफ ले जाने का रास्ता है जहां छोटे किसान खेती कर ही नहीं सकते और विस्थापित होकर शहरों में मजदूर बनने की तरफ जाते हैं। निश्चित रुप से शहर और गांव के बीच बढ़ती हुई खाई इसी का परिणाम है। WTO का सबसे दूरगामी, खतरनाक और हातनकारक परिणाम खेती पर ही पड़ने वाला है। चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर खेती पर भी पड़ गयी है इसलिए अब खेती में भी भयंकर तबाही मचेगी और खाद्यान्न संकट भी पैदा होगा। लोग भूख और कुपोषण से मरेंगे। अभी हाल में प्रकाशित अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 70% से अधिक जनसंख्या मात्र 20 से 30 रुपये प्रतिदिन पर बसर करती है। ऐसी स्थिति में WTO के प्रावधानों को हमारे देश के ऊपर लादना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। उदार कृषि नीति के चलते देश के बाजारों में विदेशी अनाजों के ढेर लगेंगे, किसानों को खेती की वस्तुओं पर आर्थिक राहत मिलना बन्द हो जायेगी, कृषि के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा संरक्षण के कारण बीजों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियो का एकाधिकार हो जायेगा, किसानों की अधिकांश आमदनी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जेब में चली जायेगी। कृषि की आयातों पर निर्भरता बनेगी और सभी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का साम्राज्य फूलेगा फलेगा।

इसी विषय पर राजीव भाई ने 1995 में एक लेख भी लिखा था जिसमें उन्होने खाद्यान्न के मामले में हमारी परनिर्भरता से होने वाले खतरों की तरफ आगाह किया था। वह लेख हम ज्यों का त्यों दे रहे हैं। लेख का शीर्षक था - डंकल प्रस्ताव : आयात का बाध्यता, क्या हम अतीत से सबक लेंगे?

डंकल प्रस्ताव (WTO) को स्वीकार कर लेने के बाद कृषि सम्बन्धित प्रावधानो को लागू किया जायेगा, जिसके चलते हमारे देश में विदेशी खाद्यान्नों का ढेर लगेगा और भारतीय किसानो द्वारा पैदा किये गये अनाज की बिक्री की समस्या

होगी। विदेशी अनाजों का देश के बाजार में ढेर लग जाने के बाद भारतीय किसान बाजार से बाहर हो जायेंगे। बाजार में आवश्यक्ता से अधिक अनाज होने पर कीमते काफी कम हो जायेंगी जिससे किसानों को उनकी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल सकेगा। अतः खेती और अधिक घाटे में रहेगी। धीरे-धीरे किसान खेती करना छोड़ेगे। इस तरह किसानों का विस्थापन शुरु होगा और भुखमरी तथा अकाल का आगमन होगा।

ये आशंकायें निर्मूल नहीं है। भारत सरकार ने बिना डंकल प्रस्ताव को स्वीकार किये ही जनवरी 1992 में 3 लाख टन विदेशी गेहूं खरीदने का समझौता किया। यह विदेशी गेहूं देश में आ चुका है। देश में भरपूर गेहूं होने के बावजूद 30 लाख टन विदेशी गेहूं का आयात अमेरिका, कनाडा और आष्ट्रेलिया की कंपनियों से किया गया। यह विदेशी गेहूं ऐसे समय में खरीदा गया जब देश विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट से गुजर रहा था। इसके पहले भी भारत सरकार ने सन् 60 के दशक में अमेरिका दबाव के तहत गेहूं आयात करने का एक समझौता किया था जिसका नतीजा हुआ कि 1966-1967 में देश में भयंकर भुखमरी की स्थिति पैदा हुई और देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ।

भारत सरकार ने 19 अगस्त 1956 को अमेरिका के कानून "पब्लिक लॉ -480" के अन्तर्गत एक समझौता किया जिसे - "पी. एल. - 480" के नाम से जाना जाता है। यह समझौता शहर और खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका से खद्यान्न आयात करने के लिए किया गया था। इस समझौते के तहत ही देश में खाद्यान्न वसूली की कीमतों को अमरीकी आदेशानुसार इस प्रकार निर्धारित किया गया कि वे कीमत बाजार की कीमतों से भी कम रहे। इसका सबसे पहला दुष्परिणाम यह हुआ कि किसानों में अधिक उत्पादन करने का उत्साह ही नहीं रहा। अमेरिका की इस खद्यान्न सहायता ने कृषि सुधार की तमाम योजनाओं को हटा दिया । सरकार भी पर्याप्त लोक-नीतियों का आवंटन करने में रुक गयी। इतना ही नहीं इस कारण उस समय कृषि में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन नहीं मिला। जून 1957 में जैसे ही पी. एल. - 480 समझौता लागू हुआ गेहूं का आयात, घरेलू उत्पादन बाजार में बेचे जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन का 93% हो गया। अगले वर्ष इतना अधिक आयात किया गया कि बाजार की आपूर्तियां दुगने से भी अधिक हो गई। आयात किये जाने वाले गेहूं में तेजी से वृद्धि होती गई और यह वृद्धि 1965-66 में बाजार में बेचे जाने वाले घरेलू अतिरिक्त खद्यान्न के 232% की उच्च सीमा तक पहुँच गई। उसके

बाद इसी गेहूं का निर्यात भी होने लगा पड़ोसी देशों को। 1956-1971 तक तो यह समझौता चला। इस अवधि में गेहूं का 63.41 लाख टन आयात किया गया जो कि उस अवधि में घरेलू बाजार में अतिरिक्त खद्यान्न 62.31 लाख टन के बराबर मौजूद था, जिसको बाजार में अतिरिक्त होने के कारण बेचा गया।

आयात किये गये गेहूं की मात्रा से प्रभावित होकर गेहूं की कीमत में जो उतार चढ़ाव हुए उनके कारण गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव होने लगे। बाजार में अत्यधिक आपूर्ति हो जाने के कारण गेहूं की कीमत बहुत कम हो गई और उस दौर में गेहूं पैदा करने वाले किसानों की कमर टूट गई। ऑकड़ों से पता चलता है कि पी. एल. -480 से पूर्व गेहूं की खेती के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई थी लेकिन अगस्त 1956 में पी. एल. - 480 के समझौते की घोषण के बाद गेहूं की अधिकाधिक मात्रा आते रहने से गेहूं उगाने वाले किसानों ने दूसरे वर्ष ही 1957-58 में अपनी फसलों के कार्यक्रम में फेर बदल करना शुरु कर दिया। उन्होने 180 लाख हेक्टेयर भूमि गेहूं क्षेत्र से हटाकर अन्य फसलों के क्षेत्रों मे बदल ली, जिसके कारण पहले साल ही गेहूं उत्पादन में 14 लाख टन की कमी आई। 1963-64 से 1965-66 तक 3 वर्षों में गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में लगातार कमी होती गई। 1965-66 में 126 हेक्टेयर एसी जमीन पर अन्य अनाजों की खेती की गई जिस पर पहले गेहूं की खेती हुआ करती थी। इस दौर में अन्य अनाजों की पैदावार में वृद्धि अधिक हुई।

जब 1967 में अमेरिका ने अचानक ही पी. एल. - 480 की आपूर्ति में कमी की तो गेहूं की कीमतों मे उछाल आया और 1968 में गेहूं की खेती के क्षेत्र में 22 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। जब पी. एल. - 480 समझौता समाप्त हुआ (क्योंकि 1967 से अमेरिका ने लगातार गेहूं की मात्रा में कटौती की और 1971 के आते - आते अमेरिका ने गेहूं बेचना बन्द कर दिया) उस वर्ष अर्थात 1971-72 में 195 लाख हेक्टेयर मे जमीन का उत्पादन हुआ जो कि 247 लाख टन था और 1966-67 के कुल उत्पादन से दुगना था। पी. एल. - 480 के समाप्त होते ही 1972-73 में गेहूं के लिए राज्य-व्यापार प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरुप किसानों को अपने उत्पादन का कुछ भाग कम कीमतों पर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः वर्ष 1972-73 में जितने क्षेत्रों में गेहूं की खेती की गई उसकी तुलना में 1973-1974 में गेहूं की खेती के क्षेत्र में 8.8 लाख हेक्टेयर की कमी हो गई। 1975 तक इस नीति के कारण लगातार गेहूं के क्षेत्र मे कमी आती रही। पी. एल. - 480 तथा इस सरकारी नीति का परिणाम अत्यन्त ही विपरीत रहा। पी. एल. - 480 आयात के प्रथम वर्ष 1956-57 घरेलू निति के कारण गेहूं का उत्पादन कुल आपूर्ति का

74% ही हुआ और यह प्रतिशत लगातार गिरता गया। इस पूरे समझौते की मुख्य बात यह थी कि जब 1967 में अमेरिका ने गेहूं का निर्यात बन्द किया था दुर्भाग्य से उसी वर्ष सूखा भी पड़ा और देश लगातार दो वर्ष सूखे से प्रभावित रहा। चूंकि घरेलू उत्पादन अत्यन्त कम हो चुका था, अतः देश को दो वर्ष भयानक संकट झेलना पड़ा। इस पूरे दौर में गेहूं बाजार में गेहूं की कीमतें बहुत ही कम थीं, उस दौर में गेहूं की कीमत या तो ज्वार की कीमत के बराबर थी या फिर उससे भी कम थी। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इतना ही नहीं, इस पूरे सौदे में काफी विदेशी मुद्रा खर्च की गई। इस सौदेबाजी का देश की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। इस संबंध मे श्री माइकेल लिप्टन ने 1979 में प्रकाशित अपनी "पुस्तक व्हाई पुअर पीपुल स्टे पुअर" में लिखा - भारत पी. एल. - 480 की सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। पी. एल. - 480 के तहत खद्यान्नों के मंगाये जाने से गेहूं की बिक्री की कीमतों में कटौती के कारण भारतीय किसानों को जो तत्कालिक हानियां हुई, उनका मोटा अनुमान 1957-63 मे कुल खेती आय का 1.9%, 1964-67 में 7.7% और 1968-69 में 1.7% था। केवल यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। प्रतिवर्ष धीरे-धीरे आयतित और विपरीत पी. एल. - 480 के प्रत्येक अतिरिक्त टन अनाज का घरेलू किसानों को हतोत्साहित कर देने वाला प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप उनका उत्पादन सन् 1971 में पी. एल. - 480 समझौता समाप्त हो जाने के बाद भी सरकार 1976 तक विदेशों से खद्यान्न खरीदती रही है जिसकी लागत आमतौर पर अधिक आई है। यह खाद्यान्न उस दौर में खरीदा गया (1956 से 1976) जब देश में विदेशी मुद्रा का अत्यधिक अभाव था। पूरे दौर में औसतन 200 डालर प्रतिटन के हिसाब से गेहूं खरीदा गया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमत अधिकतम 132 डालर प्रतिटन थी। इस बात को भी ध्यान में दिया जाना चाहिए कि आयात किये हुए गेहूं की अपेक्षा देशी गेहूं की गुणवत्ता कहीं अधिक अच्छी थी और उनकी कीमतें भी कम थीं।

देश में किसानों के हितों की उपेक्षा करके और भारी आर्थिक नुकसान उठाकर देश की सरकार ने अमरीका की अपमानजनक शर्तों पर सन्1956 में पी. एल. - 480 समझौता किया गया था। आज फिर से अमेरिका और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबावों मे आकर भारत सरकार ने विदेशी गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। याद रहे कि 1966 में अमरीकी गेहूं का आना अचानक बन्द कर दिये जाने पर देश को भयंकर भुखमरी का सामना करना पड़ा था क्योंकि भारतीय किसानों ने गेहूं का उत्पादन करना अत्यन्त कम कर दिया था। यह डंकल प्रस्ताव

फिर देश को कहीं उसी ओर तो नहीं ले जायेगा।

कृषि के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा संरक्षण के कानून और पादप प्रजनक अधिकारों के लागू होते ही किसान अपनी आजीविका और आजादी का खो देंगे। WTO में जिस तरह से बौद्धिक संपदा के कानूनों का मनवाने की जबरदस्ती हो रही है उससे यह निश्चित है कि अब पौधों और खाद्यान्नों की हजारों प्रजातियां और उनमें स्थित जीन भी पेटेन्टीकृत हो जायेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस पर एकाधिकार होंगा और इसके लिए वे मनमानी कीमतें वसूलेंगी। स्थानीय मिट्टी और मौसम के अनुसार किसी भी नई प्रजाति को तैयार करना हो तो हमें इन कंपनियों को भारी रॉयलटी देकर इजाजत लेनी होगी और अगर पेटेन्ट कंपनी का है तो नई प्रजाति पर भी अधिकार कंपनी का ही होगा। अपनी फसल में से बीज बचाकर अगली फसल के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार भी धीरे-धीरे खत्म हो जायेगा। अगर छोटी जोत खत्म होगी तो बड़े - बड़े भूपति इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ठेकेदार बनेंगे जहाँ यह कंपनियां इफरात में उपलब्ध सस्ते श्रम के आधार पर बीज उगवायेंगी और उन्हे दुनिया के बाजारों में मँहगे दामों पर बेचेंगी।

कृषि पर टिकी भारत की महान संस्कृति पर इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आया। अंग्रेजों के जमाने में अधिकतम लगान के कारण हमारी खेती पूरी तरह से चौपट हो गयी थी उसके बाद देश ने मेहनत करके खेती के उत्पादन में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया लेकिन ऐसा लगता है कि WTO के कानून हमें फिर से बंजर और गुलाम होती खेती की तरफ ले जायेंगे। खेती, पेड़, पौधे और प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ सांस्कृतिक धरोहर के रुप में देखे जाते है और यही भारत की पहचान है। हमारी पहचान ही खत्म होते दिख रही है।

भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर भुखमरी और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि वह पूरी ताकत से WTO के इन काले कानूनों का विरोध करे और भारत में बढ़ रही आर्थिक विषमता, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए स्वदेशी के सिद्धान्त पर आधारित नीतियों को अपनाये।

-2-

स्वदेशी के प्रति राजीव भाई की अगाध श्रद्धा और तड़प को शतःशत नमन

29 नवम्बर की मनहूस शाम को करीब 7:30 बजे किसी ने फोन करके बताया कि राजीव भाई की तबियत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, वे उस समय छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे और उस दिन भिलाई में शाम को भारत स्वाभिमान की सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही सूचना मिली तो मैंने तुरन्त राजीव भाई के नम्बर पर सम्पर्क करने की कोशिश की तो दोनों नम्बर बंद थे, सम्पर्क नहीं हो सका। हरिद्वार से छत्तीसगढ़ के साथियों का नम्बर लेकर फोन लगाया तो बात हुई तब यह सुनिश्चित हुआ कि वास्तव में राजीव भाई की तबीयत ठीक नहीं है उन्हें अस्पाताल में भर्ती किया गया है। तुरन्त मैंने पूछा कि स्वामी जी को खबर की या नहीं तो उन्होंने बताया कि हाँ- स्वामी जी को सूचना कर दी है और वे खुद इस मामले में डॉक्टर से बात कर रहे हैं और यदि स्थिति ज्यादा खराब हुई तो दिल्ली ले जाने की व्यवस्था भी हो रही है। इसके बाद मैंने कई बार कोशिश की एक बार राजीव भाई बात हो जाये लेकिन किसी भी तरह मेरी उनसे बात न हो सकी। समय खराब न करके तुरन्त गाड़ी से रायपुर के लिए निकल गया यह सोचकर कि यदि संभव हुआ तो सेवाग्राम ले आयेंगे और यही इलाज करवा लेंगे।

करीब 9:30 के आसपास नागपुर के आगे कही ढाबे पर ड्राइवर ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। तभी स्वामी जी का फोन आया और उन्होंने जानकारी दी कि मैं स्वमं इस मामले को लगातार देख रहा हूँ राजीव भाई दवाई लेने से मना कर रहे हैं। वे बार-बार मना कर रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है मुझे तो आर्युवेदिक या होम्योपैथी की दवा भिजवा दी जाये मैं उसी से ठीक हो जाऊँगा। चिन्ता की कोई बात नहीं है। फिर भी डॉक्टरों को आवश्यक इलाज के लिए बोल दिया है और संभव हुआ

तो उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ वहाँ भी डाक्टरों से सम्पर्क चालू है। जैसे ही कुछ होगा मैं तुरन्त बताऊँगा।

इसके बाद ड्राइवर ने चाय पीकर दुबारा से गाड़ी चालू की और मैं भिलाई में फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश करता रहा। अनूप भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी आईये समय बहुत कम है, तब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली ले जाने की बात हो रही है आप दिल्ली लेकर निकलिए, तो उन्होंने कहा कि उनकी हालात ऐसी नहीं है कि दिल्ली ले जाया जा सके। आप तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाईये। तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई राजीव भाई से, चक्कर क्या है। राजीव भाई स्वामी जी से बात कर रहे है तो मुझसे क्यों नहीं कर पा रहे है या उनके आसपास के लोग मुझे बात क्यों नहीं करवा रहे हैं।

करीब 12:15 पर स्वामी जी का फिर से फोन आया उन्होंने तुरन्त गाड़ी रोकने के लिए कहा, और फूट फूटकर रोने लगे, लगातार 5-6 मिनट तक रोते रहे। मैं भी उनके साथ रोता रहा। मैं आवाक होकर सुनता रहा। शुरू में मेरी समझ में कुछ नहीं आया, जब थोड़ा सांस मिली तो स्वामी जी ने कहा कि, अब कुछ नहीं बचा, राजीव भाई हमको छोड़कर चले गये..... मैंने क्या-क्या नहीं सोचा था, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे हाथ पैरों में ताकत ही नहीं बची है। मैंने अपने आपको संभालते हुए स्वामी जी से एक ही प्रार्थना की कि स्वामी जी राजीव भाई के सपने को अधूरा नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर पूरा करना है। 'भारत स्वाभिमान' के रूप में उन्होंने जो सपना देखा है वह पूरा होना चाहिए आप किसी भी कीमत पर यह लड़ाई नहीं रूकने देना.... फिर उन्होंने पूछा कि आगे क्या करना है तो मैंने उनको कहा कि राजीव भाई वैधनिक रूप से भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव थे इसलिए उनका अंतिम संस्कार भारत स्वाभिमान के मुख्य कार्यालय, हरिद्वार में ही होना चाहिए, आप तैयारी करवाईये मैं उन्हें लेकर आता हूँ। उसके बाद स्वामी जी का फोन कट गया, फोन पर बात करते-करते उनकी आवाज एकदम निढाल हो गई थी। मैं भी सुन्न हो गया था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करू, शरीर और दिमाग दोनों को जैसे लकवा मार गया हो। काठ जैसा हो गया था।

मैंने जब से होश संभला था तब से राजीव भाई को सिर्फ भाई ही नहीं, माँ-बाप मानकर, उनके साथ और उनके सानिध्य में था। अब वो छोड़कर चले गये तो कैसे आगे बढ़ेगें। उनकी हिम्मत से हम हिम्मत पाते थे, उनके जोश से हमें जोश मिलता था, उनकी निडरता से हमें निडरता मिलती थी, जब वो दहाड़ लगाकर विदेशी कम्पनियों के खिलाफ बोलते थे तब हमारे अन्दर हौसला पैदा होता था। अब कहाँ से यह सब

मिलेगा। पूरे रास्ते सभी को सूचना करता रहा कि जिनको भी संभव हो तुरन्त हरिद्वार पहुँचें। जो-जो राजीव भाई को अपना गुरू मानते थे, अपना सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे वे सब हरिद्वार पहुँचे। यह संदेश सभी को पहुँचाने के लिए बोलता रहा।

सुबह करीब 4 बजे भिलाई पहुँचा, अनूप भाई के साथ उस अस्पताल में पहुँचा जहाँ राजीव भाई चिरनिद्रा में लेटे थे। जब आई.सी.यू में पहुँचा तो वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। वेन्टीलेटर चल रहा था। कृत्तिम सांस चालू थी। असली सांस बंद थी। आँखे आधी खुली हुई थीं। जैसे महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की आँखे खुली हुई हैं, ठीक वैसी ही, समाधि जैसी स्थिति थी। पता नहीं किसका इंतजार करते हुए सांस निकली थी या पता नहीं क्या सोचते-सोचते सांस निकली, चेहरा एकदम शांत था। कोई तकलीफ या परेशानी जैसा कुछ भी नहीं लगा। चेहरे पर चमक बरकरार थी। डॉक्टर ने आकर कुछ बताया, पता नहीं क्या कहा। बस इतना ही समझ में आया कि राजीव भाई नहीं रहे, केवल वेंटीलेटर चालू है। वेन्टीलेटर निकालने के लिए कहा और उनको शांति से सुला देने के लिए कहा, उनकी खुली हुई आंखें बंद कीं और चरणों में प्रणाम किया, सिर्फ एक ही बात मन से निकली इतनी जल्दी क्यों चले गये। अभी तो बहुत काम करना था। बहुत लड़ना था। अपने सपनों का स्वदेशी भारत बनाना था। यह सच है कि अपनी अन्तिम सांस तक राजीव भाई अपनी कर्मभूमि में डटे रहे। देश को स्वदेशी बनाने के अभियान को जन-जन तक पहुँचाने में लगे रहे जैसे एक सैनिक लड़ाई के अन्तिम दौर तक अपनी स्थिति नहीं छोड़ता; चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाये वैसे ही राजीव भाई अन्तिम समय अपनी समरभूमि में ही थे।

उस समय लगभग 5 बज रहे थे। उनका शरीर सुबह 9-10 बजे तक फ्रीजर में रखा गया। उस समय स्वामी जी का शिविर शिकोहाबाद में चल रहा था वहीं से उन्होंने राष्ट्र को राजीव भाई के जाने का संदेश दिया, पूरे देश में राजीव भाई को जानने वाले और चाहने वालों के लिए यह शोकाकुल संदेश सदमा पहुँचाने वाला था। उनके अंतिम संस्कार की खबर दी गई की वह हरिद्वार में होगा। दूर-दूर से लोग हरिद्वार पहुँचने के लिए निकल पड़े।

सुबह 9 बजे अस्पताल के नीचे वाले हिस्से में ही उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, भिलाई शहर के हजारों स्वदेशी प्रेमी भाईयों-बहनों ने उनके दर्शन किए। लोगों के आँसू रूक नहीं रहे थे। मेरे तो आँसू ही सूख गये थे। आँखें पत्थर हो गई थी, करीब 11 बजे उनको रायपुर लेकर गये वहाँ पर भी उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह जी अपनी श्रद्धांजलि देने आये, और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट लेकर आये जहाँ हजारों भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता उनको अंतिम

विदाई देने के लिए खड़े थे। जैसे ही राजीव भाई वहाँ पहुँचे वैसे ही उनके दर्शन के लिए लोगों में अफरातफरी थी। सब अपने प्रिय राजीव भाई को अंतिम बार एक नज़र देख लेना चाहते थे। फिर तो दुबारा मिलना नहीं होगा। सिर्फ यादें ही रह जायेंगी। वहाँ अंतिम दर्शन के बाद एक छोटे से हवाई जहाज से उन्हें लेकर हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े।

रायपुर से हरिद्वार का सफर कोई साढ़े तीन घंटे का था। हमारा हवाई जहाज उड़ा। हवाई जहाज के कुल चार सीटें थी। एक पर मैं था और दो पर छत्तीसगढ़ के दो भाई । राजीव भाई मेरे बगल में लेटे हुये थे। एक 6 फुट के बकसे में उनका शरीर बंद था। सफेद-सफेद बादलों के बीच में जब हम जा रहे थे तब बार-बार ऐसा लग रहा था कि राजीव भाई की आत्मा भी, यहीं कहीं बादलों में बीच में ही होगी। वह हमारे साथ ही चल रही होगी, वह तीन घंटे मेरे जीवन में नया मोड़ लेकर आये। सबसे पहले तो बार-बार यही बात मन में आ रही थी। अब क्या करें, कैसे करे, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाये, कैसे राजीव भाई के सपनों को पूरा करें। राजीव भाई के अन्दर भारत को विदेशी संस्कृति और शोषण से मुक्त कराने की और भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी ओर स्वाभिमानी बनाने की जो तड़प थी, उसको कैसे बरकरार रखा जाये। उनकी यह तड़प सभी भारतीयों में कैसे प्रदीप्त की जाये।

राजीव भाई का पूरा जीवन आँखों के सामने घूम गया। कैसे 20 साल का एक नौजवान, जो इलाहाबाद में इंजीनियर बनने आया, घरवालों ने आई.ए.एस., पी.सी. एस के खव्वाब देखकर इलाहाबाद भेजा, वह देश की गरीबी, भुखमरी और शोषण व अन्याय की लड़ाई में शामिल हो गया। शायद राजीव भाई में क्रांतिकारियों का ही खून था जो उन्हें इस क्षेत्र में लेकर आया। उनके जीवन के सभी उतार-चढ़ाव आँखों के सामने घूम गये और अन्त में तमाम विरोधेां के बावजूद भारत स्वाभिमान के रूप में देश प्रेम के परवान चढ़ाने का समय भी देखा। लेकिन अचानक से यह ब्रेक लगी कि सबकुछ शीशे की तरह टूटा। उनके चरणों पर हाथ रखकर संकल्प लिया कि मैं जीवन भर राजीव भाई के सपनों को पूरा करने का वचन निभाऊँगा, जिस तरह राजीव भाई अंतिम सांस तक देश को स्वदेशी बनाने की लड़ाई लड़ते रहे उसी तरह मैं भी अनकी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा जीवन इसी लड़ाई के लिए समर्पित कर दूंगा। अपनी अंतिम सांसों तक देश को स्वदेशी बनाने की लड़ाई को जारी रखूंगा और उनकी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा जीवन इसी लड़ाई के लिए समर्पित कर दूँगा। मन ही मन यह संकल्प लिया और मन को मजबूत बनाया। आँसुओं को पौछा और कठोर हृदय करके इस लड़ाई का जुआ अपने कंधें पर डाल

लिया। जब तक भारत को पूर्ण स्वदेशी, पूर्ण स्वावलंबी और स्वाभिमानी नहीं बना लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजीव भाई दुबारा से आयेंगे इस अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। यदि ऐसा होता भी है तो भी जब तक वे आयें तब तक इसको जिन्दा रखना और चलाये रखने की जिम्मेदारी अपने कंधें पर उठा ली है। स्वामी जी का तो आशीर्वाद है ही, और राजीव भाई के मानने वाले, चाहने वालों का आशीर्वाद भी रहेगा ही।

करीब 5-6 बजे के आसपास हरिद्वार आ गया, वहाँ आचार्य बालकृष्ण जी राजीव भाई को लेने आये थे। राजीव भाई को लेकर सीधे भारत स्वाभिमान के कार्यालय में गये। वहाँ राजीव भाई के अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। राजीव भाई अमर रहे के नारों के साथ उनका पर्थिव शरीर, श्रृद्धालयम के उसी विशाल हॉल में रखा गया जहाँ उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यान दिये थे। सामने वही मंच था। जहाँ राजीव भाई ने स्वामी जी के सनिध्य में देश के नौजवानों को ललकारा था और उनकी आवाज पर सैकड़ों जीवन दानी अपना सबकुछ छोड़कर 'भारत स्वाभिमान' की इस लड़ाई में कूदे थे। उनमें से काफी जीवनदानी भाई वहाँ थे। वे सभी हतप्रभ थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या करें। राजीव भाई को बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, उनको गर्मी बहुत लगती थी इसलिए शायद अपने अंतिम समय में वे बर्फ पर लेटे थे। तब तक माँ-पिताजी भी आ गये। उनको अभी तक नहीं बताया गया था कि राजीव भाई नहीं रहे। हरिद्वार में हॉल में प्रवेश से पहले ही उन्हें बताया, हॉल में प्रवेश करते ही पिताजी ने विलाप करते हुए पूछा कि भैया को कहाँ छोड़ आये, मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, एक बाप अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए आया था, वह बेटा जिसने देश सेवा का व्रत लेकर भारत माँ को विदेशी कंपनियों से मुक्त कराने और खुशहाल भारत बनाने की लड़ाई छेड़ी थी, उसके अंतिम दर्शन के लिए आये थे। माँ बार-बार राजीव भाई के चेहरे को प्यार से छू-छूकर बोल रही थी कि आज ही तेरा जन्मदिन था। एक बार तो उठ जा लेकिन राजीव भाई तो शांत सो रहे थे। स्वामी जी ने सभी को ढांढस बंधाया और कहा कि हम सब आपके बेटे हैं। आप तो हजार बेटे वाली माँ हो। दूर-दूर से सभी साथियों का आना जारी था। पुराने-पुराने साथी आ रहे थे अंतिम दर्शन के लिए। रात भर यह सब चलता रहा।

सुबह 8 बजे कनखल के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ठाठारी पर लिटाने से पूर्व राजीव भाई को स्नान कराया गया। सभी प्रेमी साथियों ने अपने-अपने हाथों से निहलाया, घी

चंदन लगाया और खादी के कपड़े में लपेट कर उन्हें ठठरी पर लिटाया गया, उसके बाद वंदेमातरम् के नारों के साथ राजीव भाई को स्वर्गरथ में बिठाया गया। 'वंदेमातरम्' और 'राजीव भाई अमर रहे' के नारों के साथ राजीव भाई को कनखल आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, स्वामी जी की माताजी के आँसू रूक ही नहीं रहे थे। वहाँ पर हरिद्वार के हजारों लोगों ने राजीव भाई के दर्शन किये। वहाँ से घाट तक राजीव भाई को कंधे पर ले जाया गया। कनखल घाट पर उनकी चिता सजाई गई। मैने स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी आप राजीव भाई को वर्धा से गंडा बांधकर लाये थे और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए आप अपनी सन्यास परम्परा को छोड़कर मुखाग्नि अवश्य दें। स्वामी जी ने, आचार्य जी ने और मैंने तीनों ने मिलकर मुखाग्नि दी। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने समिधा डाली और राजीव भाई पंचतत्व में विलीन हो गये।

अब उनका शरीर हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका विचार, उनके संकल्प हमारे साथ हैं उन्हें ही पूरा करना है। गंगा में उनकी अस्थियों को इस संकल्प के साथ प्रवाहित किया कि राजीव भाई के विचार पूरे देश में फैलाने हैं। गंगा जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ-वहाँ राजीव भाई के विचार फैलेंगें और उन्हीं किनारों पर फिर से वे पैदा होंगे। राजीव भाई की जन्मभूमि गंगा के किनारे ही रही और वे फिर से उन्हीं किनारों पर पैदा होंगे।

स्वदेशी के प्रति राजीव भाई की अगाध श्रृद्धा और तड़प को शत:शत: नमन, इस तड़प और श्रृद्धा को लेकर हम सब इस लड़ाई को जारी रखेगें......

प्रदीप दीक्षित (सेवाग्राम वर्धा 13-2-2012)

-3-

विश्व व्यापार संगठन
W.T.O.

(श्री राजीव दीक्षित जी –द्वारा अमरावती में दिया गया व्याख्यान)

एक समझौता आप करते हैं जिसका नाम है W.T.O. अर्थात विश्व व्यापार संगठन। अर्न्तराष्ट्रीय समझौते जब किए जाते हैं तो जिस तारीख को हस्ताक्षर होता है उस तारीख से कुछ समय के लिए छूट मिलती है। इतने समय में आप तैयारी कर लें अपने देश में लागू करने की।

तो भारत सरकार ने 15 दिसम्बर 1994 को इस पर (W.T.O. पर) हस्ताक्षर किया। दस साल तक हमें ग्रेस पीरियेड मिला। माने छूट मिली। वो दस साल अभी पूरा हो गया। 15 दिसम्बर 2004 को। 1 जनवरी 2005 से वो सब शर्तें लागू हो जायेंगी। जो कुछ इस गैट करार में है W.T.O. में है। उन शर्तों के आधार पर देश का शासन चलेगा। देश की सरकार चलेगी। देश की पूरी व्यवस्था चलेगी। आपके देश की संसद द्वारा कहे हुए पर अब इस देश की सरकार नहीं चलेगी। आपके देश की अगर विधानसभायें कुछ तय करें। उसके अनुसार अब सरकार काम नहीं करेगी। अब जो भी सरकारें भारत में आयेंगी। वो किसी भी राजकीय पक्ष की हों। एक पार्टी की हो, दो पार्टी की हों या तीन पार्टी की हों। या पार्टीयों की समूह की सरकारें हों। उनको वहीं करना पड़ेगा जो W.T.O. में लिखा हुआ है। जो विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में कहा गया है या गैट करार की शर्तों में कहा गया है।

मैं आज जब आपसे इस विषय पर बात करने आया तो मेरे साथ गैट करार की कॉपी लेकर आया। विश्व व्यापार संगठन का समझौता जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है। वो मेरे साथ लाया हूँ। उस समझौते का जो ड्राफ्ट है वो मेरे हाथ में है। बस इतना ही मैंने किया है कि इस पर एक कवर चढ़ा दिया है। क्योंकि

यह बार-बार मुझे इस्तमाल करना पड़ता है। तो इसके उपर कवर है और अन्दर वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। यह पूरा ड्राफ्ट लगभग पाँच सौ छियत्तर पेज का है और इस पाँच सौ छियत्तर पेज के ड्राफ्ट में दो हजार से ज्यादा शर्तें हैं। इन सभी शर्तों पर अलग-अलग अध्याय बने हुए। जैसे इसमें कुल मिलाकर लगभग 28 अध्याय हैं। इस पाँच सौ छियत्तर पेज को 28 अलग-अलग अध्याय में बाँटा गया है। 28 चेप्टर हैं अलग-अलग अध्याय के अलग-अलग नाम हैं। जैसे एक अध्याय हैं 'एग्रीमेन्ट ऑन एग्रीकल्चर'। कृषि विषय का समझौता। एक अध्याय हैं 'एग्रीमेन्ट ऑन ट्रिप्स' (Trips- Trade Related Intellecutal Properties Rights) अर्थात पेटेन्ट कॉपी राईटस और यह जो मार्क के समझौते जो हैं। हर एक कम्पनी का अपना एक विशेष तरह का चिन्ह होता है। वो कॉपी राईटस पेटेन्ट, उसके समझौते ट्रिप्स में है। फिर इसी तरह से इसमें एक और अध्याय है 'एग्रीमेन्ट ऑन सर्विसेस'। सेवा के व्यापार का समझौता। फिर इसी तरह से इसमें एक अध्याय हैं 'एग्रीमेन्ट ऑन सेनोड्रियल फायनोसेनोड्रियल'। इसमें और एक अध्याय है 'एग्रीमेन्ट ऑन टैक्स टाईल्स'। यह जो कपड़े का व्यापार है उसका समझौता। तो कुल मिलाकर इसमें 28 अध्याय हैं। हर एक अध्याय अपने आप में एक एग्रीमेन्ट जैसा है। समझौते के बराबर है। तो कुल अध्याय 28 हैं। इनमें सबको मिलाकर इसको W.T.O. एग्रीमेन्ट कहा जाता है। गैट करार कहा जाता है।

इस गैट करार पर जब हस्ताक्षर हुआ था 15 दिसम्बर 1994 को। तो हमारे देश की सरकार ने बार-बार यह कहा था कि हम इसमें हस्ताक्षर नहीं करेगें। संसद के अन्दर कहा था। संसद के बाहर कहा था और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री रुपेश ने कहा- 14 दिसम्बर 1994 तक हमारी सरकार कह रही थी कि हम W.T.O. पर, गैट करार पर हस्ताक्षर नहीं करेगें। लेकिन अचानक 15 दिसम्बर 1994 को यह हस्ताक्षर कर दिये गये। और 16 दिसम्बर को मेरे जैसे आदमी को, आपको, सभी को अखबारों में माध्यम से सूचना मिली। अखबारों के माध्यम से पता चला। संसद में भी माहिती नहीं आयी थी। उसके पहले भारत की सरकार के जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने यह हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने न्यूज पेपर को बताया। रिपोर्टर्स को बुलाया। रिपोर्टर्स को बुलाकर कहा कि हमने इस गैट करार पर हस्ताक्षर किया। बहुत सारे पत्रकारों ने उनको पूछा कि कल तक तो आप कहते थे कि हम हस्ताक्षर नहीं करेगें। अब एक दिन में आपने यह हस्ताक्षर कर के मत परिवर्तन कैसे किया। मन बदल दिया। ऐसा कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा था। वह बात मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। वो बात अंग्रेजी में कहीं गई थी। Beggars have no choice । सरकार की ओर से कहा गया Beggars have no choice माने जो भिखारी होते हैं उनका

कोई अपना मन्तव्य नहीं होता है। उनकी कोई अपनी चॉईस नहीं होती। माने भिखारी वही करता है जो भीख देने वाला कराता है। माने आपको कोई भीख दे रहा है आप भीख ले रहे हैं। तो जो भीख देने वाला आपसे कहेगा वो ही आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है Beggars have no choice। यह सरकार की ओर से कहा गया था।

हमारी सरकार की इस देश में ऐसी स्थिति क्यूँ बनी कि हमने गैट करार पर हस्ताक्षर किया। इसपर भी मैं आपसे बात करूँगा लेकिन वो बात करने से पहले गैट करार शुरु कैसे हुआ इसपर बात करता हूँ ताकि आपको इसका इतिहास भी पता हो। गैट करार की शुरुवात हुई 1948 में। गैट एक शब्द है अंग्रेजी का। GATT उसका पूरा अर्थ है (General Agreement On Trade and Terrif) ट्रेड का मतलब आप समझते हैं व्यापार। टेरिफ का मतलब होता है बाहर से आनेवाली या लायी गई वस्तुओं पर लगा ये गया टैक्स। उसको हम टेरिफ कहते हैं। तो व्यापार और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया गये टैक्स का एक सामान्य समझौता। जिसको गैट के नाम से जाना जाता है। सन 1948 में यह शुरु हुआ था। इस कि शुरुवात कैसे हुई थी। दुनिया के 23 देशों ने मिलकर इसको शुरु किया था। वो 23 देशों में से भारत भी एक देश था। 1947 में भारत आजाद हुआ।

आप जानते हैं 15 अगस्त को और 1948 में गैट करार शुरु हुआ। माने भारत शुरु से ही गैट करार में शामिल था। माने गैट को शुरु करवाने वाले देशों में से भारत एक महत्वपूर्ण देश था। भारत के साथ और भी कई देश थे। एक देश था अमेरिका। दूसरा था ब्रिटेन। एक था फ्रान्स। एक था जर्मनी। ऐसे दुनिया के 23 देशों ने यह गैट करार शुरु किया था।

इसके शुरुवात की एक घटना आपको बताऊ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आयेगा। यह क्यूँ शुरु किया था। जरुरत क्या थी इसकी। जरुरत यह थी कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध शुरु हुआ था और 1948 में दूसरा विश्व युद्ध पूरा हुआ था। तो यह 1945 से लेकर 1948 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला। इसमें दुनिया के अमीर देशों की सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। खलास हो गई थी। अमीर देशों में अगर आप गिनती करना चाहे तो ब्रिटेन उस समय काफी कुछ ऊपर था। ब्रिटेन के नजदीक में फ्रान्स। फ्रान्स के नजदीक में जर्मनी। जर्मनी के नजदीक में स्पेन, पूर्तगाल, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, फिनलैण्ड और उनके साथ अमेरिका, कनाडा, यह सब अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में नुकसान हुआ था अमीर देशों को श्रीमंत देशों को, सबसे ज्यादा नुकसान

हुआ था। नुकसान किस स्तर पर हुआ था। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खलास हो गई थी। जर्मनी और फ्रान्स तो इस स्थिति में आ गए थे कि वहाँ के लोगों की हालत भुखमरी जैसी हो गई थी। इण्डस्ट्रीज सब चौपट हो गई थीं। कम्पनियां सब बन्द हो गई थीं। लाखों लोग युद्ध में मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर जिन इतिहासकारों ने जो काम किया है। उनका कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत तबाही हुई थी और इस तबाही में पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में फायदा अगर किसी देश को हुआ था। तो वह एक ही देश था जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका को बहुत फायदा हुआ था। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान नहीं हुआ उसका कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण यह था कि दुसरा विश्व युद्ध अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में जो जमीन इस्तमाल की गई, जो स्थान था युद्ध का, वह यूरोप था, में भी सेन्ट्रल यूरोप था। केन्द्रीय यूरोप था। केन्द्रीय यूरोप जिसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को दो कारणों से हुआ। एक कारण अमेरिका की जमीन पर युद्ध नहीं हुआ था। दूसरा अमेरिका को लाभ इस युद्ध में यह हुआ था कि अमेरिका की बड़ी-बड़ी हथियार बनाने वाली कम्पनियों को जबरदस्त ऑर्डर मिले थे दूसरे विश्व युद्ध में। जर्मनी ने जो हथियार इस्तेमाल किए फ्रान्स के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ या स्पेन के खिलाफ, वो सारे के सारे हथियार अमेरिका ने बेचे और दूसरी तरफ जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन ने और फ्रान्स ने जो हथियार इस्तमाल किए। वो भी अमेरिका ने बेचे। माने अमेरिका दोनों तरफ हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश था। अमेरिका की यह जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं। जिनके नाम कभी आप अखबारों में पढ़ते है। जैसे जनरल मोर्टस, जिओन और रेक्सोन, एक पेरेथिओन, हेक्सऑन, ऐसे-ऐसे यह आय.टी. टी. कॉपरकोनीकोट। ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े कम्पनियों के नाम आप सुनते हैं यह सब हथियार बनाने वाली बड़ी कम्पनियां है। इन हथियार बनाने वाली कम्पनियों को जबरदस्त मुनाफा हुआ था। इन्होंने जो मित्र देश थे, मित्र देश माने ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले देशों को मित्र देश कहा जाता था। जर्मनी के साथ मिलकर लड़ने वाले देशों को शत्रु देश कहा जाता था। तो मित्र देशों को भी हथियार अमेरिका बेच रहा था और शत्रु देश को भी हथियार अमेरिका बेच रहा था। अमेरिका की दसों उगुँलियां घी में थी। आप ऐसा कह सकते हैं।

तो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी देश को हुआ तो वह था अमेरिका। और सबसे बड़ा नुकसान जिन देशों को हुआ यूरोप के देशों को फ्रान्स, जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, ब्रिटेन आदि-आदि देशों को। जिन देशों

को नुकसान हुए उन देशों ने आपस में बैठकर कुछ समझौते किए। उनमें से एक समझौता यह था कि युद्ध अब समाप्त हुआ है। हम को आगे बढ़ना है। तो एक दूसरे को सहयोग करना सीखना चाहिए। तो यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक समझौता किया। जिसको 'नो वॉर एक्ट' कहा जाता है। वो समझौता यूरोप के देशों ने इसलिए किया ताकि भविष्य में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगें। क्योंकि युद्धों के भयंकर दुष्परिणाम उन्होंने देखे थे। तो युद्ध नहीं लड़ेगें। ऐसा समझौता उन्होंने तय कर लिया और वो समझौता आज तक कायम है।

1945 से सन् 2004 तक यूरोप के देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1945 से सन् 2004 के बीच में दुनिया में 345 युद्ध हो चूके हैं। लेटेस्ट युद्ध जो है वो इराक का है। इराक से पहले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पहले आप जानते है कुवैत का। कोरिया का। वियतनाम का। ऐसे चिली का। कोस्टारिका का। कोलम्बिया का। भारत-पाकिस्तान का। बांग्लादेश का। ऐसे कुल मिलाकर सूची बनाई जाए। तो 1945 से सन 2004 के बीच में 345 युद्ध हो चूके हैं। आने वाले समय में और भी युद्ध होने की तैयारी है। सीरिया में युद्ध। इराक में युद्ध हो सकता है। इरान में युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने यह घोषित कर दिया है। कोरिया में भी युद्ध होने की सम्भावना है। तो युद्ध तो लगातार होते रहेगें। 1945 के बाद दुनिया में कोई शांति स्थापित नहीं हुई हैं लगातार युद्ध हो रहे हैं। लेकिन यूरोप की जमीन पर नहीं हो रहे हैं, ध्यान देने की बात यह है। क्यूँ-क्योंकि यूरोप के देशों ने आपस में एक समझौता किया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगें नहीं। लेकिन यह जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जो युद्ध हुए हैं। इन्हीं युद्धों में अभी फायदा किस को हो रहा है। अभी फायदा अमेरिका और यूरोप को बराबर हो रहा है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में फायदा सिर्फ अमेरिका को। 1945 के बाद जो दुनिया में 345 युद्ध हुए हैं उसमें फायदा यूरोप को भी हो रहा है और अमेरिका को भी हो रहा है। कैसे हो रहा है। यूरोप की बड़ी-बड़ी कम्पनियां हथियार बना रही हैं और दुनिया के देशों को बेच रही हैं। अमेरिका की भी एक दो कम्पनियां हथियार बना रही हैं और दूसरे देशों को बेच रही हैं।

अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ते हैं तो दो-तीन दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की एक बड़ी कम्पनी जो एफ-16 विमान बनाती है। उसने पाकिस्तान को यह बेचना शुरु किया है। परिणाम क्या निकलेगा। भारत भी वही खरीदेगा। क्योंकि पाकिस्तान से डर है और पाकिस्तान को भारत से डर है। तो अमेरिका ने

पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरु किया। तो भारत सरकार भी खरीदेगी। थोड़े दिन बाद पाकिस्तान की सरकार और ज्यादा खरीदेगी। तो भारत सरकार भी और ज्यादा खरीदेगी। तो अमेरिका का दोनों देशों में व्यापार चल गया हथियार बेचने का एफ-60 प्लेन बेचने का। और एफ-60 का फायटर प्लेन कोई कोलगेट का पेस्ट नहीं हैं जो दस-बीस रुपये में बेचा जाए। यह तो ऐसा फायटर प्लेन हैं जो अरबों डॉलर में बिकता है और इसका मुनाफा हजारों प्रतिशत में होता है। ऐसे ही तरीके से हथियार बेचने का काम किए जाते हैं एक देश को देना तो पड़ोसी देश अपने आप खरीदेगा। तो फिर उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा। फिर उसका पड़ोसी खरीदेगा। तो हथियारों की एक अंधी दौड़ जो पूरी दुनिया में चल रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद तब से बड़ा लाभ अमेरिका को हो रहा है। यह लाभ जो है इतना अधिक है यह दोनों इलाको में अमेरिका और यूरोप के इलाको में पिछले सालों में अभुतपूर्व समुद्धि आयी है।

50 साल पहले का यूरोप का अगर आप अध्ययन करें। अमेरिका का अध्ययन करें। तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय या इनकम पर कॅपीटा हजारों गुनी बढ़ी हैं सिर्फ इन युद्धों के होने से। क्योंकि इनको भयंकर हथियार बेचने के रास्ते खुल गए हैं।

तो इस तरह से दुनिया चल रही है और यह युद्ध किस तरह से किए जाते हैं या करवाये जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ आपको बिलकुल यह स्पष्ट समझ में आ जायेगा कि हथियार कैसे बेचे जाते हैं। 1989 में अमेरिका का एक अखबार है। उसका नाम है 'वॉशिग्टंन पोस्ट'। उसमें एक खबर आयी जुलाई के महिने में। 16 जुलाई को 1989 में अमेरिका का बहुत बड़े पैमाने पर बिकने वाला अखबार 'वॉशिग्टंन पोस्ट' उसके फ्रन्ट पेज पर खबर छपी। खबर यह थी कि इराक और इरान नाम के दो देश हैं। इनके बीच में एक क्षेत्र है। दो देशों के बीच में एक क्षेत्र हैं। जिसको अरबी भाषा में 'शत-अल-अरब' देश कहा जाता है। तो शत-अल-अरब नाम का जो क्षेत्र हैं दो देशों के बीच में। इस क्षेत्र में भयंकर मात्रा में तेल छुपा हुआ है। यह खबर वॉशिगटंन पोस्ट के फ्रन्ट पेज पर छप गई। अभी यह खबर जब छपी तो दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हो गए और उन्होंने देखना शुरु किया कि यह जो शत-अल-अरब क्षेत्र हैं इसमें इतना अधिक तेल है। और खबर जब छपी तो उसमें रेफरन्स यह दिया गया कि अमेरिका के जो सेटेलाईट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। उनसे मिली जानकारी के अनुसार तो और ज्यादा विश्वास हो गया। इसमें अविश्वास का कोई कारण ही नहीं।

तो इरान और इराक इन दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हो गए और दोनो देशों ने यह कहना शुरु किया कि यह जो शत-अल-अरब क्षेत्र है जिसमें भरपूर मात्रा में तेल छुपा हुआ है यह हमारा है। दोनों ने क्लेम करना शुरु किया। इरान ने क्लेम किया। इराक ने क्लेम किया। जब दोनों देशों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार जताना शुरु किया। तो दोनों के बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो इनका झगड़ा युनाइटेड नेशन्स में गया। संयुक्त राष्ट्र इसी के लिए बनाया गया है। दो देशों के आपस के झगड़े का निपटारा करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि यह काम करता है अमेरिका के इशारे पर। पूरी तरह से वो अमेरिका कि जेब में रहने वाला संगठन हो गया है। अमेरिका किसी भी देश पर अगर हमला करना तय कर ले तो संयुक्त राष्ट्र उसको पलट नहीं सकता। जैसा कि अभी आपने इराक के केस में देखा।

इराक के केस में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई रिपोर्ट यह कहती है कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं हैं। अमेरिका कहता है कि है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हम आपको युद्ध की अनुमति नहीं दे सकते। तो अमेरिका ने कहा कि तुम बाजू में बैठो हम युद्ध शुरु करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सारे प्रस्ताव का उल्लघंन करके अमेरिका ने युद्ध शुरु किया और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा शेर है। जिसके दांत नहीं हैं। किसी को काट नहीं सकता सिर्फ घुरर्रा सकता है। बस, अमेरिका के जेब में रहता है संयुक्त राष्ट्र। क्योंकि अमेरिका के दिए गए फंडस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी व्यवस्था चलती है। फंडस तो दूसरे देश भी देते हैं। लेकिन अमेरिका कुछ ज्यादा फंडस देता है। तो उसकी बात माननी पड़ती है।

तो इसी तरह से जब 1989 में यह घटना घटित हुई। तो संयुक्त राष्ट्र में यह मामला गया और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। लिहाजा दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करना तय कर लिया। जब फैसला नहीं हो पाया झगड़े का तो इराक और इरान एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। उसी टाइम में सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेन्ट बना और इसको अमेरिका ने प्रेसिडेन्ट बनवाया। क्योंकि अमेरिका द्वारा एक समर्थन पार्टी है। उसका नाम हैं बाथ पार्टी। जिसका वो लीडर था सद्दाम हुसैन। तो बाथ पार्टी को सत्ता में लाने का काम अमेरिका ने करवा दिया। सद्दाम हुसैन को लीडर बनवाने का काम अमेरिका ने करवा दिया। जिस समय सद्दाम हुसैन लीडर बना इराक का। उस समय पढ़ाई करता था। लॉ का स्टुडेन्ट था। सेकन्ड इयर में था बगदाद युर्निवसिटी में। सद्दाम हुसैन की बहुत नजदीकी रही अमेरिका से। तो अमेरिका ने पैसा देकर समाचारों में उसके बारे में

काफी कुछ अच्छा लिख कर लीडर बना दिया और सद्दाम हुसैन लीडर बनकर प्रेसिडेन्ट हो गया और प्रेसिडेन्ट होने के बाद अमेरिका के कहने पर इरान के खिलाफ युद्ध शुरु किया। इधर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार बेचना शुरु किया। और अमेरिका ने इरान को भी हथियार बेचना शुरु किया। दोनो देशों ने भरपूर हथियार खरीदे और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए।

दस साल तक यह युद्ध होता रहा इराक और इरान का। लाखों लोग इसमें मारे गए और हजारों करोड़ों डॉलर के हथियार इसमें खर्च हो गए। दस साल के बाद फिर क्या हुआ। जब अमेरिका की कम्पनी ने भरपूर हथियार बेच दिए। उनके सारे खजाने खाली हो गए। सारे गोडाऊन्स् खाली हो गए। तब अमेरिका ने दोनो देशों से कहा कि अब शांति वार्ता करो। दस साल तक युद्ध करवाया। फिर कहा अब शांति वार्ता करो। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया युनायटेड नेशशं का। उसमें दोनों देशों को साथ बैठाया गया और फिर उनको यह कहा गया कि अगर आपके इस क्षेत्र में तेल है तो तेल की खोज कर लो और मिलकर आधा-आधा बाँट लो। है ना, कितना सरल है। लेकिन दस साल बाद जब यह युद्ध हो गया। हथियार सब बेच दिये गए। खजाने खाली हो गए। तो दोनो देशों को साथ बिठाकर यह कहा गया कि तेल है तो खोज लो। मिले तो आधा- आधा बाँट लो। इसमें युद्ध करने की क्या जरुरत है। परेशानी क्या है। अब दोनो देशों ने यह कहा कि हम अगर तेल की खोज करे तो हमारे पास उतनी इनवेस्टमेन्ट नहीं है। पूंजी नहीं है। क्योंकि हथियार खरीदने में दोनों देशों के सारे पैसे खर्च हो गए। जितना भी रिजर्व था खजाना तो सब खाली हो गया। पैसा तो सब अमेरिका चला गया हथियार खरीदने में। अमेरिका ने कहा- पैसे हम लगा देते हैं। राइट्स् हमको दे दो। तो अमेरिकी कम्पनियों को वहाँ तेल खोजने का पूरा अधिकार मिल गया। अमेरीकी कम्पनियों ने उस इलाके में तेल खोजना शुरु किया। दो साल के बाद अमेरीकी कम्पनियों ने कहा कि इस इलाके में कोई तेल नहीं है। आप देखिए, अब इस इलाके में कोई तेल नहीं है। तो दोनों देश खामोश होकर शांत बैठ गए। दस साल पहले यह खबर आयी वॉशिग्टन पोस्ट में कि इस में भरपूर तेल है। तो इन लोगों ने शिकायत किया वॉशिग्टन पोस्ट के खिलाफ। जब वॉशिग्टन पोस्ट के खिलाफ शिकायत हुई तो वॉशिग्टन पोस्ट के एडिटर ने क्षमा माँग लिया। कि हमसे गलत खबर छप गई। माफ कर दीजिये हमको और अमेरिका ने भी उसकी पैरवी कर दिया। की हाँ-हाँ, माफ कर दीजिये। कभी गलत खबर छप जाती है। तो कहा गया कि खबर तो अमेरिका के सेटेलाइट के माध्यम से आयी थी। तो उसने कहा कि सेटेलाइट भी गलती कर सकता है। मशीन है ना। मशीन तो गलती कर ही सकती है। जब मनुष्य

गलती कर सकता है। तो मशीन भी गलती कर सकती है। तो लिहाजा वो चेप्टर वहाँ पर खतम हो गया। लेकिन खुबसूरती पूरी दुर्घटना की यह हुई कि दोनो देशों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। एक ही कौम को मानने वाले। एक ही मजहब को मानने वाले। एक साथ अल्लाह की प्रार्थना करने वाले लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। उनके बँटवारे हो गए और झगड़े शुरु हो गए। जो आज तक रुके नहीं। तो युद्ध कैसे करवाये जाते है। इसकी मैंने आपको एक मिसाल दिया।

तो इसी तरह से वियतनाम में हुआ था। इसी तरह से कोरिया में हुआ था। इसी तरह से लेटिन अमेरिका के चिली, कोस्टारिका, कोलम्बिया जैसे देशों में हुआ था। तो दुनिया में ऐसे-ऐसे छोटे देशों में जहाँ पर सरल प्रकृति के लोग रहते हैं। जिन की प्रकृति बहुत सरल और सहज होती है। उन देशों के नेताओं को बरगला कर, अधि ाकारियों को खरीदकर, लोगों का दिमाग बदल के कैसे युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। उसके लिए पिछले पचास साल से-पचपन साल से सत्तावन साल से 1945 से बहुत बड़ा प्रयास यूरोप और अमेरिका द्वारा हो रहा और वो प्रयास यह है कि उनको हथियार बेचने हैं। हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है और मुनाफा कमाकर अपने देश को अमीर, और अमीर, और अमीर बनाते चले जाना है।

इस घटना से एक बात सबक लेनी चाहिए वो यह कि मैं आपके दिमाग में यह लाने की कोशिश कर रहा हूँ कियूरोप और अमेरिका के देशों में अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमाई अगर कहीं से होती है तो वो हथियारों की बिक्री से होती है। हथियारों की बिक्री यूरोप और अमेरिका की कमाई का सबसे बड़ा धन्धा है। अगर हथियारों की बिक्री यह लोग सबसे बड़े पैमाने पर करते हैं। तो शांति कैसे स्थापित हो सकती है। आप जरा सोचिए। जितने ज्यादा हथियार बिकेगें उतनी ही ज्यादा अशांति होने की सम्भावना है। जितने ज्यादा बम बनेगें उतने ही ज्यादा युद्ध होने की सम्भावना है। तो मजे की बात यह है कि यूरोप और अमेरिका के देश सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार बेचते हैं और यही देश दुनिया में सबसे ज्यादा शांति की बात करते हैं। आपको हर तीसरे या दूसरे दिन अमेरिका के मंत्री का, राष्ट्रपति का अखबारों में बयान मिल जायेगा कि भारत-पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए। आता है न, अक्सर कभी स्ट्रोक स्टोल बोटा यहाँ आकर बोल जाता है। कभी उनकी कोई महिला यहाँ आकर बोल जाती हैं, वो पोन्डोलिसा राइसा। कभी जॉर्ज बुश स्टेटमेन्ट दे देता है। पहले बिल क्लिन्टन स्टेटमेन्ट देता था भारत-पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए। वो लोग यह कहते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं और बेचते हैं। और हथियारों का अन्तिम उद्देश्य सिर्फ यही होता है-युद्ध-युद्ध और युद्ध। सबसे ज्यादा अशांति फैलाने वाले लोग जो हैं, वो ही लोग शांति की बात करके आपको और मुझको मूर्ख बनाते हैं और हम सब भोले- भाले, सीधे-साधे लोग मूर्ख ही बन जाते हैं।

अगर हम अमेरिका और यूरोप के देशों को पलटकर यह कहना शुरु कर दें कि हम भारत-पाकिस्तान में तो दोस्ती हो जायेगी। दुनिया के सभी देशों में दोस्ती हो जायेगी अगर अमेरिका की सब बड़ी-बड़ी कम्पनियां हथियार बनाना बन्द कर दे। तो यह बात वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम हथियार बनाते ही रहेगें तुम मत बनाओ। न्यूक्लियर बम चाहिए तो अमेरिका के पास आओ तुम मत बनाओ। अगर तुम बनाओगें तो हम तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा देगें। तुम फाइटर प्लेन मत बनाओ, तुम मिसाईल मत बनाओ, तुम कुछ भी मत करो। तुमको अगर जरुरत है तो हमारे पास आओ। आप देखते हैं ना कि जिस दिन भारत की सरकार मिसाईल का परीक्षण करती है उसी दिन अमेरिका की तरफ से कोई बयान आ जाता है कि, हम चाहते हैं शांति स्थापित हो इस क्षेत्र में। क्यो वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो इस क्षेत्र में? वो इसलिए नहीं चाहते कि सच में शांति स्थापित हो, वो इसलिए चाहते हैं कि भारत अगर मिसाईल बनाते जायेगा और अच्छी मिसाईल्स बनायेगा तो अमेरिका की मिसाईल कौन खरीदेगा? अगर हमने न्यूक्लियर बम बना लिया और जरुरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर लिया तो वो हमारे उपर निर्भर है। तो फिर अमेरिकी बम कौन खरीदेगा? तो उनको अपना मार्केट बनाके रखना है, तो दूसरे देशों को यह सिखाना है कि तुम कुछ मत बनाओ। हम हथियार बनाते रहें और तुम खरीदते रहो। अगर तुम्हें जरुरत पड़े तो तुम हमसे खरीद लो, हमको पैसा देते रहो ताकि इकोनमी हमारी चलती रहे और तुम शांति से अपने यहाँ बैठे रहो। तुम कुछ मत बनाओ, तुम कुछ मत करो। यह उनकी फिलॉसफी है या फिर उनकी पॉलिटिक्स है। यही उनकी राजनीति है।

यह राजनीति उनके यहाँ एक स्तर पर चलती रहे और इसका सबसे बड़ा नंगा स्वरुप अगर आपने देखा हो तो आपको दिखाई दे जायेगा, देखिए कैसे होता है यह? यूरोप के कुछ देशों ने इराक युद्ध का विरोध किया था आपको मालूम है फ्राँन्स ने किया, लेकिन आपको मालूम है इन्होंने हथियार बेचने से अपने को पीछे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए लेकिन युद्ध तो हुआ और हथियार भी बिके। और हथियार बेचने से अपने को पीछे नहीं रखा। फ्राँन्स भी आगे है, जर्मनी भी आगे है, ब्रिटेन भी आगे है, हथियार बेचने में। और यह नूरा कुश्ती होती रही। हिन्दी में एक शब्द होता हैं नूरा कुश्ती यानी बाहर से लगता है कि सच में दो पहलवान लड़ रहे हैं, लेकिन अन्दर से दोनों एक ही हैं। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के कभी-भी दुश्मन नहीं है। आपको और मुझे बताने के लिए ये लोग कभी-कभी दुश्मनी का नाटक करते हैं। जैसे फ्राँन्स और जर्मनी ने अमेरिका का बहुत विरोध किया इराक युद्ध के विरोध में। लेकिन वास्तविकता में अन्दर खाने

क्या हुआ? फ्रॉन्स ने भी हथियार बेचे, जर्मनी ने भी हथियार बेचे। ब्रिटेन ने भी हथियार बेचे और अमेरिका ने भी हथियार बेचे। अरबों डॉलर के हथियार अभी इराक के युद्ध में इस्तेमाल हुए। इसी तरह अफगानिस्तान में भी हुआ। तो युद्ध की जो राजनीति है। यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली राजनीति हैं यूरोपियन देशों को और अमेरिका के देशों को।

दूसरी एक बात हमें और भी समझनी चाहिए, वो यह समझनी चाहिए कि ये यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं, हथियारों का उत्पादन करने वाले जो देश है। हथियारों अलावा ये दवाईयाँ भी बनाते हैं, रासायनिक खाद भी बनाते हैं, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, जूते-चप्पल भी बनाते हैं, खेलकूद के खिलौने भी बनाते हैं, यह सारी चीजें बनाते हैं और युद्ध के अलावा वो जो कुछ भी बनाते हैं उसको खपत करने की गुंजाईश उनके यहाँ बहुत कम है। अर्थात अमेरिका और यूरोप के देशों में युद्ध के अलावा जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है, उनकी खपत उनके यहाँ सबसे कम होती है। कारण क्या हैं। यूरोप और अमेरिका की आबादी बहुत कम है, यूरोप की कुल आबादी अगर आप गिनना शुरु करें, तो गिनिए फ्रॉन्स की आबादी साढ़े छः करोड़। ब्रिटेन की आबादी साढ़े छः करोड़ के आस पास। जर्मनी की आबादी लगभग पाँच करोड़ साढ़े पाँच करोड़ के आस पास। स्वीडन की आबादी एक करोड़ के आस पास। स्विटजरलैण्ड की आबादी एक करोड़ से कम। डेनमार्क, नार्वे, फिनलैण्ड ये तीनों देशों की आबादी एक करोड़ से कम। इन सभी देशों की कुल आबादी बहुत कम है। यूरोप के सभी देशों को अगर एक साथ इकठ्ठा कर दें तो भारत के एक प्रदेश से भी बहुत छोटे हैं। उत्तर प्रदेश से, हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी अठारह करोड़। अठारह कोटि। तो इन देशों की आबादी बहुत कम है। आबादी कम होने से कन्ज़म्पशन कम है। उत्पादन तो बहुत है लेकिन उपभोग उसका उतना नहीं है। लेकिन अमेरिका की आबादी अगर आप कुल मिलाकर देखो तो सत्ताईस करोड़ है तो सत्ताइस करोड़ अमेरिका की और यूरोप के देशों की कुल आबादी को अगर जोड़ दिया जाये तो यह दुनिया का कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा बैठेगा चालीस पचास करोड़ के आस-पास का एरिया हैं इससे ज्यादा लोग यहाँ नहीं रहते। तो इनके यहाँ लोग बहुत कम रहते है और दुनिया में इस समय कुल मिलाकर देखा जाए तो साढ़े छः सौ करोड़ लोग रहते है। साढ़े छः सौ करोड़ में से मात्र पचास करोड़ लोग यूरोप और अमेरिका में रहते है।

तो इनके यहाँ समस्या क्या होती है कि ये टूथपेस्ट बनाते हैं इस हिसाब से कि सौ करोड़ लोग इस्तेमाल करें, टूथ पाउडर बनाते हैं इस हिसाब से कि सौ करोड़

लोग इस्तमाल करें। ये कोई भी चीज बनाते हैं इस हिसाब से कि सौ करोड़ लोग इस्तेमाल करें। लेकिन उनके यहाँ इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इनके यहाँ होता क्या है उत्पादन तो बहुत ज्यादा होता है खपत उसकी होती नहीं। उन्होंने ऐसा आर्थिक सिद्धान्त अपनाया हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, अरे! खपत होती नहीं उत्पादन बढ़ाने से फायदा क्या? तो कहते हैं- खपत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में अपना माल बेचते जाओ,बेचते जाओ, बेचते जाओ। तो माल बने अमेरिका और यूरोप में, बिके दूसरे देशों में जाकर। तो इनकी कोशिश क्या रहती है यूरोप और अमेरिका देशों की, ये जो भी माल पैदा करें। दूसरे देशों में इनका माल बिकता रहे। ज्यादा से ज्यादा इनका माल बिकता रहें, इसके लिए कुछ भी साम-दाम-दण्ड-भेद हर तरह की नीति अपनाने के लिए लगे रहते हैं।

अमेरिका में पैदा हुआ माल, यूरोप के देशों में पैदा हुआ माल भारत में बिके, पाकिस्तान में बिके, बांग्लादेश में बिके, और पड़ोसी हमारे कोई भी देश फिलिपीन्स में बिके, इंडोनेशिया में बिके, मलेशिया में बिके, सब देशों में उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके। क्योंकि उनके यहाँ अपना माल बिकने की गुंजाईश कम है, तो इस कोशिश में ये लगे रहते हैं। अब कोई देश अपने अतिरिक्त माल को जिसको सरप्लस कहते हैं सरप्लस प्रोडक्ट को दूसरे देश में जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है और यूरोप और अमेरिका के देश जबरदस्ती अपना माल दूसरे देश में ले जाकर बेचने की कोशिश करते रहें तो आपस में झगड़े होते रहे। तो इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए गैट नाम की एक संस्था बनी 1948 में, "जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड ॲन्ड टैरिफ"।

झगड़े क्या हैं! अमेरिका और यूरोप के देश यह चाहते है कि उनका सारा माल भारत में बिके। भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में उनका माल बिके तो फिर झगड़ा होगा। पाकिस्तान में चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब अमेरिका और यूरोप का माल बिके लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का माल बिके। इंडोनेशिया में अमेरिका और यूरोप के लोग चाहते हैं कि इंडोनेशिया में सब माल अमेरिका और यूरोप का बिके। लेकिन इंडोनेशिया के लोग चाहते हैं कि उनके देश में उनका माल बिके। मलेशिया के लोग चाहते हैं कि मलेशिया में हमारा माल बिके, तो इसमें झगड़े होना स्वाभावाविक है। तो इन झगड़ों का निपटारा कैसे हो, इसके लिए एक संस्था बनाई। एक संगठन बनाया। यही संस्था का और संगठन का नाम रख दिया गैट, और यह बन गया 1948 में।

मैंने आपसे पहले कहा कि भारत इसके बनाने के समय का मेम्बर रहा, अमेरिका भी इसमें मेम्बर था, फ्राँन्स भी था, जर्मनी भी था, ब्रिटेन भी था। तो दुनिया के 23 देशों ने इसको मिलकर बनाया। बाद में क्या हुआ, धीरे-धीरे धीरे-धीरे और भी देश इसमें शामिल हो गए, बाद में कुछ 35 देश आये चार-पाँच साल के बाद और 10-12 देश आये। ऐसे करते-करते करते-करते आज उसमें 126 देश शामिल हैं। दुनिया में देशों की संख्या 204 है, और उसमें से 126 देश शामिल हैं गैट नाम के संस्था के अन्दर या समझौते के अन्दर। इन सभी देशों ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया कि जब भी अतिरिक्त सरप्लस प्रॉडक्ट को जब दूसरे देशों में बेचने के लिए कोई भी झगड़ा होगा चाहे वो टैक्स का झगड़ा हो, क्वॉन्टिटी का झगड़ा हो। रिस्ट्रिक्शन का झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, इसका निपटारा करने के लिए हम आपस में मिलकर गैट के अन्दर बात करेंगे और नियम कायदे कानून उसके हिसाब से बनायेगें।

1948 में जब यह गैट शुरु हुआ। तो 1986 तक यह गैट इसी आधार पर काम करता रहा, आधार क्या? अगर किसी देश का सामान किसी दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है और वहाँ कोई झगड़ा शुरु होता है। तो उस झगड़े का निपटारा करने का काम गैट का है, इस आधार पर यह काम करता रहा 1948 से 1986 तक। लेकिन 1986 के आने के बाद 1986 का साल जब आ गया तब अमेरिका और यूरोप के देशों ने यह तय किया कि हमें गैट का उपयोग और ज्यादा तरीके से करना है और ज्यादा तरीके से क्या करना है? अगर वो अपना कोई माल लेके भारत में बेचने के लिए लाते है और भारत की सरकार कहती है कि नहीं, हम यह माल नहीं बिकने देगें और उसको रोकने के लिए वो कोई कदम उठाती है, तो अमेरिकन और यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर यह तय किया कि हम कुछ ऐसे कानून बनवाये ताकि हमारा माल रोकने के लिए दुनिया की कोई भी सरकार कदम न उठाए। अक्सर यह झगड़े होते थे कि अमेरिका का माल भारत में आया हमको इसकी कोई जरुरत नहीं है और भारत सरकार ने इस पर टैक्स लगाया। उदाहरण के लिए अमेरिका से संतरा भारत में बिकने के लिए आया हम भारत के लोग भरपूर मात्रा में संतरा पैदा करते हैं और हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है अमेरिकी संतरा खाने की और हमको उसकी जरुरत भी नहीं है। हमारे विदर्भ में बहुत अच्छा संतरा होता हैं। तो भारत सरकार ने अमेरिकी संतरे पर पाबन्दी लगाई, पाबन्दी लगाने के दो रास्ते होते हैं एक तो होता है टैरिफ माने टैक्स लगा दिया और इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमेरिकन संतरा भारत के संतरे से सस्ता न बिक पाये इतना टैक्स लगा दो। तो उसको कहते हैं टैरिफ बेरियर ताकि अमेरिकन संतरा भारत में

बिकने के लिए न आए। दूसरा होता है क्वॉन्टिटी रिस्ट्रिक्शन, यह क्या होता हैं अगर अमेरिका ने बहुत जोर डाला और भारत सरकार को कन्विन्स कर लिया, तो भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक हैं साल में दस किलो संतरा तुम अपना भारत में बेचो और अगर दस किलो से एक किलो भी ज्यादा हुआ तो हम आपके ऊपर पाबन्दी लगा देगें।

तो दो तरीके से बाहर से आने वाली वस्तुओं को रोका जा सकता है। कोई भी देश ऐसा कर सकता है। भारत भी रोक सकता है, पाकिस्तान भी रोक सकता है, अमेरिका भी रोक सकता है, फ्रॉन्स भी रोक सकता है, जर्मनी भी रोक सकता है। हर एक देश अपने देश में बाहर से आने वाले विदेशी सामानों को रोकने के लिए ये दो ही रास्ते अपनाता है या तो उसके ऊपर क्वॉन्टिटी रिस्ट्रिक्शन लगाता है या उसके उपर टैक्स इतना बढ़ा देता है ताकि वो महँगा हो जाए। इस तरीके से अमेरिका और यूरोप के सामानों को भारत में आने से रोका जाता था।

इन देशों ने क्या सोचा कि अगर हम क्वॉन्टिटी रिस्ट्रिक्शन और यह टैरीफ बेरियर इन दोनों को भी समाप्त कर लें, तो फिर भारत या भारत जैसे तमाम देश हमारा कोई माल रोक नहीं पायेगें अपने बाजार में, हम जितना चाहे उतना माल भारत और उनके पड़ोसी देशों में बेच पायेगें। उनके यहाँ परेशानी क्या है कि उनके यहाँ माल का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है। कन्जम्प्शन उसका है नहीं, और उत्पादन जब ज्यादा होता है और उपभोग उसका कम होता है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में एक संकट आता है उसको कहते है मन्दी, रिसेशन, इकॉनमी रिसेशन, आर्थिक मन्दी। तो इन यूरोप और अमेरिका के देशों में चलती हैं भयंकर आर्थिक मन्दी। मन्दी का कारण यह है कि उनके यहाँ पैदा हुआ माल ज्यादा उनके यहाँ बिकता नहीं और दूसरे देशों में बिकने की कोई गुंजाईश नहीं। माल तो ज्यादा हो रहा है उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन यह उत्पादन ज्यादा होने से उनको कोई लाभ नहीं। क्योंकि उपभोग होता नहीं तो उसका जो लाभ आना चाहिए वो आता नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अपने देश की मन्दी है उसे दूर करने के लिए हम भारत जैसे तमाम देशों में जहाँ पर बाजार बहुत है, बाजार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि 103 करोड़ की लोकसंख्या हमारी, चीन की 140 कोटि की लोकसंख्या, और अगर चीन को और भारत को मिला दें तो आधी दुनिया। 140 कोटि और 103 कोटि तो 243 कोटि हो गया, तो आधी दुनिया हो गई और फिर हमारे पड़ोसी देशों को देखें, इंडोनेशिया 18 कोटि का देश, पाकिस्तान 14 कोटि का देश, 18 कोटि के यूरोप में कोई देश नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना, कि यूरोप के जो सबसे बड़े देश हैं ब्रिटेन, फ्रॉन्स, जर्मनी ये सब सात-सात कोटि के नीचे के देश हैं।

लेकिन एक ही देश है 18 कोटि का इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर फिलिपीन्स, फिर थाईलैण्ड, फिर यह सब देश। तो यह जो सब एशिया के देश हैं। अगर एशिया को एकठ्ठा किया जाए तो यह दुनिया का, एशिया और अफ्रीका के देश देखो नाइजीरिया 19 कोटि का देश, सुडान, लीबिया 12 कोटि को देश और नीचे आ जाइए साउथ अफ्रीका 12 कोटि का देश। तो यह अफ्रीका और एशिया के देशों को इकठ्ठा कर लिया जाए तो तीन चौथाई दुनिया तो यही है, और यही तीन चौथाई दुनिया के बाजारों में अमेरिका और यूरोप के देशों का माल ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। ये देश उसके ऊपर टैरिफ बेरियर ना लगाएँ, क्वॉन्टिटी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएँ। इालिए 1986 में अमेरिका और यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर यह तय किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएँ ताकि हमारे माल के ऊपर कोई रोक टोक न लगे और इन सब देशों में हमारा माल आसानी से जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोलना शुरु किया कि गैट के नियम चेन्ज करो, गैट के कानून चेन्ज करो, गैट के नियम पुराने हो गए हैं ,तीस साल पुराने हो गए हैं पैंतीस साल पुराने हो गए हैं, चालीस साल पुराने हो गए है। नियम कब बने थे 1948 में, और बात शुरु हो गई 1986 में, तो उन्होंने बोलना शुरु किया कि गैट के नियम बहुत पुराने हो गए है। बदल करो, बदल करो। तो गैट में आपस में मिलकर इन सबने तय कर लिया कि हम अब पुराने नियम बदलेगें, तो पुराने नियम बदलेगें तो नए नियम लायेगें।

तो नए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाओ। तो एक समिति बनाई गयी। उस समिति का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया उसका नाम था आर्थर डंकल। वो समिति का अध्यक्ष बना और उसने अपनी समिति में काम करने के लिए 20-25 लोगों को चुना,कि ये लोग मेरे साथ काम करेगें। तो अब यह समिति बन गई और समिति ने काम करना शुरु कर दिया, समिति ने 1986 में यह काम करना शुरु कर दिया तो दुनिया के सभी देशों के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया, एक ड्राफ्ट बना दिया गया। उसी का नाम हो गया 'डंकल ड्राफ्ट'। बाद में उसका नाम हो गया गैट एग्रीमेन्ट और 1 जनवरी 2005 से उसका नाम हो जायेगा W.T.O.। जब यह लागू होगा तो उसका नाम होगा W.T.O. एग्रीमेन्ट। ये तीन पड़ाव इसके थे, पहले यह था गैट करार उसके पहले था डंकल प्रस्ताव, अब हो जाएगा W.T.O. एग्रीमेन्ट।

तो यह जो प्रस्ताव बना ऑर्थर डंकल के द्वारा इसमें बाद में कुछ और भी जोड़ हुआ कुछ घटाव हुआ। इसमें प्लस माइनेस होता रहा। अब यह 'फिल्म फाइनल' होके आ गया है और वही अब मेरे हाथ में है , जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ । यह जो इन्होंने बना दिया प्रस्ताव, अमेरिका और यूरोप के देशों के सरकारों के कहने पर, ऑर्थर डंकल और उसके सहयोगियों ने जो प्रस्ताव बना दिया इसमें लगभग

दो हजार शर्तें हैं और इसकी शर्तें बड़ी विचित्र-विचित्र हैं आप सुनकर आश्चर्य करेगें। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया 15 दिसम्बर 1994 को, भारत के बाद इस पर हस्ताक्षर किया अमेरिका ने। हाँ, एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं है, गैट करार पर, डंकल प्रस्ताव पर, W.T.O. एग्रीमेन्ट में भारत सरकार ने पहले हस्ताक्षर किया। अमेरिका ने उसके बाद किया है और अमेरिका के बाद यूरोप के देशों ने किया है। सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाला सबसे बड़ा देश हैं चीन, चीन ने अभी मुश्किल से दो साल पहले इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 1994 में किया हैं, अमेरिका ने 1995 में किया, यूरोप के देशों ने 1996 के बाद में किया।

अच्छा अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भारत ने पहले हस्ताक्षर किया, अमेरिका ने बाद में क्यों किया? अमेरिका के मन में पहले से एक बहुत बड़ी साजिश थी, योजना थी चोरी करने की, बेईमानी करने की, इसलिए उसने भारत को पहले प्रेशराइज किया तुम पहले हस्ताक्षर कर दो। भारत की ओर से यह बात अमेरिका के तरफ की गई कि भाई आप भी तो करो। तो कर देगें। तुम पहले करो, हम तो कर देगें। भारत की सरकार इसमें कैसे फंस गई हस्ताक्षर करने में? आप याद करिये कि जब भारत में 1991 में जो सरकार बनी थी, तो भारत की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। इतनी हालत खराब थी कि हमारे देश का सोना गिरवी रख कर हमने कर्ज लिया था बैंक ऑफ इंग्लैण्ड से, 47 मीट्रिक टन सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में। एक मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है, 47 हजार किलो ग्राम सोना हमने गिरवी रखा था। 1 किलो सोना आज लगभग 7 लाख रुपये के आस-पास है आप कल्पना कर सकते हैं कि हमने कितना देश का धन गिरवी रखा था। हालत बहुत खराब थी, हमने कर्जा लिया था सोना गिरवी रख कर।

उसी समय अमेरिकन और यूरोपियन देशों को मौका मिल गया, हमने इन देशों की तरफ भी हाथ फैलाया था कर्जा लेने के लिए, तो उसने अमेरिका से कहा कि अगर तुमको कर्जा चाहिए तो गैट करार पर हस्ताक्षर कर दो W.T.O. साईन कर दो। तो भारत सरकार को कर्जे के लालच में फंसाकर इसमें हस्ताक्षर पहले करवा लिया। अच्छा मजे की बात क्या हुई एक और इंट्रेस्टिंग बात जो आप शायद नहीं जानते कि जैसे ही भारत ने हस्ताक्षर किया उसके अगले ही दिन दुनिया के 77 देशों ने इसपर हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, 77 देशों ने अगले ही दिन कर दिया। भारत ने किया 15 दिसम्बर 1994 को और 16 दिसम्बर 1994 को इन देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। यह देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, साउथ

अफ्रीका इन सभी देशों ने भी किया। जब इन देशों से यह पूछा गया कि तुमने हस्ताक्षर क्यों किया? तो इन देशों ने कहा- कि जी भारत ने कर दिया इसलिए हमने भी कर दिया। हाँ-बिल्कुल स्पष्ट। इनका यही कहना था भारत ने कर दिया इसलिए हमने भी कर दिया। तो भारत ने क्या किया और क्यों किया। तो ये देश कहते हैं कि भारत सरकार ने किया होगा तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। हमको इसमें सोचने की भी फुर्सत नहीं है जरुरत भी नहीं हैं।

अच्छा इन सब देशों ने यह जो कहा उसमें इनका कोई दोष नहीं है। कारण क्या हैं कि ये 77 देश है ना, इसमें सभी देशों का लीडर भारत रहा है। इन देशों को दुनिया में G-77 कहा जाता हैं। इनका लीडर भारत था 94 में, भारत G-77 का अध्यक्ष था। प्रेसिडेन्ट था। तो जब प्रेसिडेन्ट ने साईन किया तो नीचे के सारे के सारे देशों ने भी साईन कर दिया। इन्होंने ना सोचा ना विचारा कि हमको क्या होगा। उन्होंने कहा जो भारत को होगा वो हमको होगा। फिर ऐसा है कि बाद में G-77 देशों में से कुछ देशों ने इसको देखा, सोचा, समझा, पढ़ना शुरु किया तो इनको लगा कि यह तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब G-77 देशों में 25-26 कुछ ऐसे देश हैं जो गैट को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे है। उनमें एक है सोमालिया, एक है इथोपिया, एक है वेस्ट इंडीज, बहुत छोटा सा देश है इसको देश नहीं कहना चाहिए। द्वीपों का समुह है टापुओं का समूह है समुन्दर के बीच में, वो बहुत बड़ा अभियान चला रहा है गैट को रद्द करने के लिए और लास्ट कॉन्फ्रेन्स जब हुआ था गैट का, तब सबसे बड़ा विरोध उन्होंने किया था वेस्ट इंडीज ने। अब वो कह रहे हैं कि धोखा हो गया, ना हमने देखा, ना हमने सोचा, ना ही हमने पढ़ा। हम तो भारत के ऊपर निर्भर थे भारत सरकार ने भी ना देखा, ना सोचा, ना पढ़ा और साईन कर दिया, और भारत सरकार का प्रॉब्लम क्या था। Bagger have no choice साईन कर दिया। हमको कर्ज लेना है तो कर्ज की शर्त लगा दी तो यह साईन कर लिया।

अब जब भारत ने हस्ताक्षर कर दिया उसके बाद अमेरिका ने हस्ताक्षर कर लिया क्यों? वो आपको मैं बताता हूँ- अमेरिका ने क्या किया कि जैसे ही हस्ताक्षर हुआ उसके तुरन्त बाद ही अमेरिका ने अपने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अमेरिकन कॉन्स्टिटयूशन में उन्होंने चेन्ज कर लिया। बिल क्लिटंन के समय अमेरिका के संसद में यह चेन्ज कर लिया। उन्होंने परिवर्तन क्या किया, अमेरिकन संविधान में प्रावधान डाल दिया जो पहले नहीं था 1994 के पहले नहीं था, 1994 में उन्होंने प्रावधान डाल दिया कि आज के बाद माने जिस दिन अमेरिका के

संविधान में परिवर्तन किया कि आज के बाद अमेरिका की संसद का बनाया गया कोई भी कानून दुनिया के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के ऊपर होगा। इसको अंग्रेजी में कहा- All ways American Law will prave All ways American Constitution will prave All ways American Parliament will be sup pried अर्थात् अमेरिकन संसद कोई कानून बनाती है और वो गैट करार से मेल नहीं खाता है। तो गैट के और संसद के कानून में झगड़ा होता है। तो गैट करार का कानून बदल जायेगा। लेकिन अमेरिकन कानून नहीं बदलेगा इसका मतलब यह है। यह उन्होंने परिवर्तन किया यह परिवर्तन उन्होंने किया तब इस परिवर्तन के बाद उन्होंने यह डलवा दिया, और यह कैसे किया है मैं आपको समझाता हूँ -

गैट एग्रीमेन्ट में एक सेक्शन है 102।, सेक्शन नं. 102। वो क्या कहता है यह मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और फिर आपको उसका अर्थ बताता हूँ- According to the Gatt Section No. 102 when there is a trade dispute under Gatt the US law will proceed over gatt यह डलवा दिया उन्होंने। अब इतने से ही सारा खेल खतम हो गया। फिर आगे The US law Proceed over Gatt in every case no justision cases no justistion most? cases until but every case अर्थात गैट करार और अमेरिकन संसद के कानून का कभी भी झगड़ा होगा तो अमेरिकन संसद का ही कानून नहीं माना जायेगा। गैट का कानून माना जायेगा किसी भी केस में किसी भी क्षेत्र में यह उन्होंने कर लिया। अमेरिका यह अगर पहले करता 1994 के पहले, तो भारत को भी मौका मिल जाता यह करने का और भारत की सरकार भी अपने संविधान में संशोधन कर लेती और यह डलवा लेती कि भारत का संविधान और गैट करार में कभी भी झगड़ा होगा तो ऑल वेज इंडियन कॉन्स्टिटयूशन विल प्रवेल या हम भी यह कर सकते थे ऑल वेज इंडियन कॉन्स्टिटयूशन विल प्रोसिड ओवर गैट इश्यूस। हम भी यह कर सकते थे कानून के तरफ से भी कर सकते थे।

अमेरिका ने यह बात अंतिम समय तक छुपा के रखी थी इतनी चालाकी के साथ यह सब किया। पहले भारत सरकार ने साईन कर दिया। फिर उन्होंने अमेण्डमेन्ट कर लिया फिर साईन किया। तो अब अमेरिका के लिए परेशानी कुछ नहीं है अगर ज्यादा से ज्यादा कोई परेशानी है तो भारत के लिए है, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया के लिए, मलेशिया के लिए, सउदी अरेबिया के लिए, ओमान के लिए, ये छोटे-छोटे देश हैं इन सबको ये परेशानियाँ है। अगर इनके संसाधनों की बात करें तो इनके पास जो संसाधन हैं उसके बारे में दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, स्किल लेबर की बात करें तो इनके

पास इतना स्किल लेबर हैं कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। रिसोर्स की बात करें तो इतना रिसोर्स हैं कि दुनिया में इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये देश छोटे हैं बस एक ही स्थिति में कि इनके पास पूँजी कम है सरप्लस केपिटल नहीं है बाकी सब कुछ सरप्लस है हमारे पास, केपिटल सरप्लस नहीं हैं बस। यूरोप और अमेरिका में कोई एक चीज है अगर उनके पास तो वो है सरप्लस केपिटल, बाकी कुछ नहीं है इनके पास, तो आज जो परिभाषा की जाती है दुनिया में, अमीर कौन है और गरीब कौन है? तो यह कहा जाता हैं कि जिनके पास सरप्लस केपिटल है वह अमीर है और जिनके पास सरप्लस केपिटल नहीं है वो गरीब है। अगर इस परिभाषा को बदल लिया जाए, अगर यह कहा जाए कि जिनके पास संसाधन सबसे ज्यादा हैं तो वो फिर भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है वो यूरोप के देश हैं। तो इस तरह से परिभाषा की जाए कि जिन्होंने अपने सारे संसाधनों का नाश कर लिया है वह यूरोप और अमेरिका है और जिनके पास संसाधन बचे हुए हैं वह भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। परिभाषा उनकी चल रही है दुनिया में, अमीर और गरीब की जो परिभाषा है दुनिया में वो सरप्लस केपिटल के आधार पर है और पर केपिटा इन्कम के आधार पर है।

अगर हम दूसरे तरीके से परिभाषा करना शुरु करें तो हम शायद बहुत अमीर होंगे और यह अमेरिका और यूरोप बहुत गरीब होंगे। बायोमास के आधार पर हम परिभाषा करना शुरु करें, प्रकृति के आधार पर परिभाषा करना शुरु करें तो हम शायद सबसे आगे होंगे-अमीर होंगे। लेकिन परिभाषा सरप्लस की चल रही है तो उन्होंने यह काम किया चालाकी से संशोधन कर के उन्होंने गैट करार साईन कर दिया और गैट करार साईन करने के बाद अमेरिका के मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले हैं और ये जो गरीब देश हैं वो मरने की तैयारी में हैं।

अब इसमें मुश्किल क्या है गैट करार के बारे में एक और बात मैं करुँ तो उसके पहले एक बात मैं आपको पढ़के सुना दूँ जो इनमें सबसे पहले चेप्टर में पहले ही पेराग्राफ में शुरु में सबसे पहले है जो महत्व की बात लिखी हुई है वो मैं पढ़ता हूँ- No single aliment of this drafts final Act can be considered as a greed till the total packages agreed. अर्थात यह कि "पूरे के पूरे समझौते में जब तक सारी शर्तों को आप एक साथ नहीं मानते तब तक कोई भी एक शर्त नहीं मानी जायेगी।" अर्थात यह जो लगभग दो हजार से ज्यादा शर्त हैं, यह पूरी की पूरी आपको माननी पड़ेगी तभी गैट करार आपने स्वीकार किया है अन्यथा नहीं माना जायेगा।

अब इसकी शर्तें क्या हैं। शर्तों के बारे में आपसे थोडी-थोडी बातें करुँगा।

इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती है वो यह शर्त हैं खेती के विषय में है। हमारे देश में किसानों के लिए है इसमें है एक एग्रीमेन्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेन्ट ऑन एग्रीकल्चर में पचास से ज्यादा शर्ते है। इनमें से एक दो शर्त के बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि सब शर्तों के लिये समय बहुत चाहिए।

पहली ही शर्त इसमें हैं कि भारत देश में जब भी गैट करार साईन किया उस दिन से जब आपका ग्रेस पीरियेड समाप्त हो जायेगा। तब माने ग्रेस पीरियेड समाप्त हो गया 15 दिसम्बर 2004 को। माने 1 जनवरी 2005 इसके शुरु होने का समय रखा गया तो 1 जनवरी 2005 से यह शर्ते आपको लागू करनी हैं। पहली शर्त यह हैं अंग्रेजी में है बहुत लम्बा है मैं आपको उसका हिन्दी करके बताता हूँ पहली शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को उसको सब तरह की सहायता बन्द करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। जब भी सहायता की बात की जायेगी तब तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं। सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है वो 1 जनवरी 2005 से उसको बन्द करिए, कैसे बन्द करिए? पहले साल में उसमें कटौती करिए 24 टका, दूसरे साल में कटौती करिए जो बची हुई है उसमें 24 टका, फिर 24 टका, ऐसे करते-करते सात साल में सारी सहायता बन्द करिए।

अब वो सहायता क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं उसको सब्सिडी। हिन्दी में कहते हैं सहायता। ताकि आपको जल्दी समझ में आयेगा। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सहायता 1 जनवरी 2005 से खतम करिए, यह है पहली शर्त, शर्त हैं खतम करिए जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है। उसका 24 टका पहले वर्ष, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24 टका कम कर दीजिये तीसरे वर्ष में और 24 टका। ऐसे करते-करते छः सात वर्ष में पूरा खतम हो जायेगा।

शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है हमारे देश में? दो तरह की सहायता है एक प्रत्यक्ष और दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है? हमारे कोई भी शेतकरी बंधु वो कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राईज फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कपास का एक न्यूनतम मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा, इसका अर्थ यह होता हैं इस कीमत से कम कीमत में कपास नहीं बिकेगी। बिकती है वो अलग बात है। कई खरीदी मूल्य 2100 है लेकिन बिक रहा है 1700 रुपया क्विटंल हो सकता है 1500 रुपये पर भी ना बिके, 1400 रुपयों पर भी ना बिके, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया सरकार के द्वारा वो एक है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य एक होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य

भारत के बारे में मैं पिछले सात-आठ साल से अध्ययन कर रहा हूँ तो हमेशा मुझे यह लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जो मूल्य है उससे भारत का मूल्य थोडा ही ज्यादा रहता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइए तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और भारतीय सपोर्ट मार्केट का जो न्यूनतम सपोर्ट मूल्य है इसके बीच का जो गैप है उसको ही सरकार की सब्सिडी माना जाता है। अर्थात् कोई शेतकरी बांधव अपने कपास को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे तो वहाँ पर 1700 रुपये क्विटंल बिकेगा, 1500 रूपये पर क्विटंल बिके लेकिन भारत सरकार ने 2200 रुपये क्विटंल का भाव तय किया है। तो 700 रुपये प्रति क्विटंल माना जायेगा यह होती है डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी। और यह सभी वस्तुओं में भी है कपास में है, गेहूँ में है, चावल में है, तुअर में भी है सभी जगह ऐसा है।

दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट जैसे कि हम जब भी बाजार से यूरिया, डी.ए.पी. जैसे रासायनिक खाद खरीदते है तो इसका जो बाजार का मूल्य हैं एक शेतकरी के लिए, और एक शेतकरी के लिए उसका मूल्य है 250 से 300 रुपये पचास किलो और वहीं रासायनिक खाद, यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट जब फैक्ट्री में बनती है कारखाने में बनती है तो उसका उत्पादन मूल्य होता हैं 500 रुपये प्रति पचास किलो, माने हजार रुपये क्विटंल के आस पास होता है एवरेज। तो हजार रुपये क्विटंल में उत्पादन होता है और पाँच सौ रुपये क्विटंल में वो बाजार में बिकता है, तो यह जो पाँच सौ रुपये क्विटंल का जो घाटा है वो सरकार उठाती है और यह घाटे का रुपया शेतकरी की ओर से सरकार देती है रासायनिक खाद बनाने वाली कम्पनी को। तो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट सपोर्ट, इनडायरेक्ट सब्सिडी।

इसी तरह से बिजली है भारत के शेतकरी को बिजली थोड़ा सस्ते में है, उद्योगपति को थोड़ा ज्यादा है, घर में भी ज्यादा है, उद्योगों में भी ज्यादा है, लेकिन सिर्फ शेतकरी को सस्ती है। तो इसी तरह से बीज के क्षेत्र में होता है बीयारण में होता है। सब जगह होता है तो एक है इनडायरेक्ट सपोर्ट और एक डायरेक्ट सपोर्ट। तो गैट करार में क्या हैं कि 1 जनवरी 2005 से आप यह सब खतम करिए, डायरेक्ट सपोर्ट भी खतम कर दीजिये और इनडायरेक्ट सपोर्ट भी खतम कर दीजिये। डायरेक्ट सब्सिडी खतम करिए। इनडायरेक्ट सब्सिडी खतम करिए और भारत सरकार को W.T.O. की एक काउन्सिल ने अभी एक कैलकुलेशन कर के दिया है कि एक साल के अन्दर आपको कहाँ-कहाँ सब्सिडी कितनी कम करनी है। तो भारत सरकार का वह कैलकुलेशन मेरे पास अभी वो दो-तीन दिन पहले था, भारत सरकार के एक बहुत बड़े ऊँचे अधिकारी के पास वो था। जब मैं बैंगलौर में था तो उसने

मुझे बताया कि देखो राजीव भाई यह कैलकुलेशन आया है, वो कैलकुलेशन में उन्होंने बताया है कि भारत की सरकार एक लाख सोलह हजार कोटि रुपये की सब्सिडी दे रही है कुल मिलाकर अलग-अलग मुद्दो में यह आपको कम करनी है अब सब्सिडी कम करनी है, तो इसका परिणाम क्या है?

इसका परिणाम यह है- सबसे पहला परिणाम यह होगा कि यूरिया, डी.ए.पी. , सुपर फॉस्फेट की सब्सिडी अगर कम होती है तो इसकी कीमत बढ़ना शुरु होगी। अभी जो मैंने आपसे कहा कि पाँच सौ रुपये क्विटंल यूरिया बिक जाता है, तो वो हजार रुपये क्विंटल हो सकता है और बाजार में अभी जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो 1200 रुपये क्विटंल भी हो सकता है। कभी भी डीज़ल, पेट्रोल का भाव बढ़ जाये तो और मँहगा हो सकता है, यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट आप जानते हैं कि यह बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इनकी भी कीमत बढ़ना चालू हो जायेगी। तो यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट मँहगा होगा सब्सिडी खत्म होने से यह एक, और दूसरा यह सब्सिडी इनडायरेक्ट खत्म होगी और डायरेक्ट खत्म होगी, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा, यह वो नहीं कर पायेगी। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिस कीमत पर कपास बिक रही हो उसी कीमत पर महाराष्ट्र सरकार कपास की खरीदी कर सकेगी। थोड़ा भी ज्यादा कीमत पर नहीं ले पायेगी वो, अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कपास का भाव 1500 रुपये क्विटंल हो जाए तो अगले साल ही महाराष्ट्र सरकार को यही भाव पर कपास खरीदनी पड़ेगी। अगर महाराष्ट्र सरकार ने नहीं खरीदी तो गैट करार का उल्लघंन किया और आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन हैं कि आपको पेनल्टी, यह पेनल्टी, यह जुर्माना तो, अर्थात् कहने का मतलब यह है कि अगले वर्ष से ही भारत की सरकार किसी भी शेतकरी बांधवों को कोई ज्यादा मदद नहीं कर पायेगी। ज्यादा कीमत पर कपास नहीं खरीद पायेगी, ज्यादा कीमत पर धान नहीं खरीदेगी, ज्यादा कीमत पर गेहूँ नहीं खरीदेगी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का जो भाव है ना, उसी पर खरीदा जायेगा।

अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का भाव हमेशा गिरा रहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा-गिरा रहता है। क्यों गिरा रहता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और यूरोप से खेती उत्पन्न के जितने प्रोडक्ट आते हैं, उन सबकी सब्सिडी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उसकी कीमत हमेशा गिरी रहती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को ही मिलती है। एक वर्ष में अमेरिका के शेतकरी बांधवों को लगभग चार सौ अरब डॉलर की सब्सिडी होती है और यूरोप के देशों

में सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है। जापान में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को ही है क्योंकि उनके देशों में सब्सिडी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो चार अरब डॉलर के आस- पास है, फोर बिलियन डॉलर के आस-पास है, और अमेरिका में फोर हन्ड्रेड बिलियन डॉलर है। माने हमसे सौ गुना ज्यादा सब्सिडी उनके यहाँ है। क्योंकि अमेरिका के शेतकरी बांधवों को वहाँ सबसे ज्यादा सब्सिडी है। तो अमेरिका के जो एँग्री प्रोडक्ट्स हैं खेती से उत्पन्न वस्तुयें हैं वो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ती हैं।

यूरोप में खेती से उत्पन्न वस्तुयें। वो भी बहुत सस्ती है, तो उनकी वस्तुयें क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ती हैं और भारत की खेती की वस्तुयें अगर हम उसी लेवल पर प्राइस कैलकूलेट करेगें तो सबसे ज्यादा मार खायेगा भारत का शेतकरी बंधु, क्योंकि उसकी हर चीज नीचे हो जाती है। अभी तो देखिए, अभी प्रकाश भाई ने कहा आप भी देखिए, 1700 रुपये क्विंटल कपास बिक रहा हैं अभी तो कल आप देखेगें तो शायद 1200 रुपये क्विटंल पर भी नहीं बिकेगा और हजार रुपये क्विटंल पर भी नहीं बिकेगा क्योंकि अगले वर्ष से क्या होगा परदेशी कपास भयंकर मात्रा में आ जायेगा मार्केट में। अभी तो उसको रोका हुआ है। अगले साल से गैट करार आ जायेगा तो गैट करार दो ही चीजों को हटाता है क्वॉन्टिटी रिस्ट्रिक्शन को हटाता है और टैरिफ बेरियर को हटाता है। तो आप न तो ज्यादा क्वॉन्टिटी रिस्ट्रिक्शन लगा पायेगें और टैक्स भी ज्यादा नहीं लगा पायेगें तो अभी तो परदेशी कपास ज्यादा नहीं बिकता भारत में। अगले साल से तो आप देखेगें कि अमेरिका का कपास आ गया, इनका कपास आ गया, पाकिस्तान का कपास आ गया, थाईलैण्ड का आ गया, फिलिपिन्स का आ गया, ब्रिटेन का आ गया, सबका आ जायेगा। तब भारत के कपास का भाव और गिरेगा। क्योंकि तब जो कपास का भाव तय होगा। वो अन्तराष्ट्रीय मार्केट के डिमान्ड सप्लाई पर तय होगा। अभी तय होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। डिमान्ड एण्ड सप्लाई थ्योरी क्या कहती है। कोई वस्तु की अगर माँग कम है और उसकी सप्लाई सबसे ज्यादा है तो उस वस्तु की कीमत गिरेगी। तो कपास अगर भारत के बाजार में भारी मात्रा में आया, बाहर से भी अगर आया और यहाँ से भी अगर उत्पन्न हुआ। तो कीमत उसकी गिरनी ही वाली है। सप्लाई ज्यादा है और डिमान्ड कम है और जब कपास की कीमत गिरेगी तो जो शेतकरी विदर्भ में कपास पैदा करता है वो बेचारा मार खायेगा, मार कैसे खायेगा?

कपास का उत्पादन खर्च बढ़ेगा क्योंकि यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट की कीमत बढ़ेगी, पेस्टीसाईड की कीमत बढ़ेगी, बीज का भाव बढ़ा तो उत्पादन खर्च

तो बढ़ा। तो मार्केट में प्राइस उसको कम मिलेगा तो दोहरा नुकसान उसको होगा तब शेतकरी करेगा क्या? वह सोचेगा कपास मत करो कुछ और करो। आप सोचो कपास बन्द करके उसने गेहूँ शुरु किया गेहूँ में भी यही समस्या आने वाली है। आप बोलो हम जवारी करेगें तो जवारी में भी यही समस्या है। आप बोलेगें हम यह करेगें। उसमें भी समस्या है और अल्टीमेटली होगा क्या? कि इसमें जो बड़ा शेतकरी है वो किसी भी तरह से स्टैन्ड हो जायेगा, लेकिन जो छोटा शेतकरी है जो पाँच एकड़ में खेती करता है दो एकड़ में खेती करता है एक एकड़ में करता है वो मारा जायेगा। उसकी केपेसिटी नहीं हैं मार्केट को स्टैन्ड करने की, और भारत में 70 टका शेतकरी ऐसे ही हैं जिनकी खेती बहुत छोटी है पाँच एकड़ की, पाँच एकड़ कीखेती करने वाले शेतकरी 70 टका हैं 30 टका ऐसे शेतकरी हैं जिनके पास पाँच एकड़ से ज्यादा खेती है।

तो छोटे शेतकरी इसमें सबसे ज्यादा मार खायेगें। सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होने वाली है और वो तकलीफ में होगा क्या? वो कहीं से भी कर्ज लेगें फिर कर्ज, ज्यादा से ज्यादा होता जायेगा और एक दिन कर्ज का ब्याज नहीं चुका पायेगें तो फिर आत्महत्या करेगें। अभी आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि आज यह शेतकरी ने आत्महत्या कर ली। तो अगले वर्ष से आपको ऐसे समाचार और पढ़ने को मिलेगें। भारत सरकार कहती है कि हर साल भारत में करीब 54 हजार शेतकरी आत्महत्या करते हैं पूरे देश में, सरकार के आँकड़ों के अनुसार। लेकिन यह आँकड़े वो हैं जो रिपोर्ट होते है। अगर पूरा रिपोर्ट ही नहीं होता तो पता नहीं कितने शेतकरी आत्महत्या करते हैं। अगले वर्ष से आप देखेगें की इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही रहेगी। आन्ध्र में भी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में ही बढ़ेगी, गुजरात में भी बढ़ेगी, ओड़िसा में भी बढ़ेगी, सब जगह बढ़ेगी। क्योंकि शेतकरी गरीब हो सकता है लेकिन स्वाभिमानी बहुत होता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे वो आत्महत्या करेगा। व्यापारी हिन्दुस्तान का दूसरे तरह का है, व्यापारी उसका स्वाभिमान गिरवी रख कर व्यापार करेगा और इस देश में व्यापारी कभी आत्महत्या नहीं करेगा, सरकारी अधिकारी भी कभी आत्महत्या नहीं करेगा, पुढारी भी कभी आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या शेतकरी ही करता है, क्योंकि उसकी गरीबी तो है लेकिन वो स्वाभिमानी बहुत है। थोड़ा भी उसके स्वाभिमान को ठेस लगे वो इतना ज्यादा स्वाभिमानी है कि उसके घर के सामने अगर कोई बैंक वाला आ गया वसूली करने के लिए, यही इसको लगता है कि यह बहुत बड़ा अपमान हो गया और वो दूसरे दिन सबेरे तेल पियेगा और मर जायेगा या जन्तुनाशक पियेगा मर जायेगा या पुलिस आ गयी उसके दरवाजे के सामने कुछ इस तरह का करने के लिए, वो बिलकुल बर्दाश्त नहीं कर

पायेगा क्योंकि उसको स्वाभिमान सबसे ज्यादा प्रिय है गरीबी में रहता है लेकिन स्वाभिमान उसने नहीं छोड़ा है।

भारत के जिस समाज ने स्वाभिमान छोड़ दिया है वो इसमें एडजेस्ट कर लेगा, W.T.O. में कर लेगा। तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आयेगी कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे एडजेस्ट कर लो। कैसे एडजेस्ट कर लेगा? जो व्यापारी अभी भारत का कपास खरीद रहा है वो व्यापारी परदेशी कपास खरीदेगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो जिंदा रहेगा। उसको अभी भारत की कपास नहीं मिलेगी इस साल से, तो अगले साल से वो परदेशी कपास खरीदकर बेचेगा, भारत के शेतकरी का गेहूँ नहीं खरीदेगा परदेशी गेहूँ खरीदेगा, वो भारत के शेतकरी का चावल नहीं खरीदेगा परदेशी चावल खरीदेगा। तो व्यापारी तो इसमें एडजेस्ट कर लेगा, अधिकारी भी एडजेस्ट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी स्वदेशी कपास का कपड़ा पहनता है बाद में परदेशी कपास का कपड़ा पहनेगा। वो परदेशी चावल खायेगा और अच्छा महसूस करेगा, परदेशी गेहूँ खायेगा और अच्छा महसूस करेगा। तो भारत के अधिकारी को भी तकलीफ नहीं है। व्यापारी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं आयेगी।

तो वो दूसरे लेवल पर आयेगी और ज्यादा से ज्यादा अगर तकलीफ आने वाली है वो शेतकरी बांधवों को आने वाली है और किसी को नहीं आने वाली। और यह तकलीफ भारत के शेतकरी बांधवों को खत्म कर देगी और इस समय भारत के शेतकरी बांधव जो हैं उनकी ताकत बिखरी पड़ी हुई है। शेतकरी बांधवों का संगठन टूट गया है। पहले शेतकरी बांधवों का संगठन होता था महाराष्ट्र में, अभी वो खत्म हो गया है। वो संगठन के लोग कुछ एक पक्ष में चले गए कुछ लोग दूसरे पक्ष में चले गए, कुछ तीसरे पक्ष में चले गए अब एक कोई नहीं है इस W.T.O. से जिसको ज्यादा तकलीफ होने वाली है वह वर्ग असंगठित है और यह वर्ग अभी कोई बड़ा विरोध करने की स्थिति में नहीं है। यह तकलीफ आगे आने वाली है। यह शर्त है गैट करार की, शेतकरी बांधवों के लिए ऐसी 56 शर्तें हैं इस गैट करार में।

दूसरी इसमें शर्त यह है कि भारत में खेती में जो भी उत्पन्न होता है गेहूँ, चावल, चना, दाल, मटर, कपास, वगैरह-वगैरह, यह सब कुछ परदेश से कम्पलसरी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे भारत में मान लीजिये हम एक वर्ष में 20 कोटि टन अनाज पैदा करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा परदेश से खरीदना ही पड़ेगा। आपको जरुरत नहीं है, फिर भी खरीदना पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा? तो इसमें कहा है कि जो आपका मिनिमम कँजम्प्शन है उसका 8 परसेन्ट।

माने हम भारत में जितना खेती उत्पादन करते हैं। उसका 8 टका परदेश से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसको सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ अभी हम भारत में यूँ समझिए कि सब मिलकर चार कोटि टन अनाज खाते हैं तो इसका 8 टका परदेश से खरीदना पड़ेगा। एक कोटि का 8 टका 8 लाख टन, 4 कोटि टन का 32 लाख टन। यह 32 लाख टन हमें परदेश से इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, जरुरत नहीं है फिर भी खरीदना ही पड़ेगा। तो फिर पूछो W.T.O. के अधिकारियों से कि क्या करें इस अनाज का, जरुरत नहीं है क्यों खरीदें ?। क्या करें खरीदकर ? तो वो कहते हैं चूहे को खिलाओ, पानी में फेंक दो हमे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जबरदस्ती खरीदो जरुरत नहीं है फिर भी खरीदो। यह सेकण्ड कंडीशन है इसको मार्केट एक्सेस के नाम से कहा गया हैं। जबरदस्ती इतना माल खरीदो, गेहूँ खरीदो, चावल खरीदो, चना खरीदो, कपास खरीदो, अमरुद खरीदो, केला खरीदो, भाजी पालक खरीदो, जो भी भारत में होता है वो सब परदेश से खरीदो मिनिमम कन्जम्प्शन का 8 परसेन्टेज।

तो हर चीज बाहर से आयेगी ही आयेगी और यहाँ भी उत्पन्न होती है तो मार्केट में कीमत गिरेगी ही गिरेगी। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान शेतकरी बांधवों को ही होगा। जो खाने वाले लोग हैं उनको तो फायदा ही होगा, फायदा कैसे होगा ? वो सोचेगा चीज अभी सस्ती हो जायेगी, लेकिन जो खाने वाला है उसको मालूम नहीं हैं कि एक बार फायदा हुआ, दो बार फायदा हुआ, लेकिन तुम्हारे पास खरीदने के लिए कुछ पैसा ही नहीं होगा, तो तुम खरीदोगें क्या ? एक बार आपने सस्ता खरीदा, आपकी खेती खतम हो गई। फिर आपके पास है ही नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो आप खरीदोगें क्या ? तो इतनी दूर का उनको दिखाई नहीं देता है, तात्कालिक दिखाई देता है कि चलो सस्ता हो गया तो इसलिए मजदूर संगठन कहते हैं कि सस्ता होगा तो आने दो परदेसी माल को। लेकिन यह अगर शेतकरी की बात कोई सोचे तो वो सोचता नहीं है तो यह जो कम्पलसरी मार्केट एक्सेस प्रोव्हिजन है, वो जबरदस्ती माल खरीदना पड़ेगा आपको जरुरत नहीं फिर भी। यह तो और भी तकलीफ देने वाला है।

ऐसे ही तीसरी कण्डीशन है कि भारत की सरकार, कभी अनावृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है तो अनावृष्टि या अतिवृष्टि के समय भारत सरकार बहुत सारी मदद घोषित करती है, मिलती नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन घोषित होती है कि कभी शेतकरी बांधवों का ब्याज माफ किया जाए, उसका कर्ज माफ किया जाए या उनको कोई सहायता दी जाए, अभी गैट करार लागू होने के बाद

यह सब बन्द हो जायेगा। अगर आपके यहाँ अतिवृष्टि है या अनावृष्टि है तो उसका सर्टिफिकेट पहले W.T.O. से लीजिये। अगर W.T.O. हाँ करता है तो आप सहायता दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते। इसकी सहायता कब की जा सकती है कि मान लो हम महाराष्ट्र में अनावृष्टि घोषित करें। अनावृष्टि माने अकाल पड़ गया, सूखा हो गया और अतिवृष्टि माने बारिश ज्यादा हो गई। और यह अनावृष्टि और अतिवृष्टि के समय में मान लीजिये कि महाराष्ट्र की सरकार को अगर कोई घोषणा करनी है, तो W.T.O. से एक टीम आयेगी और वहाँ से कुछ लोग आयेगें वो महाराष्ट्र का कुछ दौरा करेगें दौरा कर के W.T.O. में रिपोर्ट जायेगा वो हाँ करें तो आप घोषित करें, अगर वो ना करें तो आप घोषित नहीं कर सकते। और उनकी घोषणा का आधार क्या है? वो कहेगें कि महाराष्ट्र में लगभग पचास प्रतिशत सूखा है तो महाराष्ट्र के सभी जिलों में यह सूखापन होना चाहिए। तब वो हाँ कहने की स्थिति में होगें और वो ना कहेगें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको पैसा देना है आपका बजट है लेकिन तय वो करेगें। दखलदाजी उनकी है जो W.T.O. में बैठे है।

अभी मुझे महाराष्ट्र में घोषित करना है एक चीफ मिनिस्टर के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर के नाते, तो मैं नहीं कर सकता जब तक W.T.O. का कन्सल्ट है कि जब तक W.T.O. की अनुमति नहीं है। "इतनी गुलामी इसमें है" लेकिन आपकी संसद चाहे तो वो घोषित नहीं कर सकती, उनको पहले पूछो और वो हाँ कहे तो करो वरना मत करो। ऐसी-ऐसी इसमें छप्पन शर्ते हैं शेतकरी बांधवों के लिए। और सबसे ज्यादा दुखद यही हिस्सा हैं W.T.O. का, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है और मुझे दुःख इस बात का है हमारी संसद में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कोई कार्यवाही नहीं है, 1 जनवरी से यह घोषणा हो गई है यह लागू हो जायेगा। अभी जो पिछला संसद सत्र बीता है उसमें आपने देखे हैं कि क्या-क्या चर्चायें हुई, ज्यादा बहस हुई रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के बीच, रामविलास पासवान ने लालू को चोर कहा, लालू ने रामविलास पासवान को चोर कहा। दोनो मंत्री एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। एक ने कहा इसने 958 कोटि स्विस बैंक में रख लिया, दूसरे ने कहाँ इसने 830 कोटि स्विस बैंक में रखलिया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और इसमें संसद में बहस हो रही है। और इतना तकलीफ देने वाला W.T.O. लागू होने जा रहा है 1 जनवरी से, उसपर संसद में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है।

हमारे संसद की स्थिति इतनी खराब है हमने संसद इसलिए नहीं बनाई हैं कि दो मंत्री एक दूसरे के व्यक्तिगत आरोप करें, इसके लिए गली-चौराहे काफी हैं। लेकिन

इन मंत्रियों ने संसद को गली, मुहल्ला, चौराहे से ज्यादा बदतर बना दिया है। इनको कोई शर्म नहीं हैं। इनको यह भी शर्म नहीं हैं कि सारा देश टी.वी. पर देख रहा है, तो अभी वो बहस हो रही है लालू यादव ने रुपये दे दिये हैं तो वहाँ बहस शुरु हो गई। जॉर्ज फर्नांडिज ने रुपये दे दिये वहाँ बहस शुरु हो गई। अखबारों के हेड लाईन्स यह है, अखबारों के टाइटल यह है और अखबार वालों को भी यही मजा आता है कि संसद के आजूबाजू क्या हो रहा है संसद के अन्दर क्या हो रहा है? देश मरने जा रहा है अखबारों को टाईम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन अंग्रेजी अखबारों को कुछ मतलब ही नहीं है वो तो इस तरह की बातों के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत भाषायी अखबार हैं, मराठी है, तेलगू है, गुजराती है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, उनमें थोड़ा बहुत यह सब आता रहता है जो गंम्भीर प्रश्न हैं। भारत के जो राष्ट्रीय अखबार कहे जाते हैं उनमें तो कुछ है ही नहीं, टाईम्स ऑफ इंडिया की हेडलाईन उठाकर देख लो, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाईन उठा के देख लो, अंग्रेजी अखबार तो ऐसा लगता है कि भारत से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। भारत के पुढ़ारियों की छोटी-छोटी बातें फ्रन्ट पेज पर बॉक्स लगा के छापेगें, और इतना सीरियस इश्यू यह है लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करते, तो क्या है कि भारत का जो यह गवर्निंगं क्लास है जो सरकार चलाता है वो तो टाईम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है वह तो यह नहीं पढ़ता है जो हमारा स्थानीय अखबार है तो गवर्निंगं क्लास को यह लगता ही नहीं कि यह गम्भीर बात है। वो भी मजे में है यह भी मजे में है तो संसद में कोई बहस नहीं, मीडिया में कोई बहस नहीं। और जितना करोड़ो रुपया खर्चा कर के हम यह टेलीवीजन चला रहे है इस देश में स्टार टी. वी. है , जी. टी. वी. है, सी. एन. एन. है, टाईम्स स्पोर्ट है, उसमें तो यह तो कोई चर्चा नहीं। वहाँ घण्टो-घण्टो यह जो दिखाया जा रहा हैं सांस भी कभी बहू थी, घर-घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी इसकी कहानी और सब कहानियों का एक ही मतलब है। इसका पति उसकी पत्नी के साथ भाग गया, उसकी पत्नी इसके पति के साथ भाग गई। इसका पति उसकी पत्नी को छीन रहा है, उसकी पत्नी इसके पति को छीन रही है। एक्स्ट्रा मेरिटेल अफेयर यह सब कहानियों की थीम है देखते रहिए और उसमें समय बर्बाद करिए।

W.T.O. पर कोई चर्चा नहीं, डंकल प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं और हमारे जैसे लोग उनको कहते है, कि भाई कभी इसपर भी कुछ समय दे दो आपके पास चौबीस घण्टे के टी.वी.चैनल हैं आधा घण्टा एक घण्टा इस पर दे दो। तो वो कहते हैं कि इसको कौन सुनेगा? हमारी सास बहू है, सास बहू की कहानी है उसको देखने वाले करोड़ों लोग है इसको अगर हम दिखायेंगें तो कौन देखेगा? क्योंकि इसके लिए

कोई महत्व नहीं है और हमारे पास स्पेस भी नहीं है। बेचारे लोकल टी.वी. चैनल वाले वो किसी तरह की वार्ता दिखा देते है या कुछ कर देते हैं। लेकिन नेशनल टी. वी.चैनल में इसके लिए गेट करार के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो ओपिनियन बना सकता हैंनेशनल टी.वी.चैनल और जो अखबार ओपिनियन बना सकते हैं बड़े लीडिगं न्यूज पेपर जो कहे जाते हैं इस देश में, इनमें यह विषय नहीं है और हमारी संसद में भी यह विषय नहीं है। तब यह विषय है हिन्दुस्तान के साधारण लोगों के बीच में, इसलिए हम आपके पास आये हैं। और इतनी बात तो मैंने आपसे कहीं W.T.O. के खेती एग्रीमेन्ट के बारे में, जिनमें 56 ऐसी बड़ी-बड़ी शर्तें हैं मैंने सिर्फ तीन शर्तें बताई। ऐसी 56 बड़ी-बड़ी शर्ते हैं, और ऐसी बड़ी-बड़ी शर्ते हर एक विषय में है।

एग्रीमेन्ट ऑन सर्विसेस

एक विषय है 'एग्रीमेन्ट ऑन सर्विसेस', उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी कम्पनी के लिए आप सर्विस के दरवाजे खोल दीजिये। कोई भी कम्पनी भारत में आकर सर्विस प्रोवाइड करे तो आप उसको ना नहीं कीजिये। अब सर्विसेज़ में क्या आता है? प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ है वो सब सर्विसेज़ में आता है, उत्पादन को छोड़कर। आप जहाँ-जहाँ उत्पादन करते हैं उस काम को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज़ में आता है। अर्थात् स्कूल चलते हैं यूनिवर्सिटी चलते हैं कॉलेजेस चलते है यह सब सर्विसेज़ में आता है। हॉस्पिटल चलते हैं यह सब सर्विसेज़ में आता है। गली की नालियों की जो सफाई होती है। वो सब सर्विसेज़ में आता है, हॉटेल चलते हैं यह सब सर्विसेज़ में आता है। हमारे देश में जो एडवोकेट हैं ये सब सर्विसेज़ में माने जाते है। यह तम्बू, कनात, टेन्ट लगाने वाले यह सब सर्विसेज़ में आते है, साउन्ड सिस्टम वाले सर्विसेज में आते है। सर्विसेज में सबकुछ आता हैं उत्पादन को छोड़कर।

तो शर्त क्या हैं W.T.O. की, पहली ही शर्त है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में आकर कोई भी विदेशी कम्पनी सर्विसेज देना चाहे तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। अर्थात् 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कम्पनी भारत में आकर रेस्टोरेन्ट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबा खोलना चाहे, आप उसको परमीशन दीजिये। आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कम्पनी आके डिपार्टमेन्टल स्टोर्स खोलना चाहे तो उसको परमीशन दीजिये। आप उसको मत रोकिए। 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कम्पनी आके कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलने

चाहे, इन्स्टिट्यूट खोलना चाहे, यूर्निवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिये आप उसको रोक नहीं सकते।

हर क्षेत्र में आप उनको अगर खुली छूट देगें तो होने वाला क्या है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ मान लीजिये अमेरिका की एक कम्पनी आती है उसका नाम है वॉलमार्ट, बहुत बड़ी कम्पनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कम्पनी है यही कम्पनी जिनके पास डिपार्टमेन्टल स्टोर्स सबसे ज्यादा हैं। और एक कम्पनी वो यूरोप की फ्रॉन्स की है। उसका नाम हैं केर फोर, और वॉलमार्ट और केर फोर एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी हैं। लेकिन दोनो का धन्धा एक ही है। अगर यह केर फोर और वॉलमार्ट 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में आके उन्होंने अपने शहर में हर दो-चार दुकान खोल दिए और धन्धा चालू कर दिया और इन दुकानों पर इन्होंने आधे-आधे कपड़े पहनी हुई लड़कियों को बिठाना अगर शुरु कर दिया, स्कर्ट पहने हुए लडकियाँ और टॉपलेस पहनी हुई लडकियाँ अगर इनके काउन्टर पर बैठी है और हर दुकान पर यह लडकियाँ बैठी हैं और इस दुकान में इन्होंने हर एक चीज के साथ एक फ्री, हर दो के साथ एक फ्री, तीन के साथ एक फ्री देना शुरु कर दिया। फिर क्या होगा? फिर एक ही परिणाम होगा, भारत में एक क्लास है जो एफल्युअंट Afluant क्लास है जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है वो सबसे पहले इन दुकानों का खरीददार बनेगा सबसे ज्यादा माल खरीदी करने के लिए इन दुकानों पर वो जायेगा। तो धीरे-धीरे भारत में जो छोटी दुकाने हैं उनमें माल बिकना कम हो जायेगा और सभी लोग इन्हीं बड़ी दुकानों में जाकर माल खरीदेंगे और इन दुकानों के पास आपका माल खरीदना शुरु हुआ तो आपका प्रॉफिट इन दुकानों के पास जायेगा। जो केर फोर और वॉलमार्ट जैसी दुकाने हैं और वॉलमार्ट और केर फोर वाले जो है वो जो भी बिजनेस करेगें उनका प्रॉफिट अमेरिका ले के जायेगें।

तो दो परिणाम होंगे पहला परिणाम एक तो यहाँ से भर-भर कर प्रॉफिट अमेरिका जायेगा और दूसरा परिणाम, ये लोग आपकी छोटी-छोटी दुकाने बन्द करवा देंगे और वो दुकाने बन्द कैसे हो जायेगी? अमरावती का ही एक उदाहरण आपको देता हूँ अगर केर फोर कम्पनी का एक डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल जायेगा अमरावती में, या वॉलमार्ट का एक स्टोर अमरावती में खुल जायेगा, तो अमरावती के लोगों की वहाँ लाईन लग जायेगी माल खरीदने की। क्योंकि हर चीज इम्पोर्टेड मिलेगी और इम्पोर्टेड के साथ माल को चाहने वाला तो एक क्लास हैं ही भारत में, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, ब्लैक मनी है, सबकुछ है। और इस क्लास के लोग माल खरीदना शुरु करेगें और इस दुकान पर अगर लाईन लगेगी, तो भारत के साधारण लोगों को ऐसा लगेगा कि इस दुकान से माल खरीदना स्टेटस सिम्बल है,

तो हम लोग भी यहाँ से माल खरीदेंगे। तो यह शुरु होगा और ऐसी घमासान लड़ाई शुरु होगी जो अमरावती के हर छोटे-छोटे दुकानों को बन्द करवा देगी। तो छोटे दुकानदार खत्म हो जायेंगे, और इसी तरह से मान लीजिये अमरावती में एक अमेरिकन कम्पनी ने होटल खोल दिया या रेस्टोरेन्ट बना दिया, तो उस रेस्टोरेन्ट के माध्यम से सर्विस देना शुरु की, तो अमरावती के रेस्टोरेन्ट चलाने वाले को तकलीफ।

इसी तरह से मान लीजिये इन्होंने यहाँ आकर यूनिवर्सिटी खोल दी या अमेरिका की नासा यूनिवर्सिटी का एक ब्रॉन्च अमरावती में खुल गया। तो उन्होंने कहा कि आप हजार रुपये जमा करो और डिग्री लो। चालू हो गई उनकी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ तो सब तपोवन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं जो वो सब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जायेगें और उनकी यूनिवर्सिटी में क्या, पैसा जमा करो डिग्री लो। तो यहाँ एक क्लास तो है ही जिसको डिग्री चाहिए ज्ञान नहीं। जिसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान का महत्व नहीं है, डिग्री का महत्व है।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के आने से सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हुआ है वो यह कि इस देश में ज्ञान का महत्व खत्म हो गया और डिग्री का महत्व ज्यादा हो गया और वो यहाँ आके डिग्री बाँटेगें और वो डिग्री पैसे से मिल जायेगी और अमेरिकन और यूरोपियन सिटीज में क्या होता है? कभी भी कोई फेल नहीं होता वहाँ पर। क्योंकि उनका जो सिस्टम है एज्युकेशन का, वो सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पर कोई फेल नहीं होता। माने रद्दी से रद्दी भी वहाँ पर पास हो जाता है, हिन्दुस्तान के बारे में आप जानते हैं जो लड़के-लड़कियाँ स्कूल-कॉलेज में फेल होते हैं, वो सब अमेरिका से बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं। आपको मालूम है ये सब और अमेरिका से भी ज्यादा रद्दी डिग्री रुस में मिलती है, रुस डिग्रियों का ये हाल है कि दुनिया का कोई भी सेन्सिटिव देश, रुस के यहाँ से निकले हुए एम.बी.बी.एस. डॉक्टर को हास्पिटल में परमिशन देने को तैयार नहीं, भारत में भी नहीं है। रशिया से एम.बी. बी.एस., एम.डी. करके आइये और जब तक आप यहाँ की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ काउन्सिल की वो परीक्षा पास नहीं करेगा। तब तक वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ाते नहीं हैं और वहाँ तो यूनिवर्सिटी चलती है दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसको ज्ञान देना नहीं है उससे उनको कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है बिजनेस का पार्ट है। जैसे होटल चलता है, वैसे यूनिवर्सिटी चलती है यूरोप और अमेरिका में। और आप को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि यूरोप और अमेरिका में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनका आई. क्यू. दुनिया में सबसे कम है, अमेरिकन स्टुडेन्ट्स का आई.क्यू. दुनिया में सबसे

कम है, सामान्य ज्ञान में भी वो दुनिया में सबसे पीछे हैं। यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग सामान्य ज्ञान में सबसे पीछे है। इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन कॉलेज में जितने टॉपर्स होते हैं वो एशियन होते हैं, भारतीय होते हैं, चायनीज होते हैं। जैपनीज होते हैं। उनके अपने नहीं है, क्योंकि आई.क्यू. बहुत कम है, आई.क्यू. क्यो कम है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जो आई.क्यू. लेवल डेवलप नहीं करता। तो लेस आई.क्यू. पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं। और वो सब अगर यहाँ पर आ जायेंगे तो यहाँ का जो कुछ भी छोटा मोटा कम स्टैण्डर्ड वाला जो एजुकेशन है। उनको भी खत्म कर देगा। क्योंकि कॉम्पिटीशन आपको उनके साथ करनी है। तो यहाँ क्या होगा? मान लीजिये यहाँ पर तपोवन यूनिवर्सिटी है। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी और तपोवन यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटीशन होगा। वो कहेगें हम यहाँ पर तीन कोर्स पढ़ायेगें और एक कोर्स फ्री देगें, आइये हमारे यहाँ, हाँ, एम.बी.बी.ए. पढ़ायेगें और एम.बी.बी.एस. फ्री ले जाइये हम आपको एडमिशन देते है- हाँ, अमेरिका में और यूरोप में यही होता है। तो तपोवन यूनिवर्सिटी को भी यही करना पड़ेगा बी.कॉम ले जाइये एम.कॉम फ्री, यह करिए तो यह फ्री। और ये जो फ्री का चक्कर शुरु होगा ये सब सत्यानाश कर देगा हमारे देश का। स्टूडेन्ट के आई.क्यू. का लेवल भी हिन्दुस्तान में इतना नीचे हो जायेगा कि आप फिर सोच नहीं सकते। हो सकता है कि एक बहुत बड़ी डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी एक चिठ्ठी न लिख पाए, शुद्ध मराठी का एक वाक्य न बोल पाए। शुद्ध गुजराती का एक वाक्य न बोल पाए, न कुछ लिख पाए।

ऐसे ही जब दूसरे सर्विसेज़ में वो आना शुरु करेंगें तो तकलीफ क्या होगी इस देश में? मुझे कभी-कभी डर लगता हैं कि ये अमेरिकन और यूरोप के लोगों को हिन्दुस्तान की बहुत सारी कमजोरी मालूम है आप कल्पना करो कि अमेरिकी ने हिन्दुस्तान में आकर कुछ मंदिर खोल दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हिन्दुस्तान में मंदिरों में बहुत चढावा आता है, मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पर लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं। सब मंदिर सर्विसेज में आते हैं, तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए है। चर्च में कुछ लोग जाते है कुछ लोग नहीं जाते। अगर मान लीजिये कि उन्होंने हनुमानजी एक मंदिर बना लिया और अमेरिकन कम्पनी ने इसको मैनेज कर लिया। तो भारत वासी कहेंगें -देखो कितने रामभक्त है ये, हनुमानजी का मंदिर बना दिया, चलो तो। भारत वाले सब जा-जाकर पूरी कमाई उस मंदिर में डाल देगें। तो वो पैसा सीधा अमेरिका जायेगा। क्योंकि उन्हें मालूम है भारत में सबसे आसान है। हनुमानजी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का मंदिर बना दो और जितना चाहे उतना चढावा ले लो, गरीब से गरीब गाँव में भी ले लो, जो वहाँ

भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में दस-बीस लाख रुपयें का दान दे ही देगा। अगर ये लोग इस सेक्टर में घुसे और यहाँ इन लोगों ने सप्लाइ करना शुरु कर दिया आप सोचिए फिर झगड़ा होगा हमारे जैसे लोग कहेगें भईया स्वदेशी मंदिर में जाओ और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाईन खड़ी कर दी। और यह कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यह ठोस आधार पर मैं बता रहा हूँ, आपको मालूम है, एक अमेरिकन कम्पनी भारत में काम करती है 'इस्कॉन', है कि नहीं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ इस्कॉन नाम की संस्था भारत में काम करती है। इन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर खोल रखे हैं। और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े स्त्रोत है। क्योंकि इन मंदिरों पर इन्कम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट अमेरिका ट्रान्सफर होता है बेंगलौर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका की कोलगेट कम्पनी नहीं भेज पाती एक साल में। अमेरिकन कम्पनी भारत में जितना कोलगेट बिक्री करके जितना प्रॉफिट अमेरिका भेजती है। उससे तीन गुना ज्यादा प्रॉफिट बेंगलौर का इस्कॉन मंदिर एक साल में अमेरिका भेज देता है। और बेंगलौर से बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है और इससे भी बड़ा मंदिर मुम्बई में है और उससे भी बड़ा मंदिर मथुरा में हो गया है भगवान कृष्ण की छाती के ऊपर। हमारे भारतवासियों को भक्ति समझ में आती है। देखो- कितने भक्त हैं यूरोप से आये हैं गोरी चमड़ी वाले हैं विदेश में रहते है फिर भी राम का नाम लेते हैं,कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम तरल हृदय के, सरल हृदय के किसी भी वक्त पिघल जाए। किसी को भी अपना मान ले,

तो हम तो चालू हो गए, हमने उनको मंदिर भी बनाके दे दिया। चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो यह इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है। थोड़े सालों के बाद यह ओपन हो जायेगा पूरा मार्केट, अगर इसमें अमेरिकन और यूरोपियन लोग घुस गए तो हम लोग क्या करेगें? लाखों करोड़ों रुपये ले जायेगें आपके देश से, आप कुछ नहीं कर सकते और इन्कम टैक्स भी फ्री है वहाँ पर। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है इतना वॉस्ट है वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी घुस सकते और बहुत सारा पैसा कमाके यहाँ से अमेरिका ले जा सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर वो पैसा कमाएगें आपके देश से, जो बातें आपके लिए सहज हैं सरल हैं स्वाभाविक हैं उन बातों पर वो लोग खूब कमाएगें।

बेंगलौर में एक कम्पनी आयी है। उसने एक धन्धा शुरु किया है कि भारत में जो लोग अपना टेलीफोन बिल जमा नहीं करा सकते, बिजली का बिल जमा नहीं करा सकते या अपने जरुरी सामान नहीं खरीद सकते, उन सब लोगों के लिए बिल जमा कराने का धन्धा, घर के लिए जरुरी सामान लेने का धन्धा यह कम्पनी करेगी।

आप जानते हैं बेंगलौर में पति-पत्नी हैं। जो दोनो जॉब करते। इनके पास कभी-भी समय नहीं है कि अपना टेलीफोन का बिल जमा कराये या तो उनके बिजली का बिल जमा कर सकें। तो टेलीफोन और बिजली का बिल जमा कराने के धन्धे में एक विदेशी कम्पनी आयी है बेंगलौर में। वो कहते हैं कि आप हमें सर्विसेज तो दीजिये माने पैसा दीजिये। हम आपका टेलीफोन बिल जमा करवाते हैं, बिजली का बिल जमा करवायेंगे, आपका टिकट भी करवायेंगे और रेल का टिकट भी हम आपको करवायेंगे, बस टिकट भी आपको लाके दे देगें। लग गए वो इस धन्धे पर, और बेंगलौर में बहुत बिजनेस मिल गया हैं इन लोगों को। और उसी बिजनेस से पैसा ले कर जायेगें। माने अल्टीमेटली आपके समाज की पूंजी है, आपके समाज का पैसा है वो सब परदेश जाने वाला है।

इसी तरह से और एक कल्पना करिए विदेशी बैंक आ रहे है। विदेशी बैंकों ने शाखाएँ खोलना शुरु कर दी हैं, आपको मैं एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूँ जिसका नाम हैं 'एच.डी.एफ.सी. बैंक'। 1992-93 में जब यह बैंक आया था भारत में, तो उसकी एक शाखा खुली थी, सिर्फ एक ब्राँन्च थी और उसका डिपोज़िट जीरो था। आज एच.डी.एफ.सी. बैंक को भारत में व्यापार करते हुए दस साल हो गया है । एच.डी.एफ.सी. बैंक की दस साल में 243 ब्राँन्च खुल गई हैं और उनके पास सत्तर हजार करोड़ का डिपोजिट है, जीरो से शुरु किया था। अगले साल से W.T.O. की कन्डीशन आने के बाद फिर एच.डी.एफ.सी. बैंक को और खुला मार्केट मिलेगा और शाखायें बनायेगी। और लगता हैं कि दो-तीन लाख करोड़ रुपये का डिपोजिट कर लेगें और इतना डिपोजिट करके वो घोटाला करके भाग जाए तो भारत का फायनेन्स मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा हुआ हैं भारत देश में।

आपको मालूम है 1993-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका की कम्पनी का, और हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था इस बैंक को, वो सिटी बैंक स्कैम था जो हर्षद मेहता के नाम से चला पूरे देश में। स्कैम सिटी बैंक ने किया था हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पोपट था मोहरा था। सिटी बैंक उसको चलाता था और हर्षद मेहता वहीं चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आकर हर्षद मेहता को खड़ा किया। हर्षद मेहता को सिटी बैंक ने पैसा देना शुरु किया और उसको कहा कि आप सिटी बैंक के शेयर खरीदो और हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था और पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत में कुछ कम्पनी को उठाना और कुछ कम्पनी को गिराना। जिन कम्पनी के पास सिटी बैंक के शेयर हैं उनको उठाना और जिस कम्पनी के पास सिटी बैंक के शेयर नहीं हैं उनको गिराना।

और हर्षद मेहता उनको कठपुतली के तरह मिल गया। उसने खेल खेला और उस खेल में हिन्दुस्तान का हजारों करोड़ रुपया, कम से कम 76 हजार करोड़ रुपया डूब गया इस देश का। और जब यह सारा घोटाला खुला और घोटाले के ऊपर इनक्वायरी हुई और इनक्वायरी भारत सरकार के संसदीय समिति ने की और संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है सिटी बैंक जिम्मेदार है भारत के एक्स फायनेन्स मिनिस्टर और वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हमको मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है। लेकिन सिटी बैंक के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अमेरिका से इन्वेस्टमेन्ट चाहिए और मनमोहन सिंह इज एक्स फायनान्स मिनिस्टर, और आज भारत के प्राइममिनिस्टर हैं। फिर भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहाँ से, अमेरिका नाराज हो जायेगा। इसलिए अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की अमेरिका में, कि उनकी हालत खराब हो गई लेने के देने पड़ गए इसी अमेरिका में। भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्राँन्च हैं अमेरिका में, जो इन्वॉल्व हो गई थी। कुछ ऐसे Transaction में, जिनका पता नहीं था और अमेरिका ने डाऊट किया था कि यह Transaction हुए हैं ट्रैवेल्स पर, अमेरिका में एक नियम है एक अकाऊन्ट से ज्यादा पैसा निकाला जाए तो उसकी सारी इनक्वायरी करना और नहीं करेंगें तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ Transaction किए कि उनका कुछ अता पता नहीं था। अमेरिका ने इतना भारी पेनाल्टी ठोका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, कि उसकी एक ब्राँन्च का पूरा डिपोजिट उसकी जाने की स्थिति में आ गई लेकिन अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको, और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ इंडिया को पूरा का पूरा छोड़ दिया।

यहाँ इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं आपको मालूम हैं रामविलास नाम के एक मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने उनकी अध्यक्षता में बनी एक जाँच समिति में यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइन्ड अप करने का आदेश दीजिये। इनका बोरिया- बिस्तर बंद करवा दीजिये। वरना ये देश को लूटेगें। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है जिसमें आज तक कुछ नहीं किया। क्योंकि उनको अमेरिका से डर है अमेरिका नाराज हो जायेगा हमको इनवेस्टमेन्ट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, एच. डी.एफ. सी. बैंक, स्टैण्डर्ड चार्ट5, लेमन ब्रदर्स ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखायें खोलेगें। वो शाखायें खोलेगें कहाँ, किसी गाँव में नहीं, और वो शाखायें खोलेगें ऐसी, जिसमें आप पचास रुपये का डिपोजिट नहीं करवा सकते उनके लिए मिनिमम है पाँच हजार, दस हजार, पंद्रह

हजार, चालीस हजार। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक हैं वो पचास रुपये में भी शाखायें खोलती है क्योंकि उनको सर्विस देनी है बिजनेस नहीं, सर्विस देनी है। इनको बिजनेस करना है तो वो बड़े-बड़े शहरों में शाखायें खोलेगें कलकत्ता है, हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, वगैरह-वगैरह और उनमें जो क्रिमी लेयर हैं, भारत का जिनके पास थोड़ा पैसा है जो डिपोजिट रखेगे और वो डिपोजिट को कहाँ इनवेस्ट करेगें यह आप भी नहीं रोक सकते और उनको मना भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई जो डोमेस्टिक सेविंग हैं, आपके देश की पूंजी वो विदेशियों के हाथ में आप दे देगें। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में आयेंगे और इसी तरह से वो हर क्षेत्र में घुस जायेगें और इस तरह से घुसकर वो क्या कर सकते है भारत में।

एक उदाहरण दे के मैं मेरी बात खत्म करुँगा मेरा व्याख्यान पूरा करुँगा, क्या कर सकते हैं। अभी देखिए भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, आदि-आदि क्षेत्र में विदेशी कम्पनियाँ ज्यादा नहीं आयी हैं। अगले साल से आना वो शुरु होंगे, अभी ज्यादा विदेशी कम्पनियाँ आयी हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथपाउडर बेचने के लिए, ड्रिंक्स बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिन्दुस्तान में आके, उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक्स में अमेरिका की दो कम्पनियाँ है कोका कोला और पेप्सी कोला। दोनो मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं यह सिद्ध हो गया है, 1997 से तो हम चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि यह लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी हैं। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग्स में कह रहा हूँ कि यह लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी हैं, 1997 से मैं हर पब्लिक मीटिंग्स में कह रहा हूँ कि यह ठंडा नहीं है ये तो टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत में सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी टॉयलेट क्लीनर है, वो जहर है प्रयोगशालाओं ने सिद्ध किया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सी.एफ. टी.आर.आई.-उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह जहर हैं और यह भी कहा कि यह टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। सी.एफ.टी.आर.आई. तो कहता है कि यह पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खतरनाक है, फिर भारत सरकार की सी.एफ.एल. ने भी सिद्ध कर दिया, भारत की पाँच-छ: लेबोरेटरी और सभी साईंटिफिक ऑर्गनाइजेशन मान रहे हैं कि यह लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। लेकिन 14 साल से इस देश में बिक रहा है लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की।

किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं, अभी थोडे दिन पहले तक एनडीए सरकार चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने

वाले हैं। उनकी भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी पेप्सी कोक पर। उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लिन चीट दिया पार्लियामेण्ट के अन्दर। अभी यूपीए सरकार आ गई है उसकी तो बिलकुल भी हिम्मत नहीं है। पेप्सी कोक के खिलाफ कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने यह सिद्ध कर दिया है, भारत के बहुत सारे गाँव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए। सब जन्तु मरे हैं फसल के, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह पेस्टीसाइड है पेप्सी कोक नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। यह सब कुछ सिद्ध होने के बावजूद गवर्मेण्ट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेन्स कैन्सिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाईकोर्ट ने कह दिया। सबने कह दिया।

1997 में जब हम इस बात को कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा हैं, हाईकोर्ट यह कह रहा है, सी.एफ.टी.आर.आई. कह रही है ,सभी सी.एफ.एल. यह कह रही हैं, सभी सायन्टिफिक बॉडीज यह कह रही हैं कि यह पेप्सी कोक नहीं है जहर है, क्योंकि इसमें डी.डी.टी., बेंजिन हैक्सा क्लोराइड, मेलाथियान, क्लोरोफायरी फॉस, यह चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं और हमारे शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा हैं, माने हमारे शरीर की जो टॉलरेन्स लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक में है। यह रिपोर्ट कहती है, तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेन्स रद्द करने की।

आप सोचिए कि जब अमेरिकी कम्पनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो हजारों अमेरिकी कम्पनी अगले साल से घुस जायेंगी तब भारत सरकार क्या करेगी? दो के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं हैं उनकी। यह सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं तो भी सरकारों की हिम्मत और ताकत उन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी कम्पनियां आके भारत पे अगर छा तो सारा रुल वो तय करेगें, रेग्यूलेशन वो बनायेगें, कानून वो तय करवायेगें, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं-वो तय करेगें, सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जायेगी कठपुतली हो जायेगी उनके हाथ की।

एक और उदाहरण देता हूँ। एक अमेरिका की एनरॉन कम्पनी आयी थी बोगस और फ्रॉड कम्पनी, जो अमेरिका में बोगस थी फ्रॉड थी, यूरोप के कई देशों में बोगस थी फ्रॉड थी। वो महाराष्ट्र में आके कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेन्ट करने का सारा उन्होंने ढिंढोरा पीटा और महाराष्ट्र सरकार ने क्या-क्या सुविधा नहीं दिया उस एनरॉन को, और ऐसे लोग महाराष्ट्र में थे जो कहा करते थे कि हम इसको

उठाकर अरब सागर में फेक देगें उन्ही लोगों ने उसको लाइसेन्स दे दिया। और उस एनरॉन के लाइसेन्स को कैन्सिल करवाने के लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा, सरकार की हिम्मत नहीं थी उसका भी करने मना की। अदालतों ने हस्तक्षेप किया तब जाके यह सारा प्रोजेक्ट रुका, बाद में पता चला कि कम्पनी ही बोगस थी। फ्रॉड कम्पनी थी। अब वो बोगस और फ्रॉड कम्पनी आती है और भारत में पॉवर प्रोजेक्ट के नाम पर शेयर फ्लोट करे हजारों करोड़ रुपये आपके मार्केट से उठा ले, जिसने जिदंगी में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाया हो वो भारत में हजारों करोड़ का पॉवर प्रोजेक्ट चला ले। इतनी बड़ी विडंबना और एक ऐसे देश में जहाँ सत्ता बहुत बिकाऊ है और नेता सब गधे और घोड़े के माफिक बिकने को तैयार हैं। और ऐसे देश में जहाँ के नेताओं को कुछ ज्यादा इन सब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय की समझ भी नहीं है।

गैट करार के बारे में बात करिए आप एक लाईन से खड़े कर दीजिये। एम.पी. और एम. एल. ए. को, बात करके देखिये उनसे गैट करार के बारे में, क्या बात करते हैं वो आपसे, वो कहेंगे हाँ कुछ सुना तो है लेकिन क्या है हमें माहिती नहीं।

जिनको सबसे ज्यादा माहिती होनी चाहिए उनसे बात करके देख लीजिये आप मंत्रियों से बात कर लीजिये। एम.पी. और एम. एल. ए. की छोड़ता हूँ मैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर से बात कर लीजिये। आपके फायनेन्स मिनिस्टर से बात कर लीजिये, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिये। आपको गैट एग्रीमेन्ट के बारे में कुछ मालूम है? कभी कोमा, फुलस्टॉप उसका देखा हैं आपने? वो कहेगें जी हमें क्या जरुरत है मालूम होने की, यह तो सरकारी अधिकारियों को मालूम होना चाहिए और सरकारी अधिकारी किस तरह के हैं, वो आप जानते है। हिन्दुस्तान का सरकारी अधिकारी सदा उसका है जहाँ से पैसा मिलता है। हिन्दुस्तान के सरकारी अधिकारियों के घर में आजकल सी.बी.आई. वालों ने रेड डालना शुरु कर दिया, एक क्लर्क लेवल के अधिकारी के घर में चार करोड़ मिल गया, पाँच करोड़ मिल गया, छः करोड़ मिल गया। वो सरकारी अधिकारी क्या करने वाला है, वो तो वही करने वाला है जो घूस करायेगी रिश्वत करायेगी उसको।

तो करप्ट हमारी ब्यूरो क्रेसी है और उससे भी ज्यादा करप्ट हमारी एंजेन्सीज़ हैं। पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी है और इतनी करप्शन में डूबी हुई है कि इस स्थिति में अगर बाहर की कंपनियाँ आती हैं और यहाँ से लूट कर ले जाना शुरु करती हैं और उस लूट का थोड़ा हिस्सा अधिकारियों को मिलने लगे और नेताओं को मिलने लगे, वो तो उन्हीं की बात करेगें, उन्हीं के लिये बोलेगें उन्हीं के फेवर में जायेगें। वो आपकी

बात नहीं करेगें, मेरी बात नहीं करेगें, तो देश बंधुआ हो जायेगा और मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे ही खतरनाक काम कभी अंग्रेजों ने किए थे इस देश में गुलामी लाने के लिए। अब वहीं खतरनाक खेल इस देश में आजादी के 56-57 साल के बाद हो रहे हैं, आज भी इस देश में 4500 हजार से ज्यादा विदेशी कंपनियाँ तो आ चुकी हैं और हजारों करोड़ रुपये लूट के ले जा रही हैं। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कोलगेट है, पॉमोलिव हैं, प्रॉक्टर एण्ड गैम्बल, जॉन्सन एण्ड जॉन्सन है और अगले साल से और ज्यादा आयेगें और खुली छूट मिलेगी लूट करने की, और ज्यादा पैसा यहाँ से ले के जायेगें। अल्टीमेटली क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया इस देश में, वो ये कंपनियाँ करेंगी और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होने वाला वर्ग है वो किसान है मजदूर है कमजोर वर्ग है, जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है उसी को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होने वाली है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग इस देश में असंगठित है। उसका संगठन नहीं है, इसलिए चुपचाप धीरे-धीरे या तो वो साईड लाईन हो जायेगा या आत्महत्या करके रास्ते से हट जायेगा, रास्ता इनके लिए खुल जायेगा। ऐसी स्थिति देश के सामने हैं।

अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें? मैं आपसे निवेदन करने के लिये आया हूँ कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा और कोई इस देश में करने वाला नहीं है। आप राजकीय पक्षों से कोई भी अपेक्षा मत करिए कि कुछ करेगें, राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो दस साल से यह गैट करार साईन होके पड़ा हुआ है, तो कुछ उन्होंने किया होता और पिछले दस साल में हिन्दुस्तान के हर राजकीय पक्ष को चलाने का मौका मिला है इस देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा कोई राजकीय पक्ष नहीं बोल सकता कि हमको सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला, अगर इनको कुछ भी करना होता तो ये कर सकते थे। आप बोलेगें क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे वो काम जो अमेरिका ने किया। मैंने आपसे कहा था ना, अमेरिका ने क्या किया। संविधान संशोधन कर लिया संविधान संशोधन करके गैट करार साईन किया, अब गैट करार की जो खराब बातें हैं अमेरिका उसको नहीं मानेगा। अब कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो कह रहे है ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रिवेल, उन्होंने संशोधन कर लिया, वो कहते हैं हमारा संविधान ऊपर है। हम भी यह कर सकते थे, हमारे राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो वो भी ये कर सकते थे। आप बोलो तो ये राजकीय पक्षों को यह बात किसी ने बताई नहीं है, यह मैंने बताई है। हिन्दुस्तान की जितनी भी वर्तमान राजनैतिक पार्टियाँ हैं जो सेन्ट्रल लेवल पर काम करती हैं। उनके हर बड़े नेताओं से मैं मिला हूँ, कम से कम 250 ऐसे नेता हैं जो जीवित है इस देश में, जिनको मैं व्यक्तिगत रुप से मिला हूँ। जा-जाकर

मैंने यह गैट एग्रीमेन्ट की फोटो कॉपी करके उनको दिया है, इस पर लिस्ट लिखके दिया है कि देखिए ये खराब है, ये खराब है, देखिए इसको बदलवाइये, ना तो किसी ने कोई इंट्रेस्ट लिया। कोई रस भी नहीं लिया और इस में से दुर्भाग्य की बात यह है कि इन 250 एमपीज़ में जो बड़े नेता हैं इस देश में, इनको मैं मिला। मैक्सिमम ने गैट करार की कॉपी मुझे वापस दे दिया कि ये आप ही पढ़िए। आप ही रखिये। आप ही स्टडी करिए और आप ही जनजागृति लाइये, हमारे बस का नहीं है यह सब, मैंने कहा आप करोड़ो रुपये लेते हैं, इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का, आपका तो पहला धर्म बनता है यह सब लोगों को बताना, समझाना जनजागृति लाना। वो कहते हैं ना हमको यह समझ आता है ना हम इसपर बात कर सकते हैं यह आपका ही काम है यह आप ही करिए।

माने मेरे लिए-ना मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ना मैं मेम्बर ऑफ असेम्बली हूँ,ना मैं म्युन्शिपल कॉरपोरेशन का कॉर्पोरेटर हूँ, ना ग्राम सभा का सरपंच हूँ,ना किसी पंचायत का सदस्य हूँ, मुझे कहते हैं कि तुम यह करो। और जिनको ये जिम्मेदारी है जिनके ऊपर वो हजारों करोड़ो रुपये खर्च हो रहे है जो इसी के लिए जाते है संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में; वो करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? दो बड़े कारण है एक तो यह है कि मेजोरेटी मेम्बर ऑफ पार्लियामेण्ट मेम्बर ऑफ असेम्बली, एम. एल. ए.,एम. पी. में इस गैट करार को लेकर- W.T.O. को लेकर कोई समझ नहीं है। किसी ने अध्ययन ही नहीं किया है। अभ्यास भी नहीं किया है और उनकी शायद केपीसिटी नहीं है इसको समझने की, अभ्यास करने की, अध्ययन करने की। क्योंकि हिन्दुस्तान की संसद का जिस तरह का Confriguration है आप देख लो। हिन्दुस्तान की संसद में ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए था मंत्री बनके बैठे हैं, नोटेड क्रिमिनल और हिस्ट्रीशीटर हैं उनसे आप कल्पना करेगें कि वो गैट करार को समझेंगे और इसपे कोई बात करेगें संसद में। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं देश में, जो हिस्ट्रीशीटर हैं जिनको जेल में होना चाहिए था, एम. एल. ए. ऐसे हैं हिन्दुस्तान में पचास टका से ज्यादा जो क्रिमिनल हैं, नोटेड क्रिमिनल, और ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है छोटे-मोटे मर्डर करवाये है ,रेप किए है ,किसी को लूटा है किसी का घर जलाया है, गम्भीर अपराध जो माने जाते है इस देश में, वो सब करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के बीच में आप कल्पना करे गेट करार की बात तो शायद नहीं हो पायेगी।

इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लोगों के बीच में जाएँ और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई आप इसको समझ लो, फिर लोग कहेंगे कि ठीक है

हमने समझ लिया, अब क्या करें? अगर कोई समस्या हमें समझ में आ जाए तो समाधान क्या है। मान लीजिये शेतकरी भाईयों के लिए शेतकरी बांधवों के लिए यह गंभीर समस्या है यह गैट ऍग्रीमेंट जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो उसमें से मुझे समाधान भी समझ में आ गया और इसका सबसे सरल समाधान है भारत के सत्तर कोटी शेतकरी बांधवों को अगर बचाना है गैट करार से, तो उनको एक ही बात के लिए प्रेरित करो कि तुम खेती करना शुरू करो सेंद्रिय पद्धति से, सेंद्रिय खाद वापरो, यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट बंद कर दो और ये परदेशी कंपनियों के बीज वापरना बंद कर दो, ये मॉनसन्टो का बीज, ये कारगिल का बीज, ये उसका बीज, और ये सब बीज वापरना बंद कर दो। तुम्हारे बीज तुम बनाओ और उनको वापरना शुरू करो, तुम्हारी खाद तुम बनाओउसको वापरो, तुम्हारी पेस्टीसाईड तुम बनाओ, तुमको जरूरत पड़े तो तुम खुद बनाओं, बाजार से कुछ खरीद के मत लाओ और भारत का शेतकरी एक ऐसी स्थिति में है कि उसको बाजार से कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी खेती खुद कर सकता है। बशर्ते कि उसको कोई प्रेरित करने वाला हो, क्योंकि अब तक पिछले 20-25 साल में उसको बहुत गलत जानकारी दी गई है। बहुत माहिती ऐसी दी गई है उसको। सबसे खराब माहिती ये दी गई कि बिना यूरिया, बिना डी.ए.पी., बिना सुपर फॉस्फेट, बिना रासायनिक खाद के कुछ उत्पन्न नहीं होता। जो सबसे गलत माहिती है। उत्पन्न होने में डी.ए.पी. सुपर फॉस्फेट का कोई उत्साह नहीं होता कोई योगदान नहीं होता मैं आपको इसका सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूँ। ये यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट का कितना बड़ा फ्रॉड है और यहाँ कोई ऍग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा तो वो तुरन्त समझ जायेगा, फ्रॉड यह है कि यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट जितना भी डाला जाता है उसका एक टका भी काम में नहीं आता, एक टका वन परसेन्ट भी काम में नहीं आता, 99 परसेन्ट यूजलेस है।

कैसे जाता हैं मैं समझाता हूँ, जब भी हम बीज डालते हैं खेती में, तो बीज में अंकुरण होता है। अंकुरण धीरे-धीरे पौधा बनता है पौधा बड़ा होता है बड़ा होता है। आप अगर ध्यान से इस विषय को देखे और समझे तो होता यह है कि पौधा जब अंकुरित होता है और अंकुरित होने से 20-25 दिन के अन्दर उसकी केनॉपी आ जाती है, केनॉपी मीन्स उसके पत्ते आ जाते हैं। अब जैसे ही पत्ते आ जाते हैं तो पौधा जमीन से भोजन लेना बंद कर देता है, वो सारा भोजन लेता है सूर्य के प्रकाश से, सारा का सारा भोजन सूर्य के प्रकाश से लेता है जिसको हम सब लोग फोटो सिन्थेसिस कहते हैं और जो भी कहना चाहे कहिए। तो उसकी जो केनॉपी आ गई, पत्ते आ गए तो भोजन लेने का काम तो सूर्य से कर रहा है तो जमीन से भोजन लेना

तो बंद कर दिया। अब यूरिया, डी.ए.पी. आप जमीन में डाल रहे हो, डाल रहे हो वो कुछ ले नहीं रहा फालतू में डाल रहे हो। टोटल बोगस है फ्रॉड है, और इतना बड़ा फ्रॉड हिन्दुस्तान में चल रहा है पिछले चालीस साल से ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर। और जब मैंने हिन्दुस्तान के बड़े साइंटिस्टों से बात किया इस विषय पर, तो मैंने पूछा कि इतना बड़ा फ्रॉड आप चला कैसे रहे है पिछले चालीस साल से? पौध ो को जब जरुरत है जमीन से लेने की, उस समय यूरिया, डी.ए.पी. होता नहीं वहाँ पर, जब उसको जरुरत नहीं है तब उसको डाला जाता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपकी बात सही है। तो यह चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि ये जो यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट बनाने वाली कंपनियाँ हैं इनका कमीशन ऊपर से नीचे तक बँट रहा है नेताओं से अधिकारी तक, इसलिए यह फ्रॉड चल रहा है, सब साइंटिस्ट में भी यही बँट रहा है।

हिन्दुस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जितना यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट जमीन में डाला जाता है उसका 99 परसेन्टेज वेस्ट चला जाता है और मिट्टी को खराब कर देता है। खराब कैसे करता हैं मिट्टी का जो बैलेन्स है उसको तोड़ देता है उनका बैलेन्स जो पी.एच. वैल्यू 7 के आस पास उसको तोड़ देता है और कार्बन कटेंन्ट को लगातार कम करता जा रहा है। यह बैलेन्स टूटता है तो खेती का उत्पादन कम हो जाता है उसका नुकसान शेतकरी को होता है तो यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट का इतना बड़ा फ्रॉड और उससे भी बड़ा फ्रॉड पेस्टीसाईड का।

ये जो पेस्टीसाईड और इनसेक्टीसाईड हैं ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है, एण्डोसल्फान डालो, मेलाथियान डालो, पेलाथियान डालो, बेन्जिहेक्साक्लोराइड डालो, ये डालो, वो डालो। भाई क्यों डालूँ? तो कहते हैं जी कीट आया है। अच्छा, कीट आया है तो ठीक है आपने डाला है तभी तो आया है, ऐसे तो नहीं आया है। कीट आया है आपके फसल को चौपट कर रहा है, तो किसी ने उसको बुलाया है या तो उसके लिए कन्डीशन तैयार की गई तो ही वो आया है अदरवाइस वो नहीं आता। हमारे शरीर में कोई वायरस कैसे घुस जाता है। कन्डीशन उसके अनुकूल है इसलिए घुस जाता हैनहीं तो नहीं घुसता। अगर प्रतिकूल कन्डीशन है तो बताइये कैसे घुसता है आपके शरीर में? इसको ऐसे समझने की कोशिश करे "कोई एक डॉक्टर है वो सुबह से शाम तक 50 मरीजों के पास बैठता है, उनके श्वाँस से निकली हुई दुर्गंध को सूँघता है और हमारे मुँह से निकली हुई बदबू को भी सूँघता है। तो उसे टयूबर कुलोसिस नहीं होता, होता है क्या? टयूबर कुलोसिस का इलाज कराने वाले किसी भी डॉक्टर को टयूबर कुलोसिस होता है क्या? क्योंकि उनका इंटरनल बॉडी सिस्टम

या उनके अंदर का रजिस्टेंस इतना होता है कि वो बाहर से आये हुए बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है तो वो आसानी से घुस भी नहीं सकता। तो इसी तरह भूमि के साथ यही होता है कि भूमि में आसानी से कोई बैक्टीरिया या वाइरस या कीट नहीं घुसता और फसल को चौपट कर दे, तो वो तभी सम्भव है कि वहाँ पर उसके लिए कन्डीशन ही कन्डीशन है और उसको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले अन्यथा यह सम्भव नहीं है और अनुकूल वातावरण कौन पैदा करवाता है ये यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट।

दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके देख लिया है कि जिस भूमि पर ये सबसे ज्यादा डाला जाता है उसी भूमि पर सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल अटैक होता है और उसी में सबसे ज्यादा कीट आते है और वहीं आपको यह पेस्टीसाईड चाहिए। कीटनाशक चाहिए। और सरल उपाय यह है कि आप ये यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट डालना बंद कर दो आपको कीटनाशक की भी गरज नहीं पड़ेगी।

तो गैट करार से भारत के शेतकरी बांधवों को बचाने का सबसे बड़ा और सरल रास्ता हैं ऑरगेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती उसको जो भी नाम देना है दे दीजिये उससे कोई महत्व नहीं है। उसमें विवाद भी करने की कोई जरुरत नहीं है। बिना रसायन की खेती यानी बिना यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट, एण्डोसल्फान, मेलाथियान, पेलाथियान, के खेती करना इस देश का किसान जब शुरु कर देगा तो गैट करार की एक भी शर्त उसके ऊपर लागू नहीं होती, गैट करार में से यह रास्ता निकलता है। अर्थात् हम हिन्दुस्तान के लोग आप सबके साथ मिलकर अगर एक अभियान पूरे देश में चलाए तो शेतकरी बांधवों के लिए नैसर्गिक खेती करो, ऑरगेनिक फार्मिंग करो, प्राकृतिक खेती करो, सेन्द्रीय खेती करो, यह ज्यादा से ज्यादा अभियान चलाया जाए तो गैट करार से आप 70 कोटि शेतकरी को बचा लेगें और हिन्दुस्तान को भी बचा लेगें। क्योंकि हिन्दुस्तान की मिट्टी में यह प्रकृति है कि हम सेन्द्रीय खेती कर सकते हैं। यूरोपियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की मिट्टी वैसी नहीं है सेन्द्रीय खेती करने लायक। सेन्द्रीय खेती होने के लिए मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता उसका सॉफ्ट होना चाहिए, यूरोप की मिट्टी बहुत कड़क है। भारत की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। भारत में सम्भव हैं यूरोप में सम्भव नहीं, इसलिए ये हमारे यहाँ सम्भव है। और सेन्द्रीय खेती उसी देश में सम्भव है जहाँ सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहे, यूरोप को आठ महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। हमको बारह महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है। 24 घण्टे चाहे तो हम सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। बारह घण्टे तो सीधे कर सकते हैं। बारह घण्टे परोक्ष

रुप से कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध है। बायो-डाईवर्सिटी हमारे पास अद्‌भुत किस्म की है, मिट्टी सबसे सुन्दर दुनिया की हमारे पास है, हमारे पास पानी की भी व्यवस्था ठीक-ठाक है। बस हमारे शेतकरी बांधवों का मानस बदलने की जरुरत है मन बदलने की जरुरत है और वो सेन्द्रीय खेती की तरफ आ जाए। ऑरगैनिक फार्मिंग की तरफ आ जाए तो गैट करार से बचने का रास्ता है।

एक दूसरा बाकी सेक्टर में गैट करार से बचने का क्या रास्ता है, बाकी जितने भी सेक्टर है गैट करार के, जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूँ उनके बचने का रास्ता महात्मा गांधी बताकर गए हैं। महात्मा गांधी ने बहुत सुन्दर बात कही थी अपने जीवन में, जब कही थी तब भी सत्य थी और उनके जाने के बाद भी सत्य है। वो कह गए कि जब गुलामी चारों तरफ से घेर ले आपको और हर तरफ आपको गुलामी ही गुलामी नजर आए और आपको लगने लगे कि आपकी आजादी और स्वतंत्रता चली जायेगी। तब बहिष्कार और असहयोग दो ऐसे शस्त्र हैं जो गुलामी के हर पहाड़ को तोड़ सकते है यह गांधीजी बता गए हैं। माने गैट करार की गुलामी जब चारों तरफ से घेर ले। हजारों विदेशी कम्पनियाँ भारत में घुस जाए और देश को लूटने में लगी रहे तो हमारे पास एक शस्त्र है वो बहिष्कार और असहयोग। गांधीजी बताके गए हैं उसका उन्होंने उपयोग भी कर के दिखाया है तो हम भारत वासी एक संकल्प करलें कि हम बहिष्कार करेगें और असहयोग करेगें। अर्थात् जितनी भी विदेशी कम्पनियाँ बाहर से आयेंगी, कुछ भी करने के लिए उनका बहिष्कार करेगें उनके साथ असहयोग करेगें, इसको समझने का अर्थ क्या हैं । बहिष्कार करेगें, असहयोग करेगें, अगर विदेशी कम्पनियां आके भारत में पानी बेचती हैं, दन्तमंजन बेचती हैं, टूथपावडर बेचती हैं, टूथपेस्ट बेचती हैं, हम खरीदेगें नहीं। और असहयोग कैसे करेगें, अगर विदेशी बैंक भारत में आकर ब्रॉन्च खोलती है।हम हमारा अकाउन्ट उसमें खोलेंगें नहीं। अगर हम हिन्दुस्तानी विदेशी बैंको में अकाउन्ट नहीं खोलेगें, तो कौन विदेशी बैंक है जो यहाँ चल जायेगी। अगर हम हिन्दुस्तानी विदेशी बीमा कम्पनियों से कुछ मदद लेगें ही नहीं उनके यहाँ प्रीमियम भरेगें नहीं, उनसे पॉलिसी लेगें नहीं। तो कौन सी विदेशी बीमा कंपनी यहाँ चल जायेगी ? हम हिन्दुस्तानी किसी विदेशी डिपार्टमेन्ट स्टोर्स में जाकर सामान खरीदेगें नहीं तो कौन सा विदेशी डिपार्टमेन्टल स्टोर चल जायेगा। सवाल ही नहीं उठता। गांधीजी का बताया हुआ यह रास्ता बहुत ही अच्छा तकनीक भरा और ताकतवर है कि बहिष्कार करो और असहयोग करो। अंग्रेजों के साथ असहयोग करो और इस स्थिति तक गांधीजी ने असहयोग कराया कि अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना बंद कर दो और जिस दिन भारतवासियों ने टैक्स देना बंद कर दिया। अंग्रेज सरकार ने सरेन्डर करना शुरु

कर दिया। जब तक हम भारतवासी बराबर उनको टैक्स भरते रहे वो हमारे ऊपर शासन करते रहे, जब सरदार पटेल ने और महात्मा गांधीने टैक्स नहीं भरने का अभियान शुरु कराया पूरे देश में, अंग्रेजों ने सरेन्डर करना शुरु कर दिया और एक दिन सरेन्डर करके चले गए।

तो यही हम कर सकते हैं। हम विदेशी बैंको से असहयोग करें-माने सिटी बैंक ऑफ इंडिया में खाता ना खोले, खोल लिया है तो बंद करे, एच.डी.एफ.सी. में खाता ना खोले, भारत में 28 तो नेशनल बैंक है, फिर हमारी ऑरीजिनल बैंक, फिर लोकल बैंक हैं, फिर कॉपरेटिव बैंक हैं, इतनी सारी बैंक हमारे पास में है इनमें हमारा अकाउन्ट खोले। हमारा पैसा इनमें डिपोजिट करें। फिर आप कहेगें जी इनमें घोटाले होते रहते हैं, घोटाले तो विदेशी बैंको में इतने बड़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के किसी स्वदेशी बैंक में घोटाला होगा तो उसकी गारंटी रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया लेता है, आपका पैसा आपको मिल जायेगा। सिटी बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला होगा तो उसकी गारंटी नहीं है। वो पैसा भी लेके चला जायेगा सब खत्म कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते और अमेरिका जा के लड़ नहीं सकते उससे आप। तो घोटाले होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, अपने सिस्टम को दुरस्त करें, और घोटाले के कारण हम विदेशी बैंकों में अपना खाता खोले और अपनी सारी जमा पूंजी उनको सौप दे वो अच्छा नहीं है। तो हम हमारे जीवन में संकल्प करें हम विदेशी कम्पनियों का सामान खरीदेगें नहीं, हम उनको मदद करेगें नहीं, हम किसी भी तरह का सहयोग करेगें नहीं। हम भारतवासी अगर उनका सहयोग करेंगे नहीं और उनका कुछ सामान ना खरीदे, तो कोई गैट करार, कोई विदेशी कम्पनी इसपर हावी हो नहीं सकती। तो यह हमें करना है पूरे देश में अभियान चलाना है और इसके साथ-साथ दुनिया के इन सभी देशों में यह अभियान चलाना हैं कि उनको गैट करार से तकलीफ होने वाली है। मैंने आप से कहा-एशिया, इंडोनेशिया, थाइलैण्ड, फिलीपिन्स छोटे-छोटे देश हैं ओमान, बहरीन, सउदी अरेबिया, इराक, सोमालिया, इथोपिया इन सभी देशों में अभियान चलाना है और उसका प्रयास हमने शुरु किया है।

मैं अभी पिछले महीने करीब 20 दिन के विदेश प्रवास पर गया था। इन्हीं छोटे-छोटे देशों में गया था। यूरोप का एक भी ऐसा देश नहीं है जो बिना तेल के जिन्दा रह सके। कहने लगे अगर हम इनको तेल नहीं बेचे तो किसको बेचें? तो मैंने कहा हमको बेचो, दुनिया के सब देशों को बेचो, अमेरिका-यूरोप को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश को बेचो, और आप का अधिकार है। आप तेल किसको बेचो किसको न बेचा-भाई पैदा करने वाले का अधिकार होता हैं कि किसको

बेचे किसको न बेचे। तो आगे से उनको तेल बेचना बन्द कर दो, तो उन्होंने कहा कि और दूसरा उपाय बताइये तो मैंने कहा दूसरा उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। तो मैंने कहा आप जो तेल बेचते हो वो डॉलर में बेचते हो वो अपनी करेन्सी में बेचो, कुवैत की करेन्सी है दीनार, ठीक है, दीनार में तेल बेचो। बहरीन की करेन्सी है वो अपनी करेन्सी में तेल बेचे, ओमान की करेन्सी है रियाल, वो अपनी करेन्सी में तेल बेचें। डॉलर में तेल बेचना बन्द कर दो तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा? तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा काम होगा कि अगर आप डॉलर में तेल बेचना बन्द करेगें तो डॉलर में तेल का रेट फिक्स नहीं होगा और तेल का रेट अगर डॉलर में फिक्स नहीं होगा तो डॉलर की डिमान्ड कम हो जायेगी और डॉलर की डिमान्ड कम होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जायेगी और डॉलर की कीमत कम हो गई तो अमेरिका की कीमत कम हो जायेगी, और अमेरिका की कीमत कम हो गई तो सबकुछ हो गया। फिर मैंने कहा तीसरा एक सरल उपाय है आपके आपस के जो झगड़े है उनको अगर सुलझाना है तो उसका सरल रास्ता है। देखिए, कुवैत की करेंन्सी है दीनार, ओमान की करेन्सी है रियाल, तो आप सब मिलकर एक कॉमन करेन्सी बना लो। जैसे यूरोप के सब देश मिल गये हैं और उन्होंने यूरो डॉलर बना लिया। फ्राँन्स ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने, स्विटजरलैण्ड ने, डेनमार्क ने, नार्वे ने आपस में मिलके यूरो डॉलर बना लिया, तो आप जितने भी देश हैं वो सब मिलकर एक कॉमन करेन्सी बना लो और उस करेन्सी में तेल बेचो तो इनको आप ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा की हाँ जी आपका आइडिया अच्छा है तो मैंने कहा यह आइडिया अच्छा ही नहीं बल्कि इतना अच्छा है कि इस आइडिया में आपको ओसामा बिन लादेन की भी जरुरत नहीं है सद्दाम हुसैन की भी जरुरत नहीं है आप ओसामा बिन लादेन पैदा करो। आप सद्दाम हुसैन पैदा करो, फिर उनको करोड़ो रुपये दो। तो फिर हथियार खरीदे फिर वो लोग अमेरिका वालों को मारे, फिर मैंने कहा आप उसको ऐसे हथियार से पीटो कि उनका कोई जवाब उसके पास ना हो।

और इनके जितने अरब देश हैं इनके कई बड़े लोगों को मैं मिला, उनको जा कर मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अरबों डॉलर है जो आपको अमेरिका के पास से निकालना है और भारत में रख दो। वैसे ही आपका अमेरिका से झगड़ा चल रहा है, अरब देशों की अमेरिका के साथ कोई दोस्ती तो है ही नहीं, तो आप रोज उनकी गाली सुनते हो और अपना डॉलर भी वहीं रखते हो। उनका डॉलर माने पेट्रो डॉलर, तो मैंने कहा कि ये सब भारत में रखो, तो उसने कहा भारत में सिस्टम? तो मैंने कहा बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे पास। हमारे पास 28 बैंक हैं नेशनल लेवल की, और लोकल लेवल की जो सबसे ज्यादा बैंक हैं किसी भी बैंक

में रखों आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है आपको, आपका पैसा वहाँ सुरक्षित है। तो मैंने कहा अमेरिका आपको इन्ट्रेस्ट कितना देता है मुश्किल से ड़ेढ टका 1.5 परसेन्ट। हम आपको कम से कम 5 टका, 6 टका, 7 टका दे सकते हैं। हमारी कुछ को-ऑपरेटीव बैंक हैं जो आपको 8 टका भी दे सकती है। तो आपका पैसा आप यहाँ रखो हमको जरुरत पड़ेगी तो हम वापरेगें नहीं तो आपको वापस कर देगें, वरना रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट तो दे ही देगें।

अगर वो पैसा ये लोग भारत में आकर रखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना पैसा है, एक सेठ को मैंने पूछा उसने कहा मुझे मालूम नहीं हैं कि कितना पैसा है हमारा अमेरिका के बैंको में, तो मैंने कहा आपका एडवाइजर है? तो उसका एडवाइजर एक सरदार जी है। अब देखो एक कुवैत के सेठ का एडवाइजर सरदार जी है, तो मैंने पूछा ये सेठ का कितना पैसा है? तो उसने कहा 3 ट्रिलियन डॉलर (तीन हजार अरब डॉलर) अमेरिका की बैंक में एक कुवैत के सेठ का है। तो मैंने कहा कि ये भारत में आ जाए तो भारत का तो आप जानते है रुपये की ताकत कितनी होगी? तो उसने कहा कि अगर 3 थाउजेन्ड अरब डॉलर भारत में आ जाए तो भारत की फॉरेन रिजर्व की ताकत बढ़ जायेगी। अगर भारत में 3 बिलियन थाउजेन्ड डॉलर अगर रिजर्व हुआ तो रुपये की ताकत आप जानते हैं क्या होगी? रुपये की ताकत हो जायेगी 7-8 रुपये बराबर एक डॉलर, और अगर 6 हजार अरब डॉलर भारत में आ जाए तो एक रुपया एक डॉलर हो जायेगा और अगर एक रुपया बराबर एक डॉलर हुआ तो सारा विदेशी कर्ज बिना एक रुपये दिए हुए खत्म हो जायेगा।

क्योंकि हमने विदेशी कर्ज लिया है 1 डॉलर 44 रुपये के हिसाब से, फिर हो जायेगा 1 रुपया बराबर 1 डॉलर। तो लिया है 44 गुना और देना है 1 ही गुना, तो बिना पैसे दिए विदेशी कर्ज सारा चुकता कर देगें, और क्या होगा-रुपया और डॉलर अगर बराबर हो गया तो, भारत में डीजल की कीमत होगी 40 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल की कीमत होगी 70 पैसे प्रति लीटर, रसोई का सिलेंडर मिलेगा एल. पी.जी. गैस 10-12 रुपया प्रति सिलेंडर, हवाई जहाज की यात्रा करेगें 300 से 400 रुपये में नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से अगर अमेरिका जाना हो तो 1200 रुपया टिकट आयेगा हवाई जहाज का। आप कल्पना करिए सबसे बड़ी बात क्या होगी अगर रुपया डॉलर बराबर हो गया तो विदेशी कर्ज सब साफ हो गया बिना एक पैसा दिए कर्ज माफ हो गया, और आपकी जो एक्सपोर्ट इन्कम है वो आज से ठीक 44 गुनी बढ़ जायेगी। आपको समझ में आया हम जो एक्सपोर्ट करके आज कमा रहे हैं। उससे 44 गुनी आज से ज्यादा इन्कम बढ़ेगी एक्सपोर्ट करने से।

अभी हमारी एक्सपोर्ट इन्कम जो है वो है 55-65 बिलियन डॉलर पर ईयर, फिर इसमें 44 का गुणा कर दो यही एक्सपोर्ट इन्कम हमारी 44 गुनी बढ़ जायेगी और अगर एक्सपोर्ट इन्कम इतनी बढ़ी और इम्पोर्ट का बिल 44 गुना कम हो जायेगा, तो भारत सरप्लस कन्ट्री हो जायेगा। तो हम तो चीन को भी पछाड़ सकते हैं अमेरिका तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो हम तो दुनिया में सबसे ऊपर आ सकते है।

तो छोटा सा यह काम करे के देखिए, मुझे तो कभी-कभी यह लगता हैं कि बहुत सारे खराब परिस्थिति भी अच्छे रास्ते का निर्माण कर देती है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत घटाघोर अंधकार छा जाये तो सवेरा जल्दी होता है, यह W.T.O. में से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है वो रास्ता यह दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग अगर लीडरशिप ले तो पूरे अफ्रीका और अरब देशों को एक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं W.T.O. से। हमको जितनी मार पड़ेगी उससे भी ज्यादा अफ्रिका को पड़ेगी और अरब देशों को उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अरब देशों के सब नियम कायदे कानून W.T.O. के विरुद्ध में है।

आपको मालूम है कोई भी अरब देश में जाकर अगर आप बिजनेस करे तो मेजॉरीटी इक्विटी आप नहीं रख सकते, वहाँ मेजॉरीटी इक्विटी उनकी होती है एक, दूसरा कोई भी अरब देश में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो एक पैसे का भी इनवेस्टमेन्ट नहीं करेगा और आपसे रॉयल्टी भी लेगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी लेगा। सिर्फ आपको स्प्रिोन्सर्स कर रहा है वीजा दिलवा रहा है इसके लिए पैसा लेता है। जितने भी अरब देशों में भारतीय लोग बिजनेस करते है सब ने स्लीपिंग पार्टनर बनाये हैं, माने जो पार्टनर होता है वो कुछ करता नहीं है टाईम पर आयेगा पैसा लेके चला जायेगा। ना बिजनेस से कुछ मतलब है ना आपके प्रॉफिट से। जितना आप कर रहे है वो सब आप करिए, मेहनत आप करे, पैसा आप लगाइये, मैनेजमेन्ट आप करिए, हर महीने वो आ जायेगा अपना रॉयल्टी लेने, और वो सब करते है ऐसे, और कोई भी अरब देश में प्रॉपर्टी लोन नहीं कर सकते ये आपको मालूम हैं ये सब कानून है। ये सब कानून उनको बदलने पड़ेगें W.T.O. के कारण, तो उनको हमसे भी ज्यादा तकलीफ है। हमारी तो सब अरब प्रॉपर्टी इनके हाथ में चली जायेगी, तो उनके दिल में आग हमसे ज्यादा है और अफ्रीकी देशों में हमसे भी ज्यादा है।

तो ये W.T.O. के बहाने हम भारत के लोग चाहें तो एक लीडरशिप खड़ी कर

सकते हैं दुनिया के सामने और ये सब वही देश हैं जिन्होंने भारत के साईन करने के बाद साईन किया, वो कहते थे ना भारत ने किया इसलिए हमने किया। इन सब देश को इकठ्ठा कर लें और ऐसे देशों की संख्या 77-80 के आसपास है, ये इकठ्ठे हो गए तो हम एक नया संगठन बना सकते है एक नया W.T.O. बना सकते हैं । उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेन्ट कर सकते हैं जो इसमें नहीं हैं और ये देश मिलके दुनिया को चला सकते हैं या दुनिया को दिशा दे सकते है। क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास रिसोर्सेस हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मेनपॉवर है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास सरप्लस कैपिटल भी आ जायेगा अगर ये देश जो हैं डॉलर में ट्रँजेक्शन बंद कर दें तो सरप्लस कैपिटल अपने आप आ जायेगा। जैसे ही दुनिया में डॉलर का चलन कम हुआ अमेरिका नीचे-नीचे-नीचे-नीचे और नीचे आ जायेगा।

और एक लास्ट सॉल्यूशन मैंने उनको कहा कि आप सब एक काम तुरन्त कीजिये जो आपके पास जितना भी डॉलर फालतू पड़ा हुआ हैं वो अमेरिकी सरकार को वापस दीजिये और उसके बदले में सोना ले लीजिये अमेरिका से, क्योंकि यह जरुरी है, अगर हम भारत सरकार की तरफ से जाएँ हमारे पास 130 अरब डॉलर है हम अमेरिका की बैंक को यह वापस कर दें, और अमेरिका की बैंक उसके लिए बाध्य है कि वो उसके बराबर का सोना हमें दे। इसे कहते हैं दिमाग। हम 130 अरब डॉलर अमेरिकी बैंक को दे दें और कहें कि इसके बदले हमें सोना दे दो। हमें तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए और ऐसे ही दुनिया के 20-25 देश यह करें तो अमेरिका के पास इतना सोना नहीं हैं कि वो इतना सारा सोना दे सके, तो वो अपने आप ही अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगें और जिस दिन अमेरिका अपने आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा यूरोप भी उसके साथ डूबेगा। तब दुनिया के दूसरे सारे देश ऊपर आ जायेगें। तब पूरी दुनिया को बदला जा सकता है।

यह हमारे लिए चुनौती भी है और यह हमारे लिए अवसर भी है। चुनौती के रुप में हम इसको ले तो अवसर निकलता है और अगर हम सरेन्डर कर देगें W.T.O. के सामने तो हम भी खत्म हो जायेगें और हमारे साथ ये दुनिया के 77 देश भी खत्म हो जायेगें। इसलिए हिन्दुस्तान के लोगों से इन सब लोगों को विशेष रुप से अपेक्षा है। मैं जब इन देशों में घूमने गया और जब मैंने इन देशों से बात की तो इन सभी ने एक ही बात की कि आप कुछ करिए हम सब आपके साथ हैं। हर एक जगह मुझे यही सुनने को मिला अब आप कुछ करिए हम आपके साथ हैं और इन देशों में जब मैं W.T.O. के ऊपर बात करता था और शाम 7.30 बजे शुरु होता था और रात

2.30 बजे पूरा होता था तो वो बिलकुल ध्यान से सुनते थे एक-एक बात नोट करते थे। तुरन्त सवाल करते थे यह ऐसा क्यों है? यह ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें और क्या है? बाय लॉस्ट क्या है? सब डिटेल में बात करते थे। सब इन्टेल्यूक्चल थे तो उनके दिमाग में अब यह बातें बैठ रही है। हमारे दिमाग में बैठी हुई है। हम सब मिलकर इसको एक बड़ा अभियान का रुप दें तो शायद दुनिया से अमेरिका और यूरोप की दादागीरी खतम हो जायेगी और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सच में जो सुंदर हो, सुखी हो और भारतीयता के आधार पर हो।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सवसन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्

यह भावना हम में है। मैं इसको इस स्वरुप में देखता हूँ किआने वाले 2-3 वर्षों में भारत के अन्दर और भारत के सभी पड़ोसी देशों में इस आंदोलन को हम इतना फलीभूत करें कि यह सभी देश इस लड़ाई में एक साथ शामिल हों। जैसे हम विदेशी कम्पनी का बहिष्कार करे, वैसे अरब देश भी बहिष्कार करेंगें। अमेरिकन, यूरोपियन कम्पनी का भी बहिष्कार करें। वैसे ही अफ्रीकी देश भी बहिष्कार करेगें और अल्टीमेटली ये लड़ाई तो माल बेचने की है प्रोडक्ट को लाने की है मार्केट में। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो उनका माल बिकेगा ही नहीं उनके मार्केट में, अपने आप वो सिकुड़ते जायेगें डिफेन्स होते जायेगें और इस युद्ध में हम उनको पीटेगें और वो लोग पीट नहीं पायेंगें हमको, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट नहीं है। ये लड़ाई मार्केट की है और जिनके पास बड़ा मार्केट है वही जीतेगा वहीं विजयी होगा इस लड़ाई में। तो अगले तीन वर्षों में आजादी बचाओ आंदोलन ने यह अभियान घोषित किया है कि W.T.O. को खत्म करें और ये जो गरीब देश हैं हमारे पड़ोसी देश हैं एशिया के, अफ्रीका के, जरुरत पड़े तो लैटिन अमेरिका के भी-इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ बिजनेस बढ़ाओं इन देशों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो उनकी करेन्सी के लिए, उनके कॉमन मार्केट के लिए। हम भी ऐसी कोशिश में शामिल हों तो आने वाले समय में हम पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगें।

तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ वो यह कि आप आज से यह संकल्प करें W.T.O. के खिलाफ एक संकल्प करें, वो ये कि कोई विदेशी कम्पनी भारत आती है तो जो माल देती हैं हम उनकी सर्विस लेगें नहीं, हम उनका माल खरीदेंगें नहीं। और विदेशी कम्पनियों को पहचानना अभी कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसानी से आप उनको पहचान सकते हैं दूसरा भारत की सरकार किसी भी विदेशी कम्पनी

को किसी भी विदेशी लिमिटेड को जा कर मदद करें तो हम उनकी मदद नहीं करेगें, हम भारतवासी ही उनकी मदद करना बन्द कर दे तो बहुत बड़ी ताकत है

आपको मैं एक घटना याद दिलाता हूँ। अमेरिका ने भारत के ऊपर पाबन्दी लगाई थी जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु का विस्फोटन किया था तब, तो भारत में हमने एक अभियान चलाया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करो अमेरिकी कम्पनी का बहिष्कार करो। भारत के एक दो नहीं हजारों लोगों ने सिटी बैंक ऑफ इंडिया का अमेरिका से अपना अकाउन्ट विड्रो कर लिया था, सिटी बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड सरेन्डर कर दिये, ए एन जेड ग्रिनलैण्ड का कार्ड सरेन्डर कर दिया और अमेरिका में घबराहट पैदा हो गई और उन्होंने घबराहट में अमेरिका की सरकार को मजबूर किया कि भारत के ऊपर से पाबन्दी वापस लो और उन्होंने लिया। माने हम चाहे तो अमेरिका को झुका सकते हैं इतने कमजोर नहीं हैं हम, माने जितना सम्भव है। याने समाज इसमें सामने आए और सरकार को नहीं झुका सकती? सरकार की कोई ताकत ही नहीं है ताकत समाज के पास है, तो समाज को उठने और खड़े होने की जरुरत है। सरकार पीछे चले समाज उसके आगे चले, समाज आन्दोलन का नेतृत्व करे और सरकार उस हिसाब से काम करे।

ऐसी व्यवस्था बनायें हम इस देश में, किसानों के बीच में जाये और समझायें कि भाई ऑरगेंनिक फार्मिंग करो, सेन्द्रीय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, यूरिया, डी.ए.पी. बन्द करो उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें हम समाधान ढूंढे। लोगों के पास जाएँ और कहें कि विदेशी सामान खरीदना बन्द करो, विदेशी बैंकों में खाते रखना बन्द करो, विदेशी बीमा कम्पनियों से पॉलिसी लेना बन्द करो। इस तरह के अभियान पूरे देश में चलाकर हम इस देश को W.T.O. से बचा सकते हैं और एक ऐसा देश बना सकते हैं जो दुनिया को दिशा देगा और फिर से दुनिया को समृद्धशाली बनाने में मदद करेगा।

इतना ही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से सुना और आपसे एक पर्सनली अपील करता हूँ कि इन विषयों में हमने कुछ कैसेट, सीडियाँ बनाई हैं, ऑडियो कैसेट बनाई हैं, ऑडियो सी.डी. बनाई हैं वो बाहर हैं जो स्टॉल में है वो आप ले जाइये, कोई भी सी.डी. और कैसेट में मेरा कॉपीराइट नहीं है आप सबको उसको कॉपी करने का राइट है। क्योंकि हम मानते हैं कि ज्ञान पर किसी का भी अधिकार नहीं होता ज्ञान तो सभी के लिए है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया आपको दिया, आपने मुझसे ज्ञान लिया और किसी और को दिया और आप

सी.डी., कैसेट ले जाइये उसको कॉपी करवाइये, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने को दीजिये। वो सुनने के बाद दूसरो को सुनाइये तो बहुत बड़ा अभियान चलेगा। दूसरा हम लोगों ने कुछ पुस्तकें बनाई हैं वो पुस्तके आप लीजिये, खरीदिये उसको, वो पुस्तक भी आप पढ़कर दूसरों को पढ़ने को दीजिये दूसरों को पढ़ने के बाद फिर तीसरे को दीजिये। तो इस तरह पुस्तक और कैसेट के माध्यम से विचार का प्रचार होगा। हमने किसानों के लिए बहुत सुन्दर दो पुस्तके बनाई हैं, बिना किसी खर्चे में नैसर्गिक खेती कैसे करे, बिना एक भी पैसे का खर्चा किए हुए अपने ही गाँव में जो उपलब्ध संसाधन हैं। उससे हम कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं। इस विषय पर दो पुस्तके बनाई हैं 'स्वावलम्बी खेती कैसे करें', मराठी में भी है और हिन्दी में भी है आप ले जाइये।

इसी तरह से आप भारत के लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि W.T.O. आने के बाद ऐलोपैथी की दवायें बहुत महँगी हो जायेगी। इतनी महँगी हो जायेगी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा। अभी भी ऐलोपैथी की दवायें कोई सस्ती नहीं है, अगले साल से बहुत ही महँगी होने वाली हैं, कोई भी दवा की कीमत दस गुनी, बीस गुनी, पच्चीस गुनी, पचास गुनी, सौ गुनी तक बढ़ सकती है। तो हमको लोगों से कहना हैं कि ऐलोपैथी दवाओं का चक्कर छोड़ दे। आयुर्वेद में चलो, नैचरोपैथी में चलो, होमिओपैथी में चलो और नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाओ। भारत में इन सबकी सुविधा उपलब्ध हैं और नहीं तो अपनी रसोई घर की चिकित्सा में चलो। हमारा रसोई घर हैं स्वयंपाक खोली है उसमें सभी तरह की औषधि हैं। जो भी हम मसाला माँगते है वो मसाला नहीं है सभी औषधि हैं और एक-एक औषधि ा के बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस रोगों को ठीक करने की ताकत हैं। हल्दी है, जीरा है, धनिया है, ये सभी ऐसी-ऐसी औषधि हैं, सूंठी है यह सभी ऐसे-ऐसे औषधि है। नींबू है, शहद है, अदरक है। अद्भुत हैं इनका प्रयोग करना शुरु करें तो हमें 90 प्रतिशत रोगों में किसी भी दवा को खाने की जरुरत ही न पड़े। सिर्फ 10 प्रतिशत ही रोग हैं जिसमें आपको मजबूरी में ये सब लेना पड़ताहै।

और उससे भी ज्यादा हमारे पास गाय का मूत्र हैं जो हर गाँव में उपलब्ध हैं और गाय का मूत्र 48 रोगों की सबसे अच्छी औषधि हैं। भारत में सिद्ध हुआ है और अमेरिका और यूरोप में भी सिद्ध हो चुका है। भारत में जो चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश निघंटू सभी शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि गौमूत्र बेस्ट मेडिसिन है। हमने कुछ 6-7 साल बहुत एक्सपेरिमेन्ट किए, मैंने किए मेरे दोस्तों ने किए गाय के मूत्र से खराब से खराब बीमारी ठीक होती है। जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंन्किल

निमोनिया, टयूबर कुलोसिस, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ ठीक होती है जिनका ऐलोपैथी में कोई इलाज नहीं। एक बीमारी हैं जिसका ऐलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। और भारत में बहुत स्थानों में यह परीक्षण हो चुके हैं। इस विषय पर हमने पुस्तक बनाई है जिसका नाम हैं 'गौमूत्र चिकित्सा'। 48 रोगों का इलाज आप अपने घर बैठकर कर सकते हैं तो इन सभी चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे। तो इस W.T.O. के दुष्चक्र से हम बच सकते हैं और हमारे करोड़ों लोगों को बचा सकते है। इन्ही सब विषयों पर हमने पुस्तकें बनाई है। ये पुस्तकें बाहर स्टॉल पर है आप ले जाइये। कोई पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं है और आप हमारी पुस्तकें अपने नाम से छपाईये हमें खुशी होगी। हमारा नाम हटाईये और अपना नाम लिखें और दूसरों को कहो कि ये पुस्तकें हमने लिखी हैं हम आपके ऊपर केस करने के लिए नहीं आयेगें और हमें बहुत खुशी होगी कि चलो हमारा काम कोई दूसरे भाई कर रहे हैं। तो आप इस तरह की पुस्तकें बना-बनाकर दूसरों को बेच सकते हैं।

अब आखरी लास्ट अपील भारत के शेतकरी बांधवों को बचाना है और उसके लिए भारत के किसान जो भी पैदा करते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा खरीदें। वैसे भारत के कपास पैदा करने वाले किसानों को अगर हम चाहते हैं कि इन किसानों को कपास का बराबर भाव मिले तो आप पहले खादी पहनना शुरु कर दीजिये। कॉटन के वस्त्र पहनना शुरु करें। आप टेरीलिन, सिथेंटिक अगर पहनेगें तो कपास की खरीदी होने वाली नहीं है और कपास की खरीदी नहीं होगी तो खादी बनेगा नहीं। तो खादी के कपड़े बनेगें नहीं तो किसानों को भाव कैसे मिलेगा? इसलिए भारत के कपास पैदा करने वाले किसानों को अगर भाव देना हैं तो खादी पहनना शुरु करे। गांधीजी कहा करते थे कि भारत के अगर 1 प्रतिशत लोग भी खादी पहनना शुरु करें तो भारत के 5 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल सकता है और गांधीजी ने यह बात 1930 में कही थी। अगर भारत के 1 प्रतिशत लोग सिर्फ खादी पहनना शुरु कर दे तो भारत के जितने बेरोजगार है उनमें 5 से 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलेगा और अगर भारत के सभी लोग खादी पहनना शुरु कर दे। तो भारत के 100 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हमने कर के देख लिया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता है जो उत्साहवर्धन करते है खादी बनाते है और आप बाहर जायेगें तो स्टॉल में हमारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी भी है वहाँ पर, आप खरीदें उदार मन से खरीदें और इस अभियान को चलाने के लिए आपका कुछ सहयोग भी हमें मिलेगा।

हम लोगों से ज्यादा डोनेशन नहीं लेते, लेकिन हम खादी बेचकर और पुस्तके बेचकर और साहित्य बेचकर और कैसेट बेचकर जो कुछ आर्थिक मदद होती है

हमारे समाज के लिए उसीसे ही हम यह पूरा अभियान चलाते है और इस अभियान से ही हम देश में बहुत सारे काम करना चाहते हैं आने वाले समय में और भी बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से ही यह सम्भव है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो आपका सहयोग हमें मिले हम आपके साथ हो आप हमारे साथ हो और हम सब मिलके शायद इस देश को बचा पाये देश को बचाने के लिए हम सब कोई बड़ा काम कर सकें इस अपेक्षा के लिए आया।

और एक बात कह के जाता हूँ आपसे, कि आप अगर इसमें सहयोग करेंगें तो यह अभियान जल्दी सफल होगा, नहीं करेगें तो भी होगा, बिना आपके मदद के भी होगा लेकिन देर से होगा बस इतना ही फर्क है। भारत के आजादी के लिए लड़ने वाले क्रान्तिकारियों ने अपना जान दिया। लेकिन सबने नहीं दिया, तो भी आजादी आयी। छः लाख चालीस हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उस समय हमारी टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ थी, 34 करोड़ के पॉपुलेशन में 6 लाख चालीस हजार का बलिदान हुआ, और भारत में आजादी सौ साल में आयी और अगर यह 6 लाख चालीस हजार क्रान्तिकारियों का बलिदान डबल होता, बीस लाख होते क्रान्तिकारी, पच्चीस लाख होते क्रान्तिकारी, तो आजादी शायद और जल्दी आ जाती।

ऐसे ही यह W.T.O. के खिलाफ हम एक अभियान चला रहे हैं और यह सफल होगा, अगर आपका सहयोग मिलेगा तो जल्दी सफल होगा, नहीं मिलेगा तो देर में होगा, लेकिन होगा जरुर। क्योंकि जिसको भी यह मार पड़ने वाली है वो जिस दिन समझ जायेगा और शेतकरी बांधवों पर हमें बहुत उम्मीद है। जिस दिन शेतकरी बांधवों को यह समझ में आया उन्होंने ऑरगेनिक फार्मिंग में अपने आपको जब शिफ्ट कर लिया तब भारत पूरा का पूरा बच जायेगा। अकेले शेतकरी भारत को बचा लेगा W.T.O. से, अगर शेतकरी ऑरगेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हुआ तो उसके तीन परिणाम आयेगें पहला यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट का खर्चा खतम। पेट्रोल, डीजल का खर्च बहुत कम। भारत में आने वाली आयातों का खर्चा बहुत कम और ऑरगेनिक फार्मिंग से पैदा हुआ जो भोजन हमें खाने को मिलेगा तो हमारी 80-90 प्रतिशत बीमारियाँ कम। क्योंकि 80 से 90 प्रतिशत बीमारियाँ इस खराब खाने से होती हैं। हम यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फॉस्फेट का खाना खाते हैं जहर खाते हैं, हम खाना थोडी ही खाते है हम जहर खाते हैं इसलिए हमको ऑर्थरायटीज़ है, ब्रॉनकायटीस है, पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ। फिर ऑर्गेनिक फूडस् खाने को मिलेगा तो 80 से 90 प्रतिशत बीमारियाँ ठीक हो जायेंगी। इसलिए मैंने आपसे

कहा कि आप सहयोग करेगें तो यह अभियान जल्दी सफल होगा तीन साल में चार साल में। आपका सहयोग नहीं होगा तो तीन चार साल ज्यादा लगेगें। लेकिन यह सफल होगा जरुर और जब यह सफल होगा तब आपको अफसोस होगा कि आपने इस अभियान में सहयोग नहीं किया। आने वाली जनरेशन आपसे पूछेंगी कि इतना पवित्र अभियान चल रहा था तब आप कहाँ थे? आपने सहयोग नहीं किया तो आपकी गिनती जो हिन्दुस्तान में आज होती है मीरजाफर की। हमारी गिनती उध ामसिंह, चंद्रशेखर, भगतसिंह, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, चाफेकर बंधू, वासुदेव बळवंत फडके, ऐसे लोगों में हो आने वाले समय में। वो आपके सामने है और आपकी गिनती मीरजाफर, अमीरचन्द, जयचन्द में हो वो आपके सामने है, आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

-4-

विश्व व्यापार संगठन W.T.O. क्या है ?

15 दिसम्बर 1994 को भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौता (W.T.O. Agreement) स्वीकार कर, इस पर हस्ताक्षर किया। यह एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे या तो पूरी तरह से स्वीकार करना है या पूरी तरह से छोड़ना है। अर्थात इस समझौते की कुछ शर्तों को मानना और कुछ शर्तों को छोड़ना सम्भव नहीं है। लेकिन इस समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच में बहस हो सकती है। लगभग वर्ष में एक बार या कभी-कभी 2 बार इस समझौते में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच बहस होती रहती है। दो साल में एक बार विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों की सामान्य सभा होती है। विश्व व्यापार संगठन में इस समय लगभग 126 देश शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) में है। लेकिन महत्व की बात यह है कि स्विटजरलैण्ड ने अभी तक गैट करार या विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर तो 15 दिसम्बर 1994 को किये, लेकिन यह समझौता पूरी तरह से 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ। जिस समय भारत सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, उस समय इसका नाम बहुपक्षीय व्यापार संगठन (M.T.O) था। लेकिन 1 जनवरी 1995 को यह नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन हो गया। महत्व की बात समझने की यह है कि यह समझौता 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ, लेकिन भारत सरकार ने गत 10 वर्षों में इस समझौते की कई शर्तों को उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर लागू कर

दिया है। विश्व व्यापार संगठन समझौते में कुल 28 विषय हैं, जो अपने आप में एक-एक समझौते के जैसे ही हैं।

इस विश्व व्यापार संगठन समझौते का अपना एक इतिहास है। सन 1948 में दुनिया के देशों में व्यापार को व्यवस्थित और सरल बनाने के उद्देश्य से जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एन्ड टैरिफ (Gatt) किया गया। भारत उसी समय गैट का सदस्य बन गया था। शुरू में इसमें 23 देश शामिल हुये थे। सन् 1930 में दुनिया के देशों में भंयकर मंदी आ गयी थी। इस मंदी को दूर करने के लिये पश्चिमी देशों ने तरह-तरह के उपाय किये। इन्हीं में से एक उपाय था, दूसरा विश्व युद्ध। पश्चिमी देशों में एक मान्यता है, वह यह कि जब बहुत अधिक आर्थिक मंदी आये तो युद्ध लड़ना चाहिए। इससे हथियारों की खपत बढ़ती है और फिर हथियारों का उत्पादन बढ़ता है। हथियारों का उत्पादन पश्चिमी देशों (अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आदि) का सबसे मुख्य उत्पादन है। पश्चिमी देशों में हथियार उद्योग के साथ 10 अन्य उद्योग जुड़े हुये हैं। इसलिये जब हथियार उद्योग में उत्पादन और खपत बढ़ती है तो बाकी अन्य 10 उद्योगों में भी खपत और उत्पादन बढ़ता जाता है। आर्थिक मंदी दूर करने के इसी उपाय के साथ 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अरबों-खरबों डालर के हथियार बिके। इससे यूरोप-अमेरिका के हथियार उद्योग में बहुत तेजी आयी। इस तेजी ने बाकी दूसरे उद्योगों में भी तेजी लाने का कार्य किया।

जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कई अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुये। इन समझौतों के आधार पर कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें बनीं। सभी देशों के बीच राजनैतिक प्रश्नों को सुलझाने के लिये एवं विश्व शांति की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र महासंघ बना। लेकिन दुर्भाग्य से इस संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना के बाद भी दुनिया के देशों के राजनैतिक प्रश्नों का समाधान अभी तक नहीं हो सका। दूसरी इससे भी बड़ी असफलता संयुक्त राष्ट्र महासंघ की यह है कि विश्व शांति की स्थापना के लिये बने इस संगठन के बाद अभी तक दुनिया में 325 छोटे-बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोग मारे गये, करोड़ों घरों से बेघर हुये हैं। अभी हाल में ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईराक पर किये गये हमले से यह सिद्ध हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ अब अमेरिकी राष्ट्र संघ बन चुका है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर यह देखा गया कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, तो फिर इस बिगड़ी हुयी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये दो संस्थायें बनायी गयीं। एक थी विश्व बैंक या जागतिक

बैंक (World Bank) दूसरी थी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष। (Internationl Monitoring fund) विश्व बैंक का कार्य था, युद्ध में बरबाद हुये देशों के अधिसंरचनात्मक ढाँचे के विकास (Infrastructural Development) के लिये कर्जा देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का कार्य था, देशों को भुगतान असंतुलन की स्थिति में तात्कालिक कर्जा उपलब्ध कराना। ये दोनों संस्थायें बनी तो थीं सभी संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के विकास के लिये लेकिन इन संस्थाओं द्वारा विकास यूरोपीय देशों का ही हुआ। या फिर अमेरिका समर्थक देशों को ही इन संस्थाओं से लाभ मिला। क्योंकि इन दोनों संस्थाओं विश्व बैंक एवं मुद्राकोष की नीतियां हमेशा से ही अमेरिकी और यूरोपीय देशों के समर्थन में रही हैं और दुनिया के गरीब देशों के हितों के विरोध में रही हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे अधिक तबाही यूरोपीय देशों की ही हुयी थी। सबसे अधिक इमारतें युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों की नष्ट हुयीं। सबसे अधिक लोग भी यूरोप के ही मारे गये। विश्व बैंक द्वारा इन यूरोपीय देशों को बहुत ही कम ब्याज दर तथा आसान शर्तों पर कर्जे दिये गये। इन्हीं कर्जों का इस्तेमाल करके गत 50 वर्षों में यूरोपीय देश काफी ऊपर आये। विश्व बैंक और मुद्राकोष की नीतियों से अमेरिका को भी काफी फायदा हुआ। विश्व बैंक तथा मुद्राकोष में धनराशि तो उन सभी देशों की लगी हुयी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं, लेकिन इस धनराशि का सबसे अधिक लाभ यूरोप एवं अमेरिकी देशों को ही हुआ है।

इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर सभी देशों के बीच व्यापार को सुगम (आसान) बनाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनायी गयी। उसी संस्था का नाम गैट (Gatt) जनरल एग्रीमेन्ट आन ट्रेड एन्ड टैरिफ, एक समझौते के आधार पर रखा गया। इस समझौते को हिन्दी में "तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौता" कहा जाता है। 1948 में यह समझौता हुआ और लागू हुआ। समझौते की मूल भावना यह थी, कि देशों के बीच होने वाले आपसी व्यापार में वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स, कस्टम ड्यूटी या आयात करों के विवादों को सुलझाना और व्यापार को बढ़ावा देना। समझौते के प्रारंभ में 23 देश इसमें शामिल हुये, जिनमें भारत भी था। दूसरे देश यूरोपीय थे, एवं अमेरिका भी इसमें शामिल था। सन् 1948 से लेकर सन् 1986 तक इस गैट द्वारा व्यापार को काफी बढ़ावा मिला। जो भी आपसी झगड़े सदस्य देशों के बीच तटकरों से सम्बन्धित हुये, उनका समाधान इस गैट में होता रहा। दुनिया के देशों में निर्यात-आयात का व्यापार दो तरीके से होता है। एक तो द्विपक्षीय पद्धति से दूसरा बहुपक्षीय तरीके से। द्विपक्षीय पद्धति में दो देश आपसी निर्यात व्यापार के लिये समझौते करते हैं। बहुपक्षीय पद्धति यें

सभी देश सामूहिक व्यापारिक नियम तय करके व्यापार करते हैं। गैट करार हमेशा से ही बहुपक्षीय व्यापार के लिये ही बना था। 1948 से 1986 तक इस गैट करार के माध्यम से बहुपक्षीय व्यापार काफी अच्छा चला। लेकिन इस बहुपक्षीय व्यापार में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को जितना फायदा हुआ, उतना फायदा गरीब देशों (एशियाई, अफ्रीकी देश) को नहीं हो पाया। चीन एक ऐसा देश रहा जिसने 53 सालों तक गैट करार को स्वीकार नहीं किया। बिना गैट की मदद के चीन ने मात्र द्विपक्षीय व्यापार करके ही अपने को आर्थिक जगत की ऊँचाईयों तक पहुँचाया।

सन् 1980 के आस-पास पश्चिमी देशों के बाजारों में फिर से मंदी का दौर शुरू हुआ। इस मंदी के दौर का सबसे बुरा असर अमेरिका के ऊपर पड़ा। अमेरिका की कई बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ दिवालिया हो गयी। कई अमेरिकी कारखाने बन्द हो गये। अमेरिका में हजारों लोग बेरोजगार होने लगे। इसी तरह यूरोप में भी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस 80 के दशक की आर्थिक मंदी को दूर करने के लिये अमेरिका ने फिर युद्ध का सहारा लिया। ईरान और ईराक के बीच लगभग 8 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में अमेरिकी कम्पनियों ने अरबो-खरबों डालर के हथियार बेच कर अपने उद्योगों की मन्दी को कम करने का प्रयास किया। इसी तरह खाड़ी युद्ध को भी अमेरिका ने अपने हित में ही इस्तेमाल करके अरबों-खरबों डालर के हथियारों का व्यापार किया। हाल ही में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान एवं ईराक पर किया गया हमला भी इसी रणनीती का हिस्सा है। यूरोपीय-अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हर 30-40 साल बाद इसमें मंदी आती है। उस मंदी को दूर किये बिना इन अमरीकी-यूरोपीय देशों का गुजारा नहीं चलता है। इसलिये अमरीकी-यूरोपीय अर्थशास्त्रीयों ने इस आर्थिक मंदी का स्थायी इलाज करने की कोशिशों में गैट करार को आधार बना लिया है। उद्‌देश्य यह है कि मंदी को दूर करने के लिये अमरीकी- यूरोपीय सामान दुनिया के तमाम देशों के बाजारों में बिकते रहें। अमेरिकी एवं यूरोपीय बाजारों में एक तरह की स्थिरता आ चुकी है। इसलिये अमरीकी-यूरोपीय अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिये, दूसरे देशों के बाजारों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अतः अमरीकी-यूरोपीय देशों की सरकारों ने गैट करार का उपयोग करके दूसरे देशों के बाजारों को और अधिक खुलवाने का प्रयास शुरू किया है।

सन् 1986 में गैट के सदस्य देशों की एक सामान्य सभा लैटिन अमेरिका के एक देश उरूग्वे में शुरू हुयी। इस बैठक में अमेरिका और यूरोपीय देशों की दादागिरी में गैट करार की सीमा को बढ़ाया गया। मूलतः 1948 से 1986 तक

गैट एक बहुपक्षीय व्यापार का मंच था, तटकरों (सीमाशुल्क) का विवाद सुलझाने के लिये। लेकिन उरूग्वे दौर की वार्ताओं ने इसका स्वरूप पूरी रह से बदल दिया। गैट करार में सीमा शुल्क के मुद्‌दों के अलावा 28 और विषय शामिल कर दिये गये। जिसमें कृषि व्यापार, कपड़ा व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार जैसे अवांछित विषय शामिल कर लिये गये। हालांकि इन विषयों पर कोई और समझौता होने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये सभी विषय सभी देशों के आन्तरिक विषय हैं। गैट करार का 1948 से 1986 तक यह नियम रहा कि देशों के आन्तरिक विषयों को गैट करार के तहत नहीं लाना चाहिए। क्योंकि ये सभी विषय आन्तरिक सम्प्रभुता से जुड़े हुये हैं। लेकिन अमेरिकी दबाव में आन्तरिक सम्प्रभुता से जुड़े हुये विषय भी शामिल कर लिये गये और एक नया समझौता तैयार हुआ। इस नये समझौते को तैयार करने के लिये जो टीम बनायी गयी, उस टीम के मुखिया आर्थर डंकल नाम के एक अमेरिकी थे। इसलिये इस समझौते का, शुरूआती नाम "डंकल ड्राफ्ट" भी पड़ गया। सन्‌ 1986 से यह डंकल ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ और 1991 में सभी सदस्य देशों के सामने विचार-विमर्श के लिये रखा गया। इस ड्राफ्ट को बनाने वाली समिति में पूरी तरह अमरीकी-यूरोपीय प्रतिनिधियों का दबदबा था, इसलिये इसमें अधिक से अधिक ऐसी शर्तें डाली गयी जिनसे अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों को अधिक लाभ हो। गरीब अफ्रीकी, ऐशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों ने थोड़ी कोशिश की, कि गरीब देशों के हितों में भी लाभ देने वाली शर्तें ड्राफ्ट में शामिल हों, लेकिन इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी। भारत की ओर से भी काफी कोशिश 1986 से 1991 के बीच गरीब देशों के हितों को साधने वाली शर्तें ड्राफ्ट में लाने की हुयीं, लेकिन भारत सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल सकी। इसलिये भारत सरकार ने 1986 से लगातार यह कहना शुरू किया, कि गैट करार की शर्तें भारतीय हितों के अनुकूल नहीं हैं। इस आधार पर भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लगातार भारत सरकार यह कहती रही कि जब तक गैट करार के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जायेगा, तब तक हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे। संसद के अंदर और संसद के बाहर भारत सरकार की ओर से गैट करार पर हस्ताक्षर नहीं करने का वायदा किया गया। लेकिन 15 दिसम्बर 1994 को भारत सरकार ने देश के लोगों को धोखा देते हुये और संसद के खिलाफ वायदाखिलाफी करते हुये गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिये। देश के लिये यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था। सन्‌ 1991 से सन्‌ 1994 के बीच संसद में गैट करार के विषय पर मात्र 11 घंटे ही चर्चा हुयी। हमारी संसद में बहुत बार फालतू विषयों पर घंटों-घंटों चर्चा होती है और अनावश्यक हंगामें होते

रहते हैं। लेकिन गैट करार जैसे गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दे पर 4 वर्षों में मात्र 11 घंटों की ही चर्चा हो सकी। भारत में 28 राज्य और 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन किसी भी राज्य की विधानसभा और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि सभा में गैट करार की शर्तों एवं प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। थोड़ी बहुत चर्चा पं. बंगाल और पंजाब विधानसभा में हुयी लेकिन यह भी अधूरी रही। हालांकि गैट करार के कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध राज्यों के विशेष अधिकारों के साथ है। गैट करार के बारे में जो भी थोड़ी-बहुत चर्चा हुयी है, तो वह समाचर-पत्रों एवं पत्रिकाओं में ही हो पायी है। भारत देश में प्रकाशित होने वाले कई महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं और मासिक पत्रिकाओं में गैट करार पर लेख लिखे गये। इन्हीं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के नागरिकों को गैट-करार के बारे में थोड़ी जानकारी हो पायी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि, वह गैट-करार के बारे में अधिक से अधिक जानकरी संसद में दे और देश के लोगों को भी बताये। लेकिन भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं पूरा किया।

गैट करार में कुल 28 अध्याय हैं। जिनके कुछ नाम हैं। जैसे कृषि समझौता, पूँजीनिवेश समझौता, सेवा व्यापार का समझौता, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का समझौता आदि-आदि। इन सभी अध्यायों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। यह गैट करार हमारे देश के संविधान के पूरी तरह विरूद्ध है, यह भी जानना जरूरी है। हमारे देश की संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के विरूद्ध भी है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मान्यताओं के पूरी तरह खिलाफ है यह गैट करार। यह गैट करार अफ्रीकी, ऐशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों की लूट का वही रास्ता खोल रहा है, जो 500 वर्षों पहले कोलम्बस एवं वास्को-डिगामा जैसे लुटेरों ने खोला था। कोलम्बस, वास्को डिगामा तथा अन्य यूरोपीय देशों ने 500 वर्ष पूर्व जो लूट-मार पूरी दुनिया के लगभग 60-70 देशों में की थी, वही अब विश्व व्यापार संगठन करार के कानूनी स्वरूप से होने जा रही है।

-5-

W.T.O. में खेती से सम्बन्धित कानून

विश्व व्यापार संघठन के कृषि विषयक समझौते में कुल 13 खण्ड हैं। इन खण्डों में 21 अनुच्छेद (Articles) हैं। पहले खण्ड में सभी तरह की परिभाषायें दी गयी हैं। दूसरे खण्ड में उन कृषि उत्पादों की सूची दी गयी है, जिन्हें इस समझौते में शामिल किया गया है। यह पूरी सूची इस कृषि समझौते के परिशिष्ट–1 (Annex-1) में दी गयी है। इस कृषि समझौते में कुल 5 परिशिष्ट दिये गये हैं। इस कृषि समझौते में दूसरे खण्ड से वे सभी अनुच्छेद शुरू होते हैं, जो शर्तों के रूप में मानने होंगे। नीचे कुछ मुख्य अनुच्छेदों को गैट करार की भाषा अंग्रेजी में जैसे का तैसा दिया जा रहा है। इन अनुच्छेदों का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, वह आगे दिया गया है। पहले हम इन अनुच्छेदों को जान लें, फिर उनके दुष्प्रभाव को जानना अच्छा होगा।

ARTICLE - 3

1) The domestic Support and export subsidy commitments in part IV of each members schedule constitute commitments limiting subsidiration and are here by made an integral part 1994.

2) Subjects to the provisions of article 6, a member shall not provide support in favour of domestic producers in excess of the commitments levels specified is section I of part IV of its schedule.

3) Subject to the provisions of para 2(b) and 4 of article 9, a member shall not provide export subsidies listed in para 1 of article 9 in respect of the agricultural products or groups of products specified in section II of part IV of its schedule in excess of the budget-

ary outlay and quantity commitment levels specified there in and shall not provide such subsidies in respect of any agricultural product not specified in that section of its schedule.

This article deals with domestic support and export subsidy reduction commitments as specified in each member's schedule. It bars a member from granting export subsidies not specified in section II of part IV of its schedule. The article also brings domestic support and export subsidy reduction commitments with in pesrview of Gatt 1994

3) MEANING OF ARTICLE

The key elements of the market access commitments for agricultural products are the establishments of tariffication, tariff reduction, and the binding of all agricultural tariffs. Commitments were also undertaken by members to provide minimum market access for agricultural products through expahsion of tariff rate quotas.

In the tariffication process the quantitative restrictions, variable levis, import bans or other non tariff measures are replaced by an import duty so that there is no change in the level of protection. The developed countries are undertook to cut their agriculture tariffs by an average of 36% over six years. While developing countries are committed to slash the same by 24% in ten years.

PART B

AGREEMENT ON MODALITIES FOR THE ESTABLISHMENT OF SPECIFIC BINDING COMMITMENTS UNDER THE REFORM PROGRAMME

Specific Modalities: Market Access

3) For agricultural products currently subject to ordinary customs duties only, the reduction commitment shall be impkemented on the bound duty or, in the case of unbound duties on the level applied as at 1 september 1986.

5) Ordinary customs duties] including those resulting from traffication, shall be reduced, from the year 1993 to the year 1999, on a simple average basis by 36 per cent with a minmum rate og reduction og 15 percent for each tariff line. Where are no dignigicant imports, minimum access opportunities shall be established. They shall represent in the first year og the impkementation period not less

than 3 percent of corresponding domestics condumption in the base period as specified above and shall be expanded to reach 5 per cent of that base figure by the end og the implemention period.

Annex 3

MARKET ACCESSAGRICULTURAL PRODUCTS SUBJECT TO BORDER MEASURES OTHER THAN ORDINARY CUSTOMS DUTIES

Section A : The calculation of tariff equivalents and related provisions

1) The policy coverage of tariffication shall include all border measures other than ordinary customs duties such as : quantitative import restrictions, variable import levies, minimum import prices, disctretionary import licensing, non-tariff measures maintained through state trading enterprises, voluntry export restraints and any other schemes similar to those listed above, whether or not the measures are maintained under country -specific derogations from the provisions of the General Agreement.

2) The calculation of the tariff equivalents, whether expressed as ad valorem or specific rates, shall be made using the actual difference between internal and external prices in a transparent manner using data, data sources and definitions as specified in Annex 2. Data used shall be for the years 1986 to 1988.

DOMESTIC SUPPORT

Part IV

ARTICLE 6 DOMESTIC SUPPORT COMMITMENTS

1) The domestic support reduction commitments of each participant contained in its Schedule of commitments shall apply to all of its domestic support measures in favour of agricultural producers with the exception of domestic measures which are subject to reduction in terms of criteria det out in Annex 2 to this Agreement. These commitments are expressed in terms of Aggregate Measurements of support and of equivalent commitments. The

consitiuent data and methods employed in the calculation of these commitments dhall be incorporated in to the Schedules of dimestic supporting material.

4) As long as domestic support subject to reduction does not exceed 5 per cent of the total value of production of a basic product in the cade of product-specific support, there shall be no requirement to undertake the reduction of that support, and as domestic support subjact to reduction does not exceed 5 per cent of the value of total agricultural production in the case of a sector-wide AMS, tnere shall be no requriment to undertake the teduction of that support. For developing countries the percentage under this paragraph shall be 10 per cent.

6) DECOUPLED INCOME DUPPORT

(i) Eligibility for such payments shall be determined by clearly defined criteria such as income, status as a producer or landowner, factor use or production level in a defined and fixed base period.

(ii) The amount of such payments in any given year shall not be treated to, or based on, the type or volume of production (including livestock units) undertaken by the producer in any year after the base period.

(iii) The amount of such payments in any given year shall not be related to or based on, the prices, domestic or international, applying to any production undetaken in any year after the base period.

(iv) The amount of such payments in any given year shall not be related to or, based on, the gactors of production employed in any year after the base period.

(v) No production shall be required in order to receive such payments.

SPECIFIC MODALITIES : DOMESTIC SUPPORT

(8) All domestic support in favour of agricultural producers with the exception of measures exempted from reduction under Annex 4 shall be reduced, from the year 1993 to the year 1999, by 20 per cent. The base period shall be years 1986 to1988. Credit shall be allowed in respect of actions undertaken since the year 1986. The reduction cimmitments shall be expressed and implemented through Aggregate Measurements of Support (AMS) as defined in Annex 5, or

through equivalent commitments as defined in, Annex 6 where the calculation of an AMS is not practicable, and shall be implemented in equal instalments.

EXPORT COMPETITION

Part v

Article 8- Export Competition Commitments

Each participant undertakens not to provide export subsidies otherwise than in conformity with this Agreement and with its commitments as specified in its Schedule of export competition commitments.

Specific Modalities: Export Competition

(11) The export subsidies listed in Annex 7 shall be subject to budgetary outlay and quantity commitments. Outlays and quantities shall be reduced, form the year 1993 to the year1999, by 36 per cent and 24 percent, redpectively. The base period shall be the year 1986 to the year 1990. These commitments shall be established in accordance with the modalities perscribed in Annex 8.

Annex-7

EXPORT SUBSIDIES SUBJECT TO REDUCTION COMMITMENTS

(1) The following export subsidies shall be subject to reduction commitments:

(a) The provision by goverments or their agencies of direct subsidies, including payments-in-kind, to a firm, to an industry, to producers of an agricultural product, to a co-operative or other assoeiation of such producers, or to a marketing board, contingent on export performance.

(b) The sale or disposal for export by goverments or their agencies of non-commercial stocks of agricultural products at a prices lower than the comparable price charged for the like product to buyers in the domestic market.

(c) Payments on the export of an agricultural product that are financed by virtue of governmental action, whether or not a charge on the public account is involved, including payments

that are financed from the proceeds of a levy imposed on the agricultural product concerned or an agricultural product from which the exported product is derived.

(d) The provision of subsidies to reduce the costs of maketing exports of agricultural products (other than widly available export promotion and advisory services) including handling, international transport and freight.

(e) Internal transport upgrading and other processing cost, and the cost of and freight charges on export shipments, provided or mandated by governments, on terms more favorable than for domestic shipments.

(f) Subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported products.

SECTION 5: PATENTS

Article 27 : Patentable Subject Matter

(1) Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provieded that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65 paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discremination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

(2) PARTIES May exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect order public or morality, including to protect human, animal or plants life or health or to aviod derious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by domestic law.

(3) PARTIES may also exclude from patentability:

(a) diagnostic therapeutic methods for the treatment of humans or animals;

(b) plants and animals other than microorganisms, ans eddentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes.

Howevwe, PARTIES shall provided for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination there of. This provision shall be reviewed foure years after the entry into force of this Agreement.

-6-

विश्व व्यापार संगठन समझौते का भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव

गैट करार या विश्व व्यापार संगठन समझौते में कृषि विषय से सम्बन्धित एक समझौता है। इस कृषि विषयक समझौते में 21 अनुच्छेदों के तहत लगभग 56 शर्तें हैं। ये सभी शर्तें भारतीय कृषि और किसानों पर लागू होती जायेंगी। भारत की केन्द्र सरकार और सभी राज्यों की राज्य सरकारें इन्हीं शर्तों को अब नियम-कानून के रूप में लागू करेंगी। गैट करार जब सबसे पहले 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था, तब उसमें कृषि विषय शामिल नहीं था। 2 जनवरी 1948 से गैट करार दुनिया के 23 देशों में लागू हुआ था। ये 23 देश इस प्रकार थे - आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, वर्मा, कनाडा, श्रीलंका, चिली, क्यूबा, चेकोस्लाविया, फ्रांस, भारत, लेबनान, लक्जमबर्ग, हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, पाकिस्तान, रोडेशिया, सीरिया, दक्षिणी, अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन।

30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया गैट करार, जनवरी 1948 से लागू हुआ। समय-समय पर इसमें अन्य दूसरे देश भी शामिल होते गये। समय-समय पर गैट करार की वार्ताओं के दौर होते गये। वार्ता का पहला दौर क्यूबा देश के हवाना शहर में हुआ। वार्ता का दूसरा दौर 5 अगस्त 1949 फ्रांस के ऐन्सी शहर में हुआ। वार्ता का तीसरा दौर इंग्लैंड के टार्के शहर में हुआ। वार्ता के इस दौर में 4 और नये देश गैट करार में शामिल हुये। इसी तरह गैट वार्ता का चौथा दौर मई 1956 में जिनेवा में हुआ। गैट वार्ता का पांचवा दौर 1960 में, छठ़वां दौर 1964 में, सातवां दौर 1973 में टोक्यों में, आठवां दौर 1982 में जिनेवा में तथा नवां दौर 1986 में उरूग्वे देश में हुआ। 1986 के पहले और गैट करार शुरू होने तक कृषि विषय इसमें शामिल नहीं था। 1948 से 1986 तक गैट करार में सिर्फ वस्तुओं के

व्यापार का ही मुद्दा शामिल था। यह वस्तुओं का व्यापार भी एक विशेष व्यापार ही होता था। देश की सीमाओं के बाहर का व्यापार अर्थात विदेश व्यापार से ही सम्बन्धित मुद्दे गैट करार में शामिल रहे। गैट करार में सम्बन्धित सदस्य देशों के आयात-निर्यात से सम्बन्धित आपसी झगड़ों को सुलझाने की ही व्यवस्था बनायी गयी थी। प्रत्येक देश बाहर से आनेवाली वस्तुओं पर आयात कर तथा अन्य कई तरह के करों को लगाता है। इन करों की ऊँची दरें अक्सर ही झगड़ों का कारण बनती रहीं हैं। प्रत्येक देश अपने--अपने स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिये बाहर से आनेवाली विदेशी वस्तुओं पर अधिक से अधिक मात्रात्मक प्रतिबन्ध और ऊँचा आयात कर लगाता रहा है। इन्हीं अधिक आयात करों में तथा मात्रात्मक प्रतिबन्ध में छूट लेने-देने के लिये 1948 से 1986 तक गैट वार्तायें हुई। इन वार्ताओं के माध्यम से देशों ने एक दूसरे को आयात करों तथा मात्रात्मक प्रतिबन्ध ाों में अपने-अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुये कई तरह की छूटें दीं।

सन 1986 की उरूग्वे दौर की गैट वार्ता में पहली बार कृषि विषय, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विषय, सेवा क्षेत्र का विषय आदि शामिल किये गये। इन नये विषयों को गैट करार में शामिल करने पर काफी विरोध हुआ। यह विरोध ा सबसे अधिक अफ्रीकी देश, एशियाई देश तथा लैटिन अमेरिकी देशों की ओर से हुआ। इस विरोध में भारत, नाईजीरिया, ब्राजील, मिस्त्र जैसे देश सबसे आगे थे। लेकिन अमरीकी-यूरोपीय देशों के सामने इन देशों का विरोध धीरे-धीरे कम होता गया। अन्त में इन सभी देशों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के सामने घुटने टेक दिये। गैट करार में कृषि समझौता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता, सेवाक्षेत्र समझौता आदि अमेरिकी और यूरोपीय देशों के दबाव में शामिल किया गया। कृषि समझौते को गैट करार में शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि को उद्योग और व्यापार जैसा ही मानना और दुनिया के तमाम देशों का बाजार कृषि उत्पादों के लिये उपलब्ध कराना।

दुनिया के सभी देशों की सरकारें अपने किसानों को और कृषि उत्पादन को तरह-तरह से मदद देती हैं। किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किसानों को रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना, किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिलाना, समय-समय पर किसानों के कर्जों को माफ करना या कर्जों का ब्याज माफ करना, किसानों को सस्ती दर पर बिजली पानी उपलब्ध कराना, बाहर से आने-वाले कृषि उत्पन्न पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाना या उन पर अधिक आयात कर लगाना यह सभी कुछ सब्सिडी

का नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ तो प्रत्यक्ष सब्सिडी और कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। गैट करार के कृषि समझौते में मुख्य रूप से तीन क्षेत्र शामिल हैं। कृषि क्षेत्र के समझौते में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है- किसानों को मिलनेवाली और कृषि उत्पादन को मिलनेवाली सरकारी सहायता (सब्सिडी)। दूसरा क्षेत्र है बाजार पहुँच (Marketaccess) अर्थात सम्बन्धित देशों में एक निश्चित मात्रा में विदेशी कृषि उत्पादों की बिक्री निश्चित करना। तीसरा क्षेत्र है कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के लिये सहायता देना।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद-3 (Article 3) के अनुसार "कृषि कार्य और किसानों को दी जाने वाली घरेलू सहायता (Domestic Support) अर्थात सब्सिडी को लगातार कम करना होगा"। भारत जैसे देशों के लिये यह सब्सिडी की कमी गैट करार के हस्ताक्षर होने से गैट करार के लागू होने तक अर्थात 15 दिसम्बर 1994 से 1 जनवरी 2005 तक 24% कम कर दी गयी है। अर्थात 1 जनवरी 2005 तक भारत के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में 24% की कमी कर दी गयी है। आगे आने वाले समय में यह कमी और होती चली जायेगी। आने वाले प्रत्येक वर्ष में यह कटौती और अधिक होते-होते मात्र 5% तक रह जायेगी। अर्थात गैट करार के अनुसार "भारत देश की सरकारें अपने किसानों को कुल कृषि उत्पादन का 5% से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकती हैं।" यह सब्सिडी अलग-अलग कृषि उत्पादों के हिसाब से भी हो सकती है या कुल कृषि उत्पादों के हिसाब से भी हो सकती है।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद 3 का अब भारतीय परिस्थिति में विश्लेषण करें तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा यह समझ में आयेगा। भारत के किसानों को दो प्रकार से घरेलू सहायता (सब्सिडी) दी जाती है। एक है प्रत्यक्ष दूसरी है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहायता (Direct Subsidy) क्या है? जब भारत का किसान अपनी कृषि उत्पन्न वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिये लाता है तो भारत की सरकार और भारत के राज्यों की सरकारें उन सभी कृषि वस्तुओं के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं। यह मूल्य किसानों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन लागत और उसमें थोड़ा सा लाभांश पर आधारित होता है। सामान्य रूप से इस समर्थन मूल्य का अर्थ है कि किसानों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं को उस समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर खरीदा नहीं जायेगा। भारत देश में किसानों को दिया जाने वाला यह समर्थन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के खुले मूल्य से अक्सर अधिक होता है। उदाहरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास का मूल्य सन्

2005 में 1500 से 1700 रूपये क्विंटल के आस-पास है, जबकि भारत के कई राज्यों में कपास का समर्थन मूल्य 2000 से 2500 रूपये क्विंटल के आस-पास है, इसका अर्थ है कि यदि किसान अपना कपास खुले बाजार में बेचे तो उसे एक क्विटंल कपास का भाव मात्र 1500 रू. से 1700 के बीच में ही मिलेगा। जबकि वही कपास को वह सरकारी खरीद संस्थाओं को बेचे तो उसे 2000 रू. क्विंटल से 2500 रू क्विंटल के बीच (कपास की गुणवत्ता के आधार पर) भाव मिलेगा। इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ का खुला भाव 450 रू. क्विंटल से लेकर 580 रू. क्विंटल के बीच में है। जबकि भारत के कई राज्यों में गेहूँ का समर्थन मूल्य इससे अधिक हैं। इसी तरह अन्य सभी कृषि उत्पादों के बारे में होता है। इन उदाहरणों से प्रत्यक्ष सब्सिडी को समझना अब आसान है। अन्तर्राष्ट्रीय खुले बाजार के मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदना ही प्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाता है।

इसी तरह दूसरी अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है। भारत में किसानों को रासायनिक खाद यूरिया, डी. ए. पी. सुपर फास्फेट आदि उत्पादन लागत से कम मूल्य पर दी जाती है। उदाहरण के लिये एक क्विंटल (100 किलोग्राम) यूरिया की उत्पादन लागत लगभग 980 रू. के आस-पास है लेकिन यह 100 किलो यूरिया किसानों को लगभग 560 रू. के आस-पास दिया जाता है। इसी तरह डी. ए. पी. और सुपर फास्फेट की कीमतों को भी कम करके किसानों को बेचा जाता है। उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसानों को यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फास्फेट तथा अन्य रासायनिक कीटनाशकों को उपलब्ध कराना, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाता है। किसानों को इस अप्रत्यक्ष सब्सिडी के तहत उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिजली और पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिये भारत के राज्यों में उद्योगों को बिजली 4 रू. यूनिट से 6 रू. यूनिट के बीच में दी जाती है, जबकि किसानों को यह बिजली 1 रू. यूनिट से 2 रू. यूनिट के बीच में ही मिलती है। उद्योगों को जिस भाव में पानी दिया जाता है, किसानों को उससे कहीं कम भाव पर पानी दिया जाता है। गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेदे-3 के अनुसार अब भारतीय किसानों को मिलने वाली इसी घरेलू सहायता (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी) में लगातार कमी करनी होगी। गत 10 वर्षों में सन् 1994 से 2004 तक 24% सब्सिडी तो भारत सरकार कम कर चुकी है। जिसके कारण भारत में यूरिया, डी.ए.पी. और सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक खादों के भाव बहुत बढ़े हैं और किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में भी कमी आयी है। इसी कारण से

गत वर्षों में किसानों को दी जाने वाली बिजली और पानी दोनों मंहगे हुये हैं। आगे भी गैट करार के कारण सरकार लगातार सब्सिडी में कटौती करेगी और किसानों का फसलों का समर्थन मूल्य कम होता जायेगा और यूरिया, डी.ए.पी. जैसे रासायनिक खाद बहुत मंहगे होते जायेंगे। इसके कारण किसानों का कृषि उत्पादन खर्च तो बढ़ता जायेगा लेकिन आमदनी कम होती जायेगी। एक ओर कृषि उत्पादन मंहगा दूसरी ओर फसलों को समर्थन मूल्य भी नहीं। किसानों को दोनों ओर से घाटा होगा।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद -4 के अनुसार "भारत के बाजारों को विदेशी कृषि उत्पादों के लिये पूरी तरह से खोलना होगा।" भारत के बाजारों में बाहर से आने वाले किसी भी कृषि उत्पाद पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। अभी भारत के बाजारों में विदेशी कृषि उत्पादों के आने पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध और बहुत अधिक आयात कर लगाये जाते हैं, ताकि सस्ता विदेशी अनाज तथा अन्य कृषि वस्तुयें भारत के बाजारों में भर नहीं जायें। गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद 5-4 के तहत अब भारत सरकार बहुत अधिक आयात कर विदेशी कृषि वस्तुओं पर नहीं लगा सकेगी। सभी विदेशी कृषि वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने होंगे। इसके कारण भारतीय बाजारों में विदेशी कृषि वस्तुयें अब अधिक मात्रा में आयेंगी। गैट करार के लागू होने तक गत 10 वर्षों में भारत सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर आयात करों में 35% से लेकर 70% तक कटौती कर दी है। गैट करार के अनुसार अब कई विदेशी वस्तुओं पर नाम मात्र के लिये 5% तक का ही आयात कर लगेगा। ऐसी स्थिति में विदेशी सस्ते अनाज एवं अन्य कृषि वस्तुयें भारत में अधिक मात्रा में आयेंगी। जिसके कारण बाजार में वस्तुओं की मांग कम और उपलब्धता अधिक होगी। इसके चलते बाजार में कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट होगी, इस कारण भारतीय किसानों को उनकी उपज का मूल्य और भी कम मिलेगा। इसका धीरे-धीरे यह दुष्परिणाम होगा कि भारतीय किसान कई कृषि उत्पादों की खेती कम करते जायेंगे और फिर एक समय भारत में कृषि वस्तुओं की कमी आयेगी और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद-7 एवं अनुच्छेद-9 के अनुसार "सभी तरह के कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी में कटौती करनी होगी एवं अन्य व्यापार विरोधी सब्सिडी भी समाप्त करनी होगी।" अर्थात भारतीय कृषि वस्तुओं को निर्यात के लिये भारत सरकार जो भी मदद या प्रोत्साहन देती है वह सभी बन्द

करना होगा। निर्यात को दी जाने वाली सरकारी मदद को मुक्त व्यापार के रास्ते में अवरोध माना जाता है। इसलिये सभी निर्यात सब्सिडी को कृषि वस्तुओं से हटाना होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि वस्तुओं का निर्यात अधिक मंहगा हो जायेगा। निर्यात मंहगा होने की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पाद कम बिकेंगे इसका सबसे बुरा असर भारतीय निर्यातकों एवं किसानों पर पड़ेगा। भारत देश से जो कृषि उत्पाद सबसे अधिक निर्यात किये जाते हैं, उनमें चाय, कॉफी, कपास, सब्जियाँ, फल, चावल, गेहूँ, घी, सूखा मेवा, आदि प्रमुख हैं। इनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में कृषि उत्पादों एवं प्राथमिक वस्तुओं का हिस्सा बहुत अधिक है। अब यह निर्यात कम होते जाने से भारत सरकार की निर्यात आमदनी कम होगी और आयात के खर्चे अधिक होंगे। जिसके चलते भारत देश का व्यापार घाटा और अधिक होगा व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार के पास विदेशी कर्जा लेने का ही एक रास्ता होगा। इसके चलते विदेशी कर्ज और बढ़ेगा। विदेशी कर्जा बढ़ने से विदेशी कर्जे का ब्याज भी बढ़ेगा। फिर कर्जे का ब्याज भरने के लिये सरकार नागरिकों के ऊपर और अधिक टैक्स लगायेगी या और अधिक कर्जा लेगी। नागरिकों के ऊपर टैक्स अधिक बढ़ने से जीवन की मुश्किलें और बढ़ेगी और आन्तरिक बाजार में वस्तुयें और अधिक मंहगी होंगी। यदि भारत सरकार और अधिक विदेशी कर्जा लेगी तो भारतीय मुद्रा रूपये की कीमत और अधिक कम होगी। इसके कारण भारत में आयातित जरूरी वस्तुयें जैसे डीजल-पेट्रोल के लिये कच्चा तेल, रसोई गैस आदि मंहगे होंगे। भारत से जाने वाले निर्यात और सस्ते होंगे। इससे भारत की निर्यात आमदनी और कम होती जायेगी। अन्त में भारत विदेशी कर्जे के दुष्चक्र में और अधिक फंसता जायेगा। गैट करार में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता भी हुआ है। इस समझौते में किसानों एवं कृषि विषय के लिये एक शर्त है। उसकी भी यहां पर चर्चा करना आवश्यक है। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता (TRIPS) में अनुच्छेद-27 के अनुसार "किसी भी आविष्कार या खोज के लिये पेटेन्ट देना होगा चाहे, वह प्रक्रिया के लिये हो या उत्पाद के लिय"। अर्थात अब भारत देश में सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के लिये पेटेन्ट देना होगा जो अभी तक सिर्फ प्रक्रिया के क्षेत्र में ही अधिक दिया जाता था। भारत में अभी तक कृषि क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुये क्षेत्रों एवं जरूरी दवाओं के क्षेत्र में पेटेन्ट नहीं दिया जाता था। लेकिन अब सभी क्षेत्रों में पेटेन्ट देना होगा।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौते के अनुच्छेद-65, अनुच्छेद-70 के

अनुसार "पेटेन्ट अधिकार बिना किसी भेदभाव के देने होंगे, चाहे वह वस्तु या प्रक्रिया (जिसपर पेटेन्ट दिया गया है) किसी भी स्थान पर बनाई गयी हो और चाहे वह वस्तु या प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर उत्पादन की जाती हो या फिर आयात की जाती हो"

गैट करार के बौद्धिक अधिकारों से जुड़े हुये इन अनुच्छेदों का भारतीय कृषि और किसानों पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक भारत में कृषि क्षेत्र को पेटेन्ट के बाहर रखा गया था। जिसके चलते हमारे देश में हजारों किस्म के बीजों का विकास हुआ। इन बीजों की उपलब्धता भी किसानों को कम कीमतों पर होती रही। लेकिन अब गैट करार के अनुसार इन बीजों पर तथा कृषि की अन्य प्रक्रियाओं पर पेटेन्ट होने लगेगा पेटेन्ट का अर्थ होता है- एक तरह का कानूनी अधिकार जो किसी दूसरे को वह वस्तु या प्रक्रिया का उत्पादन एवं वितरण करने से रोकता है, जिस पर पेटेन्ट दिया गया है। अर्थात किसी भी वस्तु अथवा प्रक्रिया पर जिस किसी को भी पेटेन्ट मिल जाता है, वही उस वस्तु या प्रक्रिया का उत्पादन और व्यावसायिक वितरण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस तरह, से पेटेन्ट धारक को एक तरह का विशेषाधिकार मिल जाता है पेटेन्ट की हुयी वस्तु या प्रक्रिया पर। भारत देश में आजादी के बाद सन् 1970 में एक कानून बना था, जिसका नाम था भारतीय पेटेन्ट अधिनियम 1970। इस कानून के अनुसार भारत में सिर्फ आविष्कार को ही पेटेन्ट प्रदान किया जाता है। पेटेन्ट भी भारत में प्रक्रिया का ही दिया जाता है, उत्पाद को नहीं। प्रक्रिया पेटेन्ट की अवधि अधिक से अधिक 5 से 7 वर्ष कुछ अपवाद स्वरूप 14 वर्ष तक ही होती है। भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में कृषि तथा बागवानी की कोई भी प्रक्रिया पर पेटेन्ट नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह भारतीय पेटेन्ट कानून के तहत मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों के चिकित्सकीय शल्य चिकित्सकीय तथा अन्य आरोग्यकारी उपचारों की किसी भी प्रक्रिया पर पेटेन्ट नहीं हो सकता है। आज तक इसी पेटेन्ट कानून के तहत भारत में आविष्कारों का, उद्योगों एवं व्यापार का विकास हुआ है। 1970 से पूर्व भारत में अंग्रेजी सरकार का बनाया हुआ पेटेन्ट कानून चलता था। 1970 में भारतीय पेटेन्ट कानून बनने के बाद, अंग्रेजी समय का कानून समाप्त हुआ।

अब गैट करार के लागू हो जाने पर हमारे देश के सन् 1970 के बने हुये भारतीय पेटेन्ट कानून को बदल दिया गया है। इसलिये अब कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी पेटेन्ट दिये जायेंगे और उन सभी क्षेत्रों में पेटेन्ट दिये जायेंगे, जिनमें अभी तक पेटेन्ट नहीं दिये जाते थे। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव बीज उत्पादन

के क्षेत्र में पड़ेगा। अभी तक जो भी बीज बीना किसी पेटेन्ट को किसानों को उपलब्ध हुये थे, उन सभी पर पेटेन्ट होने लगेगा। बीजों पर पेटेन्ट होने से उन पर कम्पनियों का एकाधिकार होगा। और कम्पनियां उन बीजों को मनमाने दाम पर हजारों प्रतिशत मुनाफे के साथ बेचेंगी। गैट क़रार के पेटेन्ट कायदों के अनुसार कोई भी पेटेन्ट कम से कम 20 साल तक के लिये होगा। अर्थात बीज बनाकर बेचने वाली कम्पनियाँ 20 सालों तक पूरे एकाधिकार के साथ बीज बेचेंगी। जिस कम्पनी के पास जिस बीज का पेटेन्ट होगा, उसे कोई दूसरा व्यक्ति या कम्पनी नहीं बना सकती है। आजकल विदेशी कम्पनियों ने ऐसे बीज बनाने शुरू किये हैं जो सिर्फ एक बार ही फसल का उत्पादन दे सकते हैं। उस फसल में से फिर से बीज बनाना संभव नहीं होता है। इस तरह के बीजों को बहुत मंहगा बनाकर किसानों को लूटने की पूरी तैयारी अब भारत में हो चुकी है। गैट करार का बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता एक बहुत ही अजीब समझौता है। क्योंकि बौद्धिक सम्पत्ति एक ऐसी प्रणाली है जो किसी आविष्कारक या कम्पनी को दूसरे किसी आविष्कारक या कम्पनी द्वारा उसके आविष्कार की नकल करने से रोकने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रणाली आविष्कारक को एकाधिकार प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में आविष्कारक को अधिक लाभ होता है क्योंकि कोई दूसरा उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है जिस पर पेटेन्ट हो जाता है। यह अजीब इसलिये है कि सम्पत्ति की परिभाषा को ज्ञान अथवा जानकारी पर लागू किया जा रहा है। जबकि भारतीय परम्परा में ज्ञान और जानकारी कभी भी किसी की सम्पत्ति नहीं माना गया है। भारतीय संस्कृति में हजारों साल से ज्ञान और जानकारी को अधिक से अधिक बाँटने और देने की परम्परा चली आयी है। इसी आधार पर हमारे देश भारत में हजारों किस्म के शास्त्र रचे गये हैं और लाखों पुस्तकें लिखी गयी हैं। ज्ञान को भारत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया है। यदि किसी के पास एक गिलास दूध है, जमीन का कोई टुकड़ा है जिसके नीचे तेल है या बेशकीमती धातुयें है तो इसे सम्पत्ति माना जा सकता है। लेकिन जानकारी और ज्ञान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। दो व्यक्ति एक ही जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान के बारे में भारत में कहा जाता है कि यह बाँटने पर और अधिक बढ़ता है। भारत में यह भी माना जाता है कि ज्ञान देने वाला भी समृद्ध होता है और ज्ञान पाने वाला भी समृद्ध होता है। भारत में कभी भी ज्ञान को लाभ के साथ नहीं जोड़ा गया। भारत में ज्ञान कभी भी लाभ कमाने के लिये नहीं माना गया है। यूरोपीय-अमेरिकी मान्यता में यह माना गया है कि ज्ञान के माध्यम से अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है। इसलिये ज्ञान को बचाकर रखना या लाभ के लिये ज्ञान

को बेचना यह पश्चिमी सभ्यता का दर्शन है। पश्चिम की पूरी की पूरी समाज व्यवस्था लाभ केन्द्रित और व्यक्ति केन्द्रित है, इसलिये जहां से भी मिले, जिससे भी मिले लाभ कमाना चाहिए, यही यूरोपीय-अमेरिकी व्यवस्था का प्रस्थान बिन्दु है। गैट करार भी यूरोपीय-अमेरिकी दबाव का ही नतीजा है।

गैट करार के अनुसार अब जैविक पदार्थों पर भी पेटेन्ट होना शुरू होगा जो कि एक किस्म का पागलपन होगा। क्योंकि सभी जैविक पदार्थ अपने आप पैदा, होते हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों में जैविक पदार्थों को गत 20 वर्षों से पेटेन्ट दिये जा रहे हैं। ये सभी पेटेन्ट अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के पास ही हैं। अब ये ही कम्पनियां भारत में आकर इन पेटेन्ट अधिकारों का भरपूर लाभ उठाने की तैयारी में हैं। पौधों के लिये सबसे पहला पेटेन्ट अमेरिका में दिया गया। यूरोप में सबसे पहला पौधे के लिये पेटेन्ट 1989 में दिया गया। यूरोप और अमेरिका में ये जो पेटेन्ट दिया गया, उसके आधार पर कम्पनियों ने इस तरह के बीज बनाना शुरू किया जो सिर्फ एक बार ही फसल दे सकें। इन कम्पनियों का तर्क है कि बीजों पर पेटेन्ट मिलने से इन कम्पनियों को यह अधिकार मिल गया है कि वे किसानों को एक वर्ष की फसल से प्राप्त बीज को बचाकर अगले वर्ष बुवाई करने से रोक सकें। इसका सीधा अर्थ है कि कम्पनियाँ हर साल बीज बेचकर हजारों करोड़ रूपयों का मुनाफा कमाना चाहती हैं। जब हर साल किसानों को नया बीज खरीदना पड़ेगा, तो बीज कम्पनियों की बिक्री और मुनाफा दोनों ही बढ़ेगा। भारत बीजों के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है। क्योंकि भारत में 70% आबादी खेती का कार्य ही करती है। भारत में लगभग 32 करोड़ एकड़ जमीन पर खेती की जाती है। हर साल 22 करोड़ टन अनाज का उत्पादन भारत में होता है। इतने अनाज उत्पादन के लिये हजारों-लाखों टन बीज की खपत हर साल होती है। भारत का यह बीज बाजार अब विदेशी कम्पनियों की गिरफ्त में आ जायेगा।

गैट करार के कृषि समझौते की इन शर्तों के अनुसार अब कृषि क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का बेरोकटोक प्रवेश होता जायेगा। गैट करार की शर्तों का यह दुष्परिणाम होगा कि विदेशी कम्पनियाँ सस्ते अनाजों का ढेर भारत के बाजारों में लगा देंगी। क्योंकि अब विदेशी अनाजों के लिये भारत का बाजार खुल जायेगा। अभी तक विदेशी अनाजों पर भारत के बाजारों में प्रतिबन्ध लगा हुआ था। अब यह प्रतिबन्ध हट जायेगा। विदेशी अनाजों पर भारत में आयात कर भी कम होता जायेगा। भारतीय बाजार में विदेशी अनाज के कारण स्वदेशी अनाज का बाजार भाव कम

होता जायेगा जिसके चलते किसानों को उनकी फसल का भाव और भी कम मिलेगा एक ओर इन्हीं शर्तों से किसानों को मिलने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के लगातार कम होने पर रासायनिक खादों का भाव भी बढ़ता जायेगा जिसके चलते किसानों का लागत खर्च बढ़ेगा। लेकिन उन्हीं किसानों के फसल का भाव बाजार में कम होता जायेगा। जिसका अन्तिम दुष्परिणाम किसानों की गरीबी और बढ़ेगी। उनके जीवन का तनाव और अधिक बढ़ेगा। उनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति और अधिक होगी।

सन् 1980 के दशक में अमेरिका के दबाव में कई अफ्रीकी देशों में उदारीकरण की नितियाँ शुरू की गयीं। लगभग 4-5 सालों में अफ्रीकी देशों में विदेशी वस्तुओं और विदेशी अनाजों का भरपूर आना शुरू हुआ। नाईजीरिया, सोमालिया, इथोपिया जैसे देशों में विदेशी अनाजों के भण्डार लग गये। उन देशों के किसानों का उत्पादन बाजार में बिकना कम होता गया और फिर वहाँ किसानों ने धीरे-धीरे खेती-कार्य कम करना शुरू किया। जब उन देशों का कृषि उत्पादन कम हो गया तो बाहर से आने वाले विदेशी अनाज की कीमतें बढ़ती गयीं। फिर वहां के नागरिकों की क्रय शक्ति के बाहर होते जाने पर स्थानीय नागरिकों ने अनाजों को खरीदना कम कर दिया। धीरे-धीरे ये सभी देश भुखमरी की ओर बढ़ते गये, और आज भी भुखमरी इन अफ्रीकी देशों की सबसे बड़ी समस्या हो गयी है। बीच में सन् 1983 में नाईजीरिया की सरकार ने विदेशों से आने वाले अनाज गेहूँ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रतिबन्ध के बाद नाईजीरिया के किसानों ने कसाबा, याम, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अच्छा भाव मिलना शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिकी कम्पनी कारगिल ने नाईजीरिया सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने नाईजीरिया सरकार पर दबाव डालने के लिये नाईजीरिया के वस्त्रों पर अमेरिकी बाजार में प्रतिबन्ध लगा दिया। और इस तरह फिर से नाईजीरिया का बाजार विदेशी अनाजों के लिये खोल दिया गया। यही हाल सोमालिया, इथोपिया जैसे कई देशों का हुआ है।

गैट करार के माध्यम से अब यही उदारीकरण कानूनी रूप से भारत में भी लागू होने जा रहा है। किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का बंद होना और सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य समाप्त किया जाना, ये दोनों ही नीतियाँ भारत के छोटे-छोटे किसानों को बरबाद कर देंगी। भारत देश में लगभग 75 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। जिस देश

के 75% किसान छोटे एवं मध्यम दर्जे के हों उस देश में किसानों को सरकारी आर्थिक सहायता एवं लाभकारी समर्थन मूल्य की सबसे अधिक जरूरत होती है। छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों को लाभकारी मूल्य और आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर वे खेती करना कम करते हैं और अपनी जमीनें बेचना शुरू करते हैं। अमेरिका जैसे देश में यही हुआ है। सन् 1950 के आस-पास अमेरिकी सरकार ने उदारीकरण शुरू किया, जिसमें अमेरिका के छोटे-छोटे किसान समाप्त होते गये और अमेरिकी खेती बड़े-बड़े जमीदारों और कम्पनियों के हाथ में चली गयी। सन् 1950 से 1960 के बीच अमेरिका के 30% छोटे किसान समाप्त हो गये। सन् 1960 से 1970 के बीच अमेरिका के 26% किसान और कम हो गये। सन् 1970 से 1995 के बीच अमेरिका में मात्र 10% किसान ही रह गये। अब सन् 2005 में अमेरिका में मात्र 3 से 4 प्रतिशत किसान ही रह गये हैं। अर्थात अमेरिका में गत 50-55 वर्षों में 96% किसान समाप्त हो गये। अमेरिका की पूरी खेती अब बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में या फिर चंद जमीदारों के हाथों में चली गयी है। अमेरिका में अब खेत हजारों एकड़ में होते हैं। और इन हजारों एकड़ खेतों का मालिक कोई एक व्यक्ति या कम्पनी होती है। अमेरिका के किसानों की लाखों एकड़ जमीनें अब कम्पनियों के हाथों में हैं। अब भारत जैसे देशों में भी यही होने की तैयारी है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश की आजीविका खेती से ही प्राप्त होती है, वहां गैट करार की शर्तों का लागू होना अत्यन्त घातक सिद्ध होगा।

भारत देश में हरित क्रान्ति से जो अपेक्षायें थीं, वे अब समाप्त हो गयी हैं। भूमि से अब इतनी कम आमदनी होती है कि उससे जीवन का पर्याप्त निर्वाहन भी संभव नहीं है। कृषि भूमि में निवेश की लागत बहुत बढ़ गयी है। क्योंकि हरित क्रान्ति का पूरा आधार रासायनिक खादें, कीटनाशक और संकर बीज ही हैं। भारत में कृषि उत्पादन इन रासायनिक खादों, कीटनाशकों एवं संकर बीजों का ही परिणाम है। हरित क्रान्ति में आगे जो भी थोड़ी बहुत संभावना है वह भी निवेश्य वस्तुओं (रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं संकर बीज) में वृद्धि करके ही संभव है। लेकिन अब निवेश्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी हैं और अधिक बढ़ने जा रही हैं। इसी कारण खेती की लागत बढ़ जाती है, जिससे किसानों की आय कम होती है। अब किसानों की उपज और आमदनी बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता है कि किसान अपनी खेती परम्परागत एवं प्राकृतिक तरीकों से करें। जिसमें किसानों को रासायनिक खादों, कीटनाशकों एवं संकर बीजों की आवश्यकता नहीं हो और जो कुछ भी किसानों के पास ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है, उसी का इस्तेमाल

करके खेती-उत्पादन किया जाए। दूसरा रास्ता है बायोटेक्नोलाजी की मदद से उन सभी संभावनाओं को खोजना जिनका आज तक उपयोग नहीं हो पाया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में पेटेन्ट अधिकारों के बाद स्थिति बड़ी-बड़ी कुछ कम्पनियों के नियंत्रण में होगी। जिन्हें भरपूर लाभ के लिये ही व्यापार करना आता है। बड़ी-बड़ी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बीजों के उत्पादन पर पूरा नियंत्रण करने के लिये पेटेन्ट कानूनों का ही सहारा लेंगी। पेटेन्ट व्यवस्था पूरी तरह से एकाधिकार ही प्रदान करती है। सभी विदेशी कम्पनियां चाहती हैं कि उन्हें बाजार में किसी भी तरह की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिये ये कम्पनियाँ पेटेन्ट चाहती हैं। क्योंकि ऐकाधिकार होने से अधिकतम मुनाफा मिलता है और मनमानी कीमत पर व्यापार करने का मौका मिल जाता है। सभी विदेशी कम्पनियां विज्ञापनबाजी अंधाधुंध करती हैं। आम तौर पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जितना पैसा शोध एवं अनुसंधान पर खर्च करती हैं, उससे कई गुना अधिक विज्ञापनों पर खर्च करती हैं। जिन कम्पनियों को बीजों पर पेटेन्ट मिल जायेंगे, उन बीजों को किसानों के बीच में लगातार विज्ञापन करके बेचा जायेगा। इन विज्ञापनों की सत्यता को जांचने का किसानों के पास कोई तरीका नहीं है। कई बार विदेशी कम्पनियाँ अपने पुराने ही बीजों को विज्ञापनों के माध्यम से नया बताकर बेचती रहेंगी और मुंहमांगे दाम किसानों से वसूलती रहेंगी और कोई इसे चुनौती भी नहीं दे पायेगा। जब पेटेन्ट के समाप्त होने का 20 वर्ष का समय आयेगा तभी ये कम्पनियाँ अपने बीजों में थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर से नया पेटेन्ट ले लेंगी और अगले 20 साल तक फिर लगातार इन बीजों को बेचकर मुनाफा कमाती रहेंगी। यह पेटेन्ट का हथियार विदेशी कम्पनियों के हाथों में एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो अंधाधुंध मुनाफा कमाने का जरिया है। खेती के मामले में हमें जिन बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक समस्या है कि अच्छी किस्म के बीजों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। भारत में बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के कमजोर होने के कारण, किसानों तक वे नई और उपयोगी किस्में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनका विकास सरकारी शोध संस्थानों में हो चुका है। हालांकि भारत में कई छोटी-छोटी स्वदेशी कम्पनियाँ इसमें आगे आयीं हैं, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। इन कम्पनियों को आगे बढ़ाने एवं उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इन कम्पनियों के अतिरिक्त किसानों के संगठन बनाकर, बीजों की उपलब्धता करायी जाये। इन संगठनों को वैज्ञानिकों की भी मदद मिले। किसानों की सहकारी समितियाँ भी यह कार्य कर सकती हैं। पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान और किसानों की मांग के अनुरूप यह वैकल्पिक व्यवस्था

किसानों को उन नई किस्म के बीजों को उपलब्ध करा सकती है, जिनका विकास हमारे देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में हो चुका है।

अभी तक गैट करार के पहले भारत में बीजों का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा, छोटी-छोटी निजी भारतीय कम्पनियों के द्वारा किया जाता है। ये कम्पनियाँ अन्य दूसरी कम्पनियों द्वारा उत्पादित बीजों का भी उत्पादन करने के लिये स्वतन्त्र रही हैं। किसानों को भी अभी तक बीज बनाने का अधिकार रहा है। अर्थात जो बीज किसान बाजार से खरीदते हैं, वही बीज स्वयं भी बना सकते हैं। इन बीजों को बनाकर किसान बेच भी सकता है। अतः भारत में बीज उद्योग में बहुत संभावनायें एवं क्षमता है। अतः राष्ट्र के हित में भारत के 70 करोड़ किसानों के हित में इन संभावनाओं एवं क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन गैट करार के लागू होने से ये सारी संभावनायें समाप्त हो जाने वाली हैं क्योंकि पेटेन्ट अधिकार की मदद से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बीजों के उत्पादन और व्यापार में पूरी तरह से काबिज होने की कोशिश कर रही हैं। भारत के बारे में एक खराब सत्य यह भी है कि भ्रष्टाचार के चलते बुनियादी शोध एवं अनुसंधान तो सरकारी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें करती हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही मिलता है इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालायें विदेशी कम्पनियों की पिछलग्गू बन जाती हैं। अब गैट करार के लागू होने से भारत में जो छोटी-छोटी स्वदेशी बीज कम्पनियाँ विकसित हुयीं हैं, उन्हें बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों के रहमोकरम पर रहना होगा। ये छोटी-छोटी कम्पनियाँ जो भी बीज क्षेत्र में कार्य करेंगी, उनको अब रायल्टी (लाभांश) देना होगा, उन कम्पनियों को जिनके पास अधिकांश पेटेन्ट होंगे। गैट करार के लागू होने से किसान भी बीजों का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। उन्हे तो हर बार नये बीज खरीदकर खेती करनी होगी। इस तरह भारतीय किसानों की आमदनी बड़ी-बड़ी विदेशी बीज कम्पनियों की जेबों में चली जायेगी। और किसानों को यह आमदनी देने के लिये मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पेटेन्ट होने से कितना दुष्प्रभाव हो सकता है, उसका एक उदाहरण - मान लीजिये कि चावल की फसल पर ब्लास्ट रोग की महामारी फैल जाये। इससे निपटने के लिये कोई कम्पनी चावल के बीज की ऐसी नई किस्म विकसित करे जो ब्लास्ट रोग का प्रतिरोध कर सके। ऐसी स्थिति में कोई दूसरी कम्पनी या संगठन चावल की इस किस्म को नहीं बना सकती है। चाहे वह कम्पनी थोड़ा परिवर्तन करके ही बीज विकसित करने की कोशिश करे, तो भी वह नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में ब्लास्ट रोग प्रतिरोधक

किस्म के बीज की पेटेन्ट धारक कम्पनी स्वयं उत्पादन करके बाजार में 20 साल तक बेचेगी और मुनाफा कमायेगी। इस बीज का जिस भी कीमत पर पेटेन्ट धारक कम्पनी बिक्री करे किसानों को मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा

गैट करार की पेटेन्ट व्यवस्था का किसानों के हितों पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है, कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विज्ञान का लाभ प्राप्त करने में हमें बहुत हानी उठानी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात तकनीक की उपलब्धता की भी है। ऐसा इसलिये है कि तकनीकी तभी तक उपलब्ध मानी जती है, जब तक उसे भारतीय परिस्थिति के अनुरूप उचित रूप से ढाल लिया जाय। लेकिन अब गैट करार के लागू होने से यह तकनीक की उपलब्धता संभव नहीं हो सकेगी। विदेशी कम्पनियों के लिये तो भारत एक बाजार है। विदेशी कम्पनियों की सभी नीतियाँ बाजार और मुनाफे के आधार पर तय की जाती हैं। इन कम्पनियों के लिये तो उन बाजारों की अधिक जरूरत है जिनमें बड़े-बड़े किसानों की जरूरतें पूरी होती हैं अत: ये कम्पनियों के लिये तकनीकी वही अच्छी है जो बड़े-बड़े किसानों के काम आये। ध्यान देने की यह महत्वपूर्ण बात है कि हरित क्रान्ति के दौर में अनाज की बौनी किस्मों का विकास राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में ही हुआ था। ये सभी किस्में सभी के लिये उपलब्ध थीं। सर्वसाधारण के लिये इन बीजों की सुलभता रही, यह सबसे महत्वपूर्ण है।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ केवल उन्हीं बीजों का उत्पादन करती हैं, जिनका विकास उन कम्पनियों ने किया हो। सामान्य रूप से ये कम्पनियाँ पहले कच्चे बीज बनाती हैं। फिर उन कच्चे बीजों का निर्यात इन कम्पनियों के विशेष केन्द्रों को किया जाता है। बाद में उन बीजों को आगे दूसरे देशों को भेजा जाता है। इसका परिणाम होता है कि इस निर्यात से उन देशों को सबसे अधिक फायदा होता है, जो देश इन कम्पनियों के होते हैं। विकासशील देशों का उपयोग विदेशी कम्पनियाँ अच्छे मौसम और सस्ते श्रम के लिये ही करती हैं। भारत में अभी तक जितने भी अच्छे बीजों का विकास हुआ है। वे सब सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों या भारतीय कम्पनियों के द्वारा ही विकसित हुये हैं। भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने भी काफी अच्छे बीजों का विकास किया है।

-7-

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता

1 जनवरी 2005 से नई पेटेन्ट व्यवस्था लागू हो गई है। इसके पूर्व 31 दिसम्बर को केन्द्र सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिये 'अध्यादेश' का सहारा लिया। इसका अर्थ है कि नई पेटेन्ट व्यवस्था लागू करने के सम्बंध में संसद में विस्तृत चर्चा करके, प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। लेकिन अगले छः माह के भीतर इस सम्बंध में सदन में प्रस्ताव पास करना होगा। तभी नई पेटेन्ट व्यवस्था नियम पूर्वक लागू होगी।

नई पेटेन्ट व्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS) समझौते के तहत लागू की जा रही है। इस बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौते को जानना हम सबके लिए आवश्यक है।

ट्रिप्स समझौते के खण्ड 5 का अनुच्छेद 27 कहता है "Patents shall be available for any inventions, whether products or proosses in all fields of technologies" यानि तकनीक के सभी क्षेत्रों में उत्पाद और प्रक्रिया पेटेन्ट दिये जायेंगे। स्वयं प्रजनित पौधों और पशुओं को छोड़कर जो जीव या पौधे प्रयोगशाला में जैव तकनीक द्वारा विकसित होंगे (अनुच्छेद 3-b) उन पर भी पेटेन्ट लागू होगा। जिन जीवों को पेटेन्ट से मुक्त रखा गया है, उन पर भी चार साल बाद (समझौता लागू होने के) पुर्नविचार किया जाएगा।

ट्रिप्स समझौते के तहत खण्ड 1 के अनुच्छेद 3, 4 और 5 का कथन है कि विदेशियों की बौद्धिक सम्पति के साथ भी, अपनी ही सम्पत्ती जैसा राष्ट्रीय व्यवहार करना होगा।

नई पेटेन्ट प्रणाली के तहत औद्योगिक तकनीकी के सभी क्षेत्रों में हरेक अन्वेषण को उत्पाद और प्रक्रिया पेटेन्ट देने ही होंगे (ट्रिप्स का अनुच्छेद-27)। पेटेन्ट संरक्षण की अवधि 20 वर्ष होगी (ट्रिप्स का अनुच्छेद-33) यह नई पेटेन्ट प्रणाली अमेरिकी पेटेन्ट प्रणाली से भी अधिक दुःसह होगी। नई प्रणाली के कारण 20 वर्ष तक उत्पाद पेटेन्ट और अगले 20 वर्ष तक प्रक्रिया पेटेन्ट अधिकार होंगे। अमेरिका की तरह दवाइयों के नये कम्बीनेशनों पर, नई डोसेज पर, नये उपयोग रूपों पर भी पेटेन्ट अधिकार लागू होंगे। और ये केवल नये उत्पादों पर ही नहीं, वर्तमान उत्पादों पर भी लागू होंगे। अमेरिका में आज 85 से 90% फीसदी उत्पादों को किसी न किसी प्रकार का पेटेंट संरक्षण मिला हुआ है। इसी प्रकार भारत में भी पेटेंट और इसी तरह का संरक्षण किसी न किसी रूप में हमारे दवा उत्पादों के कम से कम 70 से 80% फीसदी पर 20 वर्ष से ज्यादा लम्बी अवधि के लिये लगाने होगें।

परिणाम स्वरूप एकछत्र उत्पाद पेटेंट एकाधिकार कायम हो जाने से दवाइयों के दाम दस गुना से ज्यादा यानि 1000 फीसदी तक बढ़ जाने की सम्भावना है। जिन देशों में उत्पाद पेटेन्ट प्रणाली लागू है उनके उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। मान लीजिए रेनीटीडीन - जैनेटिक दवाई ग्लैक्सो नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी बनाती है और इसका दस गोली का पत्ता पाकिस्तान में 260 रू. में, अमेरिका में 744.65 रूपये में, इंग्लैण्ड में 481.31 रूपये में बेचा जाता है। इन सभी देशों में उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू है जबकि भारत में यही दवा मात्र 29.03 रूपये में मिलती है। (यहां अभी उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू नहीं है) इसी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनी सीबा गाइगी, डाइक्लो फिनाक-वोवरान नामक दवाई की दस गोली पाकिस्तान में 55.80 रूपये, इग्लैण्ड में 95.84 रूपये, अमेरिका में 239.47 रूपये और भारत में 5.96 रूपये में बेचती है। ग्लैक्सो तथा सीबा गाइगी भारत के विपरीत अन्य तीन देशों में दस गुना से चालीस गुना यानि 1000 से 4000 फीसदी ज्यादा कीमत वसूल रही हैं। भारत में इन कम्पनियों के अतिरिक्त और भी कई कम्पनियाँ इन दवाइयों को बनाती हैं और इस प्रकार कीमतों में मुकाबला (Competition) होने के कारण इन दवाइयों की कीमतें बहुत कम हैं। अन्य तीनों देशों में केवल यही दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन दो दवाइयों को बेच रही हैं। नई प्रणाली के अन्तर्गत भारत की पेटेंट व्यवस्था भी अमेरिका, इंग्लैण्ड और पाकिस्तान जैसी हो जायेगी तथा एकाधिकार होने के कारण दवाइयों की कीमतें कई गुना (लगभग 1000 से 4000 फीसदी तक) बढ़ जायेंगी।

यह असर सिर्फ नई दवाइयों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान दवाइयों के कम्बीनेशनों, डोसेज रूपों पर भी होगा और उनके दाम भी उसी अनुपात में बढ़ जायेंगे।

-8-

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र (यानि बैंक, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, मीडिया, विज्ञापन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पहली बार शामिल किया गया है। पूर्व के गैट समझौते में ये विषय शामिल नहीं थे। सेवा समझौते का अनुच्छेद -2 कहता है "Services include any service in any sector except services supplied in the excercise of governmental authority" पैरा 3(C) और स्पष्ट करता है- "A service supplied in the exercise of governmental authority means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers" अर्थात् सरकारी प्रशासनिक कार्यों और सैनिक कार्यों को छोड़ सेवाओं के सभी क्षेत्र इस समझौते में शामिल कर लिये गये हैं। नगर महापालिकाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, कल और सफाई व्यवस्था भी सेवाओं के समझौते में आ गयी है इसीलिये तो समझौता स्पष्ट कहता है - (अनुच्छेद -1 पैरा 3 (a)" measures taken by (i) Central, regional or local governments and authorities and (ii) non governmental bodies in the exercise of power delegated by central, regional or local governments or authorities"। इतना व्यापक है यह समझौता कि सरकरी प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को छोड़ प्रत्येक सेवा के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को व्यापार की पूरी छूट देंनी होगी। समझौते के अनुच्छेद -2 का पैरा 1 कहता है "with respect to any measure covered by this agreement, each member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other member, treatment no less favorable than that it accords to like services and service suppliers of any other country" यानि सबके साथ राष्ट्रीय व्यवहार करना होगा।

सेवा क्षेत्र इतना साफ क्यों बनाया गया है और उसे इतनी जल्दी विश्व व्यापर में क्यों जोड़ा गया है, उसे समझने के लिये यह जानना जरूरी है कि विकसित देशों

के इसमें क्या हित हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों की 90 फीसदी आमदनी सेवा क्षेत्र से होती है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड और अमेरिका में दो-तिहाई से ज्यादा रोजगार सेवाओं के कारोबार से ही मिले हैं। सूचना क्रान्ति (सैटलाइट टी. वी.) ने सेवा क्षेत्र में बहुत इजाफा किया है। कृषि के प्राथमिक क्षेत्र और उद्योगों के द्वितीय क्षेत्र को संचालित और नियन्त्रित करने में सेवाओं के तीसरे क्षेत्र (अर्थ व्यवस्थाओं के तीन क्षेत्र माने जाते हैं।) की महत्वपूर्ण भूमिका है अर्थात यदि सेवाओं पर आपका कब्जा है तो कृषि और उद्योग स्वमेव आपके नियन्त्रण में आ जायेंगे।

सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा (बैंक और बीमा) और दूर-संचार (रेडियों, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि) हैं। आज विकसित देशों के दस बड़े बैंकों के पास दुनिया की दो तिहाई पूंजी की मिल्कियत है। जापान के तीन बड़े बैंकों में प्रत्येक के पास भारत के सकल घरेलू उत्पाद के तीन गुना से ज्यादा पूंजी है। अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैण्ड के बैंकों की भी यही स्थिति है। ये बैंक विश्व राजनीति के माध्यम (जो पैसे के सहारे चलती है) और विश्व व्यापर (जो राजनीति के माध्यम से चलता है) पर कब्जा जमाए हैं। इन बैंको के कारोबार में कोई नियम-कानून नहीं चलते, न ही ये किसी देश के नियम-कानूनों से बंधे हैं। अरबों-खरबों का निपटारा क्षण भर में कर देते हैं। दूर संचार, सूचना और विचार फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र बन गया है। क्या सूचना देनी है और किस तरह के विचार फैलाने हैं दूर-संचार तंत्र पर कब्जा जमाये बैठे बड़े-बड़े पूंजी-पति (CNN, Star.T. V., BBC आदि) तय करते हैं। इनका सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है Homogenisation of culture, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नष्ट कर 'सांस्कृतिक एकता' बनाना। देशी लोग क्या खाएं, क्या पीयें, कैसे रहें, कैसे उठें-बैठें, कैसे 'विकसित' हों और आधुनिक बनें, पश्चिमी जीवन शैली के अनुरूप ये प्रचार माध्यम यह सब हमें सिखाते हैं। और अब इन दोनों क्षेत्रों में हमने अपने देश को पूरी तरह विदेशी बैंकों के कब्जे में दे दिया है। और लोगों की दिनचर्या को विदेशी दूरसंचार कम्पनियाँ तय करेंगी।

सेवा समझौते के अनुच्छेद-16 के अनुसार सदस्य देशों की सेवा कम्पनियों या व्यक्तियों पर कोई भी प्रतिबन्धात्मक नियम-कानून लगाने से रोका गया है। हम इसका कितना फायदा उठा सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। नये-नये बाजार अवसरों का असली फायदा तो सेवा क्षेत्र में कार्यरत बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ही उठायेंगी जिनके पास आधुनिक, कम्प्यूटर युक्त स्वचालित तकनीकें हैं जो काम को तेजी से निपटा सकती हैं। हमारे देश में सरकार द्वारा संचालित सेवाओं (बैंकों, बीमा कम्पनियों, परिवहन, रेलवे, टेलीफोन, रेडियों और दूरदर्शन आदि) की हालत बहुत खस्ता है। यदि विदेशी सेवा कम्पनियों को छूट दे दी जाय तो ये प्रतिस्पर्धा में कहां तक टिक पायेंगी ? अतः मार्केट एक्सेस अवसरों का असली फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही मिलेगा।

-9-

संवैधानिक मसले W.T.O. से निम्न संवैधानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी

1) राष्ट्र के संचालन (Governance) पर मूलभूत प्रभाव होगा।
2) सम्प्रभु ताकत को इस्तेमाल करने की क्षमता नष्ट हो जायेगी।
3) खाद्यान्न में भारत की आत्म निर्भरता समाप्त होगी, और राज्यों का खाद्य, सुरक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार कम हो जायेगा।
4) बहुसंख्यक भारतीय किसानों की आजीविका का अधिकार प्रभावित होगा। यदि उच्च उत्पादन देनेवाले बीजों पर किसानों का अधिकार नहीं रहेगा तो खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
5) दवाओं के दामों में कई गुना वृद्धि होने से भारतीय लोगों का स्वास्थ्य का अधिकार प्रभावित होगा।
6) लोगों के जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व सरकार को छोड़ना पड़ेगा जबकि संविधान के मुताबिक राज्य यह उत्तरदायित्व नहीं छोड़ सकता।
7) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और छोटे भारतीय उद्योगों की असमान प्रतियोगिता को बढ़ावा देना होगा, जबकि संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुरूप असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिये।
8) औद्योगिक विकास को उन तरीकों से रोका जायेगा जिनकी इजाजत संविधान नहीं देता है।
9) भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप नष्ट होगा।
10) अपने वैश्विक भविष्य के बारे में पूरी जानकारी के साथ चर्चा करने का लोगों का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

11) कानूनों, जैसे 1970 का पेटेन्ट कानून, को जनता के हितों के विपरीत बनाना होगा।

विश्व व्यापार संगठन के दायरे को परिभाषित करते हुये अनुच्छेद -2 के पैरा -1 में कहा गया है "The WTO shall provide the common constiutional framework for the conduct of trade relations among the members in matters related to the agreements and associated legal instruments------" "यानि डब्ल्यू. टी. ओ. सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिये समझौते से सम्बन्धित और जुड़े हुये कानूनी पहलुओं पर एक समान संस्थागत ढाँचा बनाएगा"। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के अर्न्तगत अनुच्छेद-3 के पैरा 5 में कहा गया है "With a view to acheiving greater coherence in global economic policy making, the WTO shall cooperate, as approsiate, with the international Monetary fund (IMF)and with the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) and its affiliated agencies" यानि विश्व व्यापार संगठन भूमण्डलीय आर्थिक विकास की नीति तय करने के लिये आई. एम. एफ. और विश्व बैंक से सहयोग करेगा। अनुच्छेद 4 के पैरा 7 में कहा गया है कि "The ministerial conference (which shall carry out the functions of the WTO) shall establisha Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-payments Restrictions and a Committe on Budget, Finance and Administration which shall carry out the functions assigned to them by this agreement....." यानि व्यापार और विकास समिति, भुगतान संतुलन के प्रतिबन्धों की समिति, और बजट, वित्त और प्रशासन समिति समझौते के अन्तर्गत दिये गये कार्यों को पूरा करेंगी। इन तीनों अनुच्छेदों की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि WTO समझौते के बाद राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। आर्थिक विकास की भूमण्डलीय नीति विश्व व्यापार संगठन द्वारा विश्व बैंक और आई. एम. एफ. की मदद से बनायी जायेगी और उसकी प्राथमिकतायें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से अलग होंगी। सभी देशों के लिये एक समान कानून बनेंगे (जबकि सदस्य, देशों की अर्थव्यवस्थाओं और विश्व व्यापार में घोर असमानताएं हैं) और ये कानून राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर होंगे। सभी देशों को अपने कानून WTO के कानूनों के मुताबिक बनाने होंगे। इस सन्दर्भ में अनुच्छेद -16 का पैरा-4 स्पष्ट कहता है "Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligation as provided in the annexed agreements" यानि सभी सदस्य देशों के समझौते में दिये गये

उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपने कानून-नियम और प्रशासनिक क्रियाओं की अनुरूपता सुनिश्चित करनी होगी। इसी अनुच्छेद के पैरा 5 के मुताबिक "No reservation may be made in respect of any provisons of the agreement. Reservation may only be made in accordance with the provision set out in these agreement" अर्थात् समझौते के विपरीत कोई भी देश किसी भी प्रकार का बचाव (आरक्षण) नहीं कर सकता। समझौते के अनुच्छेद-9 का पैरा- 2 स्पष्ट करता है - "The Ministerial Conferrence and the General Council (to be constituted to carry out the function of the WTO shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this agreement and of the Multifateral Trade Agreements" व्याख्या करने का अधिकार डब्ल्यू. टी. ओ. के तहत बनने वाली मिनिस्ट्रीयल कान्फ्रेंस और जनरल काउंसिल को होगा।

ऐसे में हमारी सम्प्रभु संसद की हैसियत क्या होगी ? रबर स्टैम्प की होगी, जो विश्व व्यापार संगठन के कानूनों पर मुहर लगायेगी और वहां बैठे सांसद क्लर्क का काम करेंगे क्योंकि अनुच्छेद -8 का पैरा 1 कहता है "The WTO shall have legal personality and shall be accorded by each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its function" अर्थात् विश्व व्यापार संगठन की कानूनी हैसियत होगी और, पैरा -2 "The WTO shall be accorded by each of its members such privilages and in munities as are necessary for the excercise of its function" विश्व व्यापार संगठन को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अपने कानूनों के ऊपर विशेषाधिकार तथा उनसे सुरक्षा दिलवानी होगी।

संसद की सम्प्रभुता तो समाप्त होगी ही, साथ में असली सम्प्रभु भारतीय जनता का भी इस समझौते में कोई दखल नहीं रह जायेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ताकत बढ़ जायेगी। विश्व व्यापार संगठन विचार विमर्श के लिये गैर सरकारी संगठनों को तो आमन्त्रित करता है परन्तु जनता को नहीं। और गैर सरकारी संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रमुख हैं। अनुच्छेद -4 का पैरा -2 कहता है - "The General council (to be constituted to carry out function of the WTO) may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non govermmental organisation concerned with matters related to those of the WTO" अर्थात् उन (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) जो विश्व व्यापार संगठन के मसलों से सबसे ज्यादा जुड़ी हैं से विचार विमर्श और सहयोग का बंदोबस्त किया जायेगा।

संविधान का मूल सिद्धान्त है कि बिना राज्यों की सहमति लिये उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसके लिये संविधान में राज्य अधिकार क्षेत्रों की 'राज्य सूची' भी दी है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्य सभी में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करवा कर ही केन्द्र 'राज्य सूची' के क्षेत्रों में कानून बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 252 के मुताबिक राज्यों की इजाजत लेकर ही केन्द्र सरकार उनके अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित कानून बना सकती है।

लेकिन डब्ल्यू. टी. ओ. जैसे बहुआयामी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को करते समय सरकार ने राज्यों से पूछे बिना ही 'राज्य सूची' के क्षेत्रों के बारे में समझौता कर लिया है ओर कानून बनाने का अधिकार हासिल कर लिया है। राज्य सूची के ये क्षेत्र हैं, कृषि, कृषि पर सब्सिडी, गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना, सेवा जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, सफाई आदि और उद्योग। इन सभी क्षेत्रों में डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते से राज्य के अधिकारों का हनन होगा। संविधान की राज्य सूची में निम्न विशेष मसले हैं जिन पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौता हुआ है।

सूची II आइटम 6–सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल आदि

14) कृषि और कृषि शोध, कीटों से सुरक्षा और पशुओं की बीमारियों से बचाव।

18) भूमि, भूमि का हस्तांतरण, कृषि ऋण

23) खदान का संचालन और खदान उत्पादों का दोहन

24) उद्योग

26) राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य

27) वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण

52) स्थानीय उपभोग के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर

लेकिन समझौता करते वक्त सरकार ने राज्य सरकारों और विधान सभाओं को विश्वास में नहीं लिया। कृषि सहायता (सब्सिडी), खाद्य आपूर्ति, दवा उपयोग, राज्यों ओर स्थानीय बाजारों में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश पर पाबन्दी, मूल्य नियन्त्रण की समाप्ति, और विशेष उद्योगों में निवेश आदि पर समझौते का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अन्य नागरिक सुविधाओं–जल, बिजली, सफाई, आदि देने के राज्य अधिकारों पर भी व्यापक प्रभाव होगा।

कुछ क्षेत्रों के बारे में तो समझौते में ही राज्य सरकारों और स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों की सहमति लेने का सदस्य देशों से अनुरोध किया गया है। उदाहरण के लिए-

1. ट्रिम्स समझौते का अनुच्छेद -6 का पैरा 2 कहता है - Each member shall notify the WTO Secretariat of the publications in which TRIMS may be found, including those applied by regional and local governments and authorities within their territories प्रत्येक सदस्य देश को डब्ल्यू. टी. ओ. सेक्रेटेरियेट को ट्रिम्स से सम्बन्धित प्रकाशनों की जानकारी देनी होगी उसमें स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा किये गये प्रकाशन हो सकते हैं। (प्रकाशन से यहां अर्थ नियम, कानूनों, गजट आदि के प्रकाशन से है जिससे पारदर्शिता बरकरार रहे।)

2. व्यापार की तकनीकी रूकावटों के बारे में हुए समझौते (Agreement on technical Barriers To Trade) का अनुच्छेद -7 "स्थानीय निकायों द्वारा अनुरूपता के निर्धारण का तरीका" (Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies) बतलाते हुये कहते हैं& "With respect to thier local government bodies within their territories, the members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies--"

   व्यापार में आने वाली तकनीकी रूकावटों को दूर करने के लिये सदस्य देशों को अपने स्थानीय निकायों (राज्य सरकार, नगर महापालिकाएं, जिला परिषद आदि) के नियम कानून का अनुपालन (Compliance) करने के लिये जरूरी कदम उठाने होंगे।

3. सेवा समझौते का अनुच्छेद -1 का पैरा 3(a) सेवा समझौते के लिये उठाये गये कदमों (Measures) को परिभाषित करते हुये कहता है कि, For the Purpose of this agreement "measures by members" means measures taken by (i) central, regional or local governments and authorities (ii) non governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities".

यानि केन्द्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों और निकायों यहां तक कि गैर सरकारी निकायों द्वारा उठाये गये कदम भी समझौते की परिभाषा में शामिल हो गये हैं।

हम समझौते से कभी भी अलग हो सकते हैं। डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते (Agreement of Establishment of the W.T.O.) का अनुच्छेद –15 अलग होने (withdrawal) की बात करता है। इसके अनुसार "Any member may withdraw from this agreement. Such withdrawal shall apply both to this agreement & the WTO agreement and shall take effect upon the expiration of six months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director General of the WTO" अर्थात् "कोई भी देश समझौता से अलग हो सकता है डब्ल्यू. टी. ओ. के महानिदेशक को इस आशय की लिखित सूचना मिलने के 6 महीने बाद प्रभावी हो जायेगा"। देश में, यदि डब्ल्यू. टी. ओ. विरोधी सरकार बनती है तो वह समझौते से अलग होने का निर्णय ऊपरोक्त अनुच्छेद के अर्न्तगत ले सकती है।

समझौता विकास के वर्तमान माडल भूमण्डलीकरण की पश्चिमी अवधारणा को पूरी दुनिया पर थोपने का एक और प्रयास है। नंगा बाजारवाद और विकृत उपभोक्तावाद इस समझौते के निर्देशक सिद्धान्त हैं। 'इस्तेमाल करो और फेंको' (Use and Throw) की मूल्यहीन संस्कृति इसका कवच है। सामाजिक – आर्थिक असमानता इसको पुष्ट करती है और विस्थापन, बेरोजगारी, सांस्कृतिक पतन और मानवता का ह्रास इसका परिणाम है। राजनीतिक कूटनीतिक प्रभुत्व इसके हथियार हैं। प्रकृति के निर्मम अनियंत्रित दोहन पर यह सारा खेल टिका हुआ है। समझौते का विरोध वस्तुत: विकास की मान्यताओं को चुनौती है और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सहचर्य, सामाजिक आर्थिक समानता, स्वावलम्बन और रोजगार, सांस्कृतिक अस्मिता और राजनैतिक आजादी को बरकरार रखने के लिये नये विकास के विकल्प की खोज का प्रयास है। लड़ाई सिर्फ इस समझौते के ही खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी मानव विरोधी व्यवस्था के खिलाफ है।

आग उगलने वाली आवाज मौन हो गई.... राजीव भाई के प्रखर और ओजस्वी वाणी शांत हो गई। उनकी वाणी में स्वदेश के लिए प्रेम और अगाध श्रद्धा थी।..... राजीव भाई के जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके असमय निधन से राष्ट्र ने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। .... देश में अब दूसरा राजीव पैदा नहीं होगा। उनकी एक आवाज़ करोड़ों आवाज़ों के बराबर थी।.... उनके स्वदेशी के स्वप्न को साकार करने के लिए हम सच्चे प्रयास करें। यही उस पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

परमपूज्य स्वामी रामदेव जी

राजीव भाई का जीवन निरंतर कर्मयोनि का जीवन था। वर्धा से निकलकर हरिद्वार आने पर उनकी यात्रा पूर्ण हो गई थी। भारत स्वाभिमान के लिए उन्होंने जो पृष्ठ भूमि बनाई, वह उनके अद्‌भुद ज्ञान का प्रमाण है। उनके पास जो ज्ञान था। उनकी जो स्मृति थी वह बहुत कम लोगों के पास होती है। पाँच हजार वर्षों का ज्ञान उनके पास था। उनका दिमाग कम्प्यूटर से भी तेज चलता था। उनका आन्दोलन रूकेगा नहीं, ऐसी परमपिता से प्रार्थना।

परम श्रद्धेय डॉ. प्रणव पण्ड्या

राजीव भाई द्वारा संकल्पित

स्वदेशी ग्राम
(स्वदेशी शोध केंद्र, सेवाग्राम, वर्धा)

भारत को स्वदेशी और स्वावलंबी बनाने के लिए, तथा राजीव भाई के अधुरे सपनों को पुरा करने के लिए राजीव भाई की स्मृति में सेवाग्राम, वर्धा में 23 एकड़ में एक स्वदेशी शोध केंद्र बनाने की योजना है। अगामी 30.11.2012 को स्वदेशी दिवस के दिन उसकी शुरुवात की जाएगी। आपका सहयोग अपेक्षित है।

उद्‌देश्य :- स्वदेशी के दर्शन पर आधारित भारत बनाने के लिए
जैविक खेती प्रशिक्षण और स्वदेशी बीजों के संरक्षण के लिए
स्वदेशी शिक्षा के प्रयोग के लिए
गौ संवर्धन और पंचगव्य शोध के लिए
स्वदेशी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए
भारत में स्वदेशी नीतियों को लागु करने के लिए
स्वदेशी उद्योगों को बढाने के लिए शोध कार्य
भारत के पारंपरिक ज्ञान को आम जन के बीच फैलाने के लिए

स्वदेशी प्रकाशन
सेवाग्राम, वर्धा